खण्ड-355, अंक-10
गुरूवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(4 मार्च, 1982 ई0)

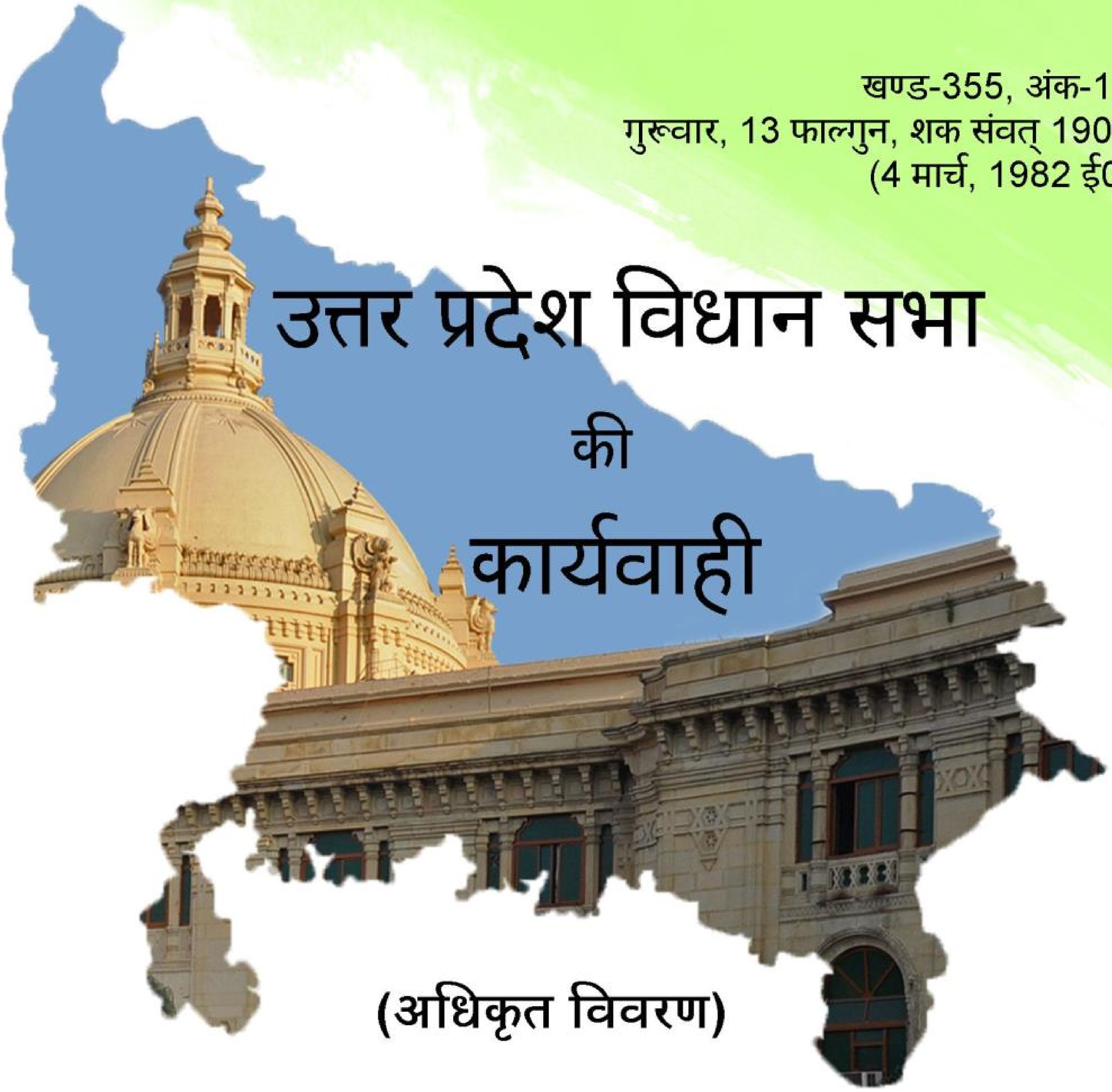

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 355 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1193–1197
सदन में मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की अनुपस्थिति	1197
प्रश्नोत्तर	1198–1224
आज अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर की सूची पर मंत्री जी के हस्ताक्षर न होने पर आपत्ति	1225
विश्वविख्यात शायर, श्री रघुपति सहाय "फिराक गोरखपुरी" के निधन पर शोकोद्गार	1225–1232
चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जहरीली दवा से बेहोश करके लूटने व उक्त दवा से कतिपय यात्रियों की मृत्यु के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1232–1233
इलाहाबाद के फूलपुर कस्बे में मुबारकपुर चौराहे पर श्री राजबहादुर कुशवाहा की बम प्रहार कर हत्या व पुलिस की साजिश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1233–1234
सरस्वती विद्यालय कन्या इन्टर कालेज, नरही, लखनऊ का भवन खाली कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1234–1235
थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर बस्ती, श्री जयपति नाथ द्वारा ग्राम कोडरी निवासिनी हरिजन महिला, श्रीमती कुमारी के साथ बलात्कार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1235–1236
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोकलेखा समिति (1981-82) का प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया)	1236–1237
परिवहन मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	1237
श्री सन्त बक्स रावत द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर जानकारी की मांग	1238
सत्र के दौरान जिलों में ऐसी बैठकें जिसमें सदस्यों की रुचि हो, न बुलाये जाने की मांग व व्यवस्था का प्रश्न	1238–1243
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1243
1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या 12-गन्ना विकास विभाग तथा अनुदान संख्या 13-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	1243–1298
गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना	1298–1299
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1299
जनपद बुलन्दशहर के ग्राम डिकाली थाना भवन बहादुर नगर में एक ही परिवार के पांच व्यक्तियों की हत्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1299–1305
नस्थियां	1306–1307

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 4 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 317

अकबर अहमद, श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री — गोंडा
अजहर इमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुल्तान भैया) — खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ए0सी0 ग्राहस, श्री — नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री — आगरा
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ

कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमलादेवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री — बरेली
कल्लू राम, श्री — मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
(ए) कृष्ण वीर सिंह, श्री — बदायूं
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर — आगरा
केदारनाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री — एटा
कैलाश टण्डन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री — देवरिया

खुर्शीद अहमद, श्री — बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
गंगा सागर भंडवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गज सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाम नबी, श्री — आगरा
गौरा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपी नाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गौरी लाल शाक्य, श्री — इटावा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री — बलिया
चन्दन सिंह, श्री — मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 — बांदा
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चरनजीत सिंह, श्री — पीलीभीत
चन्द्र चन्द्र आर्भा, श्री — पिथौरागढ़
चंदराम गंगवार, श्री — बरेली
छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री — खीरी
छेदी लाल, श्री — गोंडा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश नारायन, श्री — फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
जमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री — मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री — मुरादाबाद
जुगड़ सिंह, श्री — मेरठ
झिलमिट राम, श्री — गाजीपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री — खीरी

तेज बहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री — पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री — आजमगढ़
धम्मन सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री — जालौन
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — बस्ती
दीना नाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री — गोंडा
दीपू उर्फ दीपनारायण, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून
धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री — बहराइच
धर्मवीर सिंह, श्री — मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
धूप राय, श्री — देवरिया
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी-गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नेत्रपाल सिंह, श्री — एटा
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी

पुष्पा चौहान, श्रीमती — अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभू नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर, श्री — रामपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बच्चा पाठक, श्री — बलिया
बदन सिंह, श्री — आगरा
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री — बलिया
बलवीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तर काशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बृज किशोर मिश्र, डा0 — देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
बैजनाथ प्रसाद — इलाहाबाद
कुशवाहा, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भास्कर पाण्डेय, श्री — देवरिया
भूधर नारायण मिश्रा, श्री — कानपुर
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री — बलिया
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मुहम्मद — बस्ती
कमाल युसूफ, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर — एटा
महमद, श्री

मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबराज) — गोंडा
महाबीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेश चन्द्र, श्री — मेरठ
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री — वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मेंहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर
मोतीलाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन लाल, श्री — हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री — देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री — बदायूं
मोहम्मद नबी, श्री — बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री — वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री — मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) — गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
रईसउद्दीन वारसी, श्री — मुरादाबाद
रघुबीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रती राम, श्री — बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री — रायबरेली

राजकिशोर राव, श्री बहराइच
राज कुमार राय, श्री आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री हरदोई
राम करन, श्री वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री सीतापुर
रामकृष्ण उपाध्याय, डा0 जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री बलिया
राम चन्द्र, श्री वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री वाराणसी
राम धनी, श्री गाजीपुर
राम नरायन एडवोकेट, श्री गाजीपुर
राम नारायण पाठक, श्री कानपुर
राम पाल सिंह, श्री मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री जालौन
राम प्रसाद, श्री मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री खीरी
राम यश सिंह, श्री सहारनपुर
राम लाल वर्मा, श्री हरदोई
राम शिरोमणि, श्री जौनपुर
राम समुझावन, श्री जौनपुर
राम सागर, श्री बाराबंकी
राम सिंह खन्ना, श्री बरेली
राम सिंह रावल, श्री एटा
राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री बहराइच
राम हर्ष राय, श्री गाजीपुर

राजेश्वर प्रसाद, श्री बांदा
रिजवानुर्रहमान बाराबंकी
किदवाई, श्री
रियासत हुसैन, श्री मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री देवरिया
रूप राम, श्री शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
लालसा, श्री आजमगढ़
लोकपति, श्री मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री लखनऊ
विजय शंकर सिंह, श्री गाजीपुर
विजय सिंह राना, श्री आगरा
विद्या भूषण, श्री मुजफ्फरनगर
विमल प्रसाद तिवारी, श्री फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
विशन लाल, श्री बिजनौर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री बांदा
विश्राम दास, श्री इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री वाराणसी
शंकर सिंह, श्री जालौन
शम्भूनाथ, श्री आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री बांदा
शिव दर्शन, श्री रायबरेली
शिव नरेश, श्री बांदा
शिवनाथ सिंह कानपुर
कुशवाहा, कुंवर
शिवनारायण सिंह नेगी, श्री नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री उन्नाव
शिव बालक, श्री रायबरेली

शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री फैजाबाद
शैनाथ सिंह, श्री बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री गोरखपुर
श्यामलाल वाजपेयी, श्री बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री बिजनौर
श्रीकृष्ण गोयल, श्री बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री वाराणसी
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री वाराणसी
सतीश अजमानी, श्री खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री इलाहाबाद
सन्त बक्स रावत, श्री लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती बदायूं
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री नैनीताल
सरजू प्रसाद, 'सरोज', श्री प्रतापगढ़
साहब सिंह, श्री गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, श्री शाहजहांपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
सूबेदार सिंह, श्री मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती लखनऊ
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री सीतापुर
हरदेव, श्री बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री उन्नाव
हरिबंश सहाय, श्री देवरिया
हरि सिंह, श्री बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री कानपुर
हरीशंकर, श्री हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री मुरादाबाद
हुकम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
हेमचन्द्र निमेष, श्री मेरठ

सदन में मंत्रि परिषद् के सदस्यों की अनुपस्थिति

एक सदस्य—

मान्यवर, देख लें, आज मंत्रिगण डकैत छविराम के मरने का शोक मना रहे हैं, यहां कोई है ही नहीं। (हंसी)

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

(विरोध पक्ष की ओर इशारा करके) देख लीजिये, इनकी शक्लें तो देख लीजिये, कैसी हो रही हैं? (हंसी)

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 4 मार्च, 1982 ई0

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

फैजाबाद मण्डल के जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा पूर्ति निरीक्षक के पद पर की गयी नियुक्तियों को समाप्त करने का आदेश

*1—श्री मसरूर जाफरी (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल में जनवरी, 1981 से 1—11—81 तक जिलाधिकारियों द्वारा आपूर्ति निरीक्षकों की नियुक्तियां की गयी हैं, जो न तो विभागीय कर्मचारी हैं और न लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 द्वारा चुने गये हैं ? क्या यह सही है कि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के शासनादेश सं0 785/आयुक्त(पूर्ति)/अधि—8—76, दिनांक 3 फरवरी, 1979 तथा पत्र सं0 136 आ0पू0 कार्या0/128—80, दिनांक 7—1—81 के उपरान्त नई आपूर्ति निरीक्षकों के पद पर अनियमित ढंग से बिना ज्येष्ठता क्रम का ध्यान दिए हुए जनवरी, 1980 से 1—11—81 तक कितने कर्मचारियों को पदोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार कोई ठोस कार्यवाही करेगी ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

फैजाबाद मण्डल में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 11—9—81 को कार्य-हित में तदर्थ रूप से पूर्ति निरीक्षक के पद पर एक नियुक्ति की गयी थी। नियुक्ति समाप्त करने के आदेश खाद्य आयुक्त द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न में संदर्भित खाद्य आयुक्त के आदेशों के उपरान्त फैजाबाद मण्डल में पूर्ति निरीक्षक के पद पर कोई पदोन्नति नियमों के विपरीत नहीं की गयी है।

श्री अकबाल हुसैन—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आपूर्ति निरीक्षक की नियुक्ति की गयी थी तो क्या उसके लिए कोई विज्ञापन हुआ था ? उसका क्या आधार रखा गया था ?

श्री वासुदेव सिंह—

जिला अधिकारी ने नियुक्ति कर दी। उसे नियुक्ति करने का अधिकार है। सेवा नियमावली के नियम 18(4) (ख) में स्पष्ट दिया हुआ है :—

नियुक्ति अधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी आयुक्त से सूचीबद्ध या पात्र अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त करके नियुक्तियां कर सकता है। लेकिन फिर आगे लिखा है—'परन्तु किसी ऐसे रिक्ति में ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति जिसका नाम नियम 15 या नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में न हो, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए की जायेगी।'

नोट:—प्रश्न संख्या 1 (नत्थी 'क') श्री अकबाल हुसैन ने पूछा।

लेकिन शासन ने उनको लिख दिया है कि यह निरस्त कर दें । एक साल के बजाय 5 महीने में ही हमने उनको निरस्त कर दिया ।

श्री हुकम सिंह–

दो शासनादेश हैं, एक तो 3 फरवरी, 1980 का है और दूसरा 7–1–81 का है और आपके मूल उत्तर में आया है कि शासनादेश के बाद में कोई नियुक्ति नहीं की गयी । और जो नियुक्ति दर्शायी गयी है वह 11–2–81 की है । तो मैं पूछता हूं कि नियुक्ति जिलाधिकारी ने इस शासनादेश के बाद की है तो आपके शासनादेश के बावजूद भी जिस जिलाधिकारी ने यह नियुक्ति की है उसके फलस्वरूप वेतन के रूप में जो धन आपूर्ति निरीक्षक को दिया गया है, वह धन उनसे वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वासुदेव सिंह–

प्रतापगढ़ से संबंधित प्रश्न है । सवाल के दो हिस्से हैं । जहां तक इस प्रश्न का संबंध है शासनादेश के उपरान्त रिक्तियों के भरने में अनियमितता हुई । दूसरा उसको हमने निरस्त कर दिया । यहां से लिख कर भेज दिया है कि इसको निरस्त कर दें ।

श्री हुकम सिंह–

माननीय मंत्री जी यह स्वीकार करते हैं कि नियुक्ति में अनियमितता हुई । तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस सर्वोच्च अधिकारी ने, जिलाधिकारी ने नियुक्ति अनियमित रूप से की और जिसको आपने निरस्त कर दिया, उस धन की वसूली जिलाधिकारी से क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री वासुदेव सिंह–

उनको निरस्त करने का आदेश भेज दिया गया है । दो बातें होती हैं, एक तो जानबूझ कर किसी आदेश का उल्लंघन किया जाय और एक लैप्स हो जाय, किसी भूल से हो जाय । जिलाधिकारी ने पुरानी सूचना के आधार पर नियुक्ति कर दी । उसका आधार है, लेकिन उनसे इस बारे में भी पूछ लिया जायेगा।

श्री अकबाल हुसैन–

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह नियुक्ति किस तिथि को निरस्त की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह–

प्रश्नकर्ता की सूचना के बाद पहली बार भेजा गया रेडियोग्राम ।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह नियुक्ति किस जिलाधिकारी ने की और किस व्यक्ति की नियुक्ति की ?

श्री वासुदेव सिंह–

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ श्री दीनानाथ श्रीवास्तव, जो कोई भी हो, ताहिर हुसैन की की गयी । (व्यवधान) मेरी संस्तुति पर नहीं हुआ ।

गुरुवार, 4 मार्च हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[11—2—82 को तारांकित प्रश्न संख्या 10 द्वारा उत्तरित]

यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन की लखनऊ शाखा में गबन की शिकायत

*2—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन की लखनऊ शाखा में वर्ष 1969—70 में 3 लाख के उर्वरक संबंधी गबन के बारे में उन्हें किसी विधायक द्वारा 6 जनवरी, 1981 को लिखित शिकायत दी गयी थी ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन—

वर्ष 1969—70 में लगभग 3 लाख का घपला है, क्या मंत्री जी कृपया उसकी जांच करवायेंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

जो प्रश्न किया गया है उसमें कोई घपले की बात नहीं है और न ही गबन की है।

श्री आर0 बी0 दुबे, अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*3—श्री केदारनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 बी0 दुबे, अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी निर्माण शाखा (विद्युत/या0) उ0 प्र0 जल निगम, गोरखपुर के विरुद्ध साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाने तथा कर्मचारियों का उत्पीड़न करने आदि के संबंध में उनके अधीनस्थ लगभग 42 कर्मचारियों ने दिनांक 19-2-81 को जिलाधिकारी, गोरखपुर, विभागीय उच्चाधिकारी एवं स्वायत्त शासन मंत्री को एक शिकायती-पत्र प्रेषित किया है ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या हैं तथा शासन ने अब तक कौन-से तत्कालीन कदम उठाए ?

नगर विकास मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

जी हां ।

शिकायतों की सूची संलग्न है ।

जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पाई गयीं । अतः मामले में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1306 पर ।)

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, आप के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जांच के पूर्व उस अधिकारी को क्यों हटाया नहीं गया और जांच किसने की ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, जांच तो की श्री दर्शन सिंह, अधीक्षक अभियंता, 17वां सर्किल, जल

निगम ने और किसी अधिकारी के विरुद्ध अगर शिकायत हो तो हटाना कोई आवश्यक नहीं है इसलिए हटाया नहीं गया ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

जैसा कि प्रश्न में है कि 42 विभागीय कर्मचारियों द्वारा दी गयी शिकायत का सवाल है और जो शिकायत मंत्री जी ने बतायी उनकी सूची आठ है, इस सूची को देखने से स्पष्ट होता है कि एक वर्ग विशेष को संबंधित अधिकारी ने प्रताड़ित और हर तरह से परेशान किया, माननीय मंत्री जी ने इस बात को समझ कर के उनको दूसरी जगह स्थानान्तरित कर क्यों नहीं जांच कराना आवश्यक समझा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

आवश्यक नहीं समझा, इसीलिए स्थानान्तरण नहीं किया ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

उपाध्यक्ष जी, इसमें हुआ यह है . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये, उपाध्यक्ष जी से बात न करिये . . .

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि आवश्यक नहीं था, क्या पुनः जो शिकायतों की सूची है उन बिन्दुओं पर किसी दूसरे जनपद के अधीक्षण अभियंता से जांच करवा देंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, मैं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से जांच करा दूंगा आपको संतोष नहीं है तो ।

यू0 पी0 स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध गबन के आरोपों की जांच

*4–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन जांच एवं वर्किंग कमेटी ने निगम के प्रबन्ध निदेशक को 20 करोड़ रुपये के गबन का दोषी पाया है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक–

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की वेयरहाउसिंग के संचालन एवं वर्किंग की समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के संबंध में विधान परिषद् कार्यालय ने सूचित किया है कि उक्त प्रतिवेदन की मुद्रित प्रतियां अभी प्राप्त नहीं हुयी हैं । प्रतिवेदन की केवल अमुद्रित संलग्नकों रहित प्रति दिनांक 1-2-82 को विभाग में प्राप्त हुयी है। प्रतिवेदन विस्तृत है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

नोटः–(1) प्रश्न संख्या 3 (नत्थी 'ख') श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की रुचि पर लिया गया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मैंने यह प्रश्न किया था कि प्रबन्ध निदेशक को समिति ने 20 करोड़ के घपले के लिए दोषी पाया, तो जब उनको दोषी पाया गया है, तो शासन ने अब तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, मैंने अभी कहा कि प्रतिवेदन 1-2-82 को मिला है और मुद्रित कापी अभी प्राप्त नहीं हुई हैं, यह एक बहुत बड़ा प्रतिवेदन है, इसकी समीक्षा की जा रही है और उसके बाद ही कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह जो संदर्भित रिपोर्ट है, यह मान्यवर, विभाग को इसके पहले मिल चुकी होगी और विधान सभा सचिवालय में मुद्रित प्रति भी हमें देखने को मिली है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी पूरी समीक्षा किस स्तर से कराई जा रही है, कौन कर रहा है और समीक्षा रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, शीघ्र इसकी समीक्षा हो जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन समीक्षा कर रहा है? किस स्तर से समीक्षा कराई जा रही है?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, यह विभाग की कार्यवाही है, विभागीय कार्यवाही होगी।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, विभाग तो इनका लखनऊ से लेकर तमाम उत्तर प्रदेश में भरा हुआ है। मान्यवर, हम यह जानना चाहते हैं कि विभाग के किस स्तर पर, सचिवालय में आपके कोई सचिव समीक्षा कर रहे हैं या आप कर रहे हैं। मान्यवर, जब वह 20 करोड़ रुपये के गबन के दोषी पाये जा चुके हैं, तो वह किस स्तर पर समीक्षा हो रही है, कौन उसकी समीक्षा कर रहा है, कितना समय उसमें लग जायगा? जब उनके खिलाफ इतना बड़ा आरोप है, तो क्या तुरन्त उनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा कायम करके, उनके खिलाफ तुरन्त कानूनी कार्यवाही करेंगे?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, इनका प्रश्न तो यह है कि उनको 20 करोड़ रुपये के गबन का दोषी पाया है? मान्यवर, 20 करोड़ रुपये की तो कोई घटना उनके खिलाफ नहीं है, यह तो अखबार की बात है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इसमें विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष–

वह केवल इतना जानना चाहते हैं कि वह कौन आदमी जांच कर रहा है और जांच किस स्तर पर कराई जा रही है।

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, विभाग की वेयरहाउसिंग जांच एवं वर्किंग कमेटी की एक प्रबन्ध

समिति है, उस प्रबन्ध समिति के माध्यम से इसकी जांच-पड़ताल और कार्यवाही की जा सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पहले इन्होंने कहा कि इसकी जांच विभाग कर रहा है। दुबारा फिर कहते हैं कि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन जांच एवं वर्किंग कमेटी की जो मैनेजिंग कमेटी है, वह कर रही है। तो इस प्रकार से दो उत्तर आ गये। मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि विभाग से तात्पर्य इनका किससे है और विभाग में कौन अधिकारी उसकी जांच कर रहा है। इतना बड़ा मामला है, कोई कमेटी बनी होगी भंडारागार निगम की, तो क्या भंडारागार निगम की कमेटी इसकी जांच कर रही है या विभाग कर रहा है और विभाग का कौन अधिकारी इसकी जांच कर रहा है और वह जांच किस स्तर पर है और उसकी जांच रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है?

श्री उपाध्यक्ष–

स्पष्ट करें कि कौन जांच कर रहा है और किस स्तर पर जांच है और कब तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, कोई विभाग होता है और विभाग के अन्दर ही समितियां होती हैं। मान्यवर, प्रबन्ध समिति के माध्यम से ही इन्क्वायरी हो रही है और इन्क्वायरी जब पूरी होगी, तब कोई कार्यवाही होगी।

श्री उपाध्यक्ष–

कौन रिपोर्ट देगा, किसको रिपोर्ट प्राप्त होगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, इसमें न तो कोई 20 करोड़ रुपये का कोई घोटाला है और न तो कोई गबन है। यह आरोप केवल अखबार की खबर पर है। सचिवालय स्तर से इसका परीक्षण हो रहा है और जब पूरा परीक्षण हो जायगा, तब कार्यवाही की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले आया उत्तर में कि विभाग जांच कर रहा है, दुबारा आया वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से जांच हो रही है, तिबारा आया कि सचिवालय से जांच हो रही है। इसमें मैं किसको सुनिश्चित करूं?

श्री बच्चा पाठक–

इसमें यह है कि जिसके विषय में चाहते हैं जो वेयर हाउसिंग कमेटी है, इसमें सेन्ट्रल भण्डार निगम की बात आती है। यह सेन्ट्रल और स्टेट दोनों को मिलाकर निर्णय लिया जाता है उसके बाद कार्यवाही होती है। कमेटी में 5 स्टेट के और 5 सेन्ट्रल के होते हैं। प्राप्त प्रतिवेदन पर समिति विचार करेगी और बाद में कार्यवाही होगी।

श्री उपाध्यक्ष–

जी नहीं, उन्होंने पूछा जांच चल रही है, आपने कहा जांच हो रही है, उन्होंने पूछा कौन सी स्टेज पर है। इससे तो अनिश्चितता और बढ़ रही है।

श्री बच्चा पाठक–

कुछ भी हो अन्तिम कार्यवाही तो सचिवालय ही करेगा, लेकिन कमेटी अपना निर्णय देगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, यह प्रश्न 15 दिन के बाद फिर से रिपीट किया जाय ।

भारत तिब्बत सीमान्त जड़ी-बूटी विकास योजना के अन्तर्गत जिला चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जनपदों में सेवारत कर्मचारियों का स्थायीकरण तथा पुनरीक्षित वेतनमान

*5–श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत-तिब्बत सीमान्त जड़ी-बूटी विकास योजना जिला चमोली, उत्तर काशी और पिथौरागढ़ में सेवारत कर्मचारी अब तक किन कारणों से स्थायी नहीं किए गये तथा उनके वेतन पुनरीक्षित नहीं किए गये ? क्या यह भी सत्य है कि अब यह योजना सहकारिता विभाग से किसी अन्य विभाग को हस्तान्तरित की जा रही है ? यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को नए विभाग में उनकी पुरानी सेवाओं के आधार पर स्थायी किया जायगा ?

श्री बच्चा पाठक–

भारत तिब्बत सीमान्त जड़ी-बूटी विकास योजना के अन्तर्गत जिला चमोली, उत्तर-काशी तथा पिथौरागढ़ जनपदों के लिये स्वीकृत पद अभी तक स्थायी घोषित नहीं किये गये हैं । अतः इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक इन पदों के वेतनमानों के पुनरीक्षण का प्रश्न है, सभी पदों के वेतनमान उ0 प्र0 वेतन आयोग (1971-73) की रिपोर्ट में की गई संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित किये जा चुके हैं ।

अभी तक इस योजना को किसी अन्य विभाग को हस्तान्तरित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

1958 से यह योजना चल रही है और अभी तक इन कर्मचारियों को स्थायीकरण नहीं हुआ । मैं यह जानना चाहता हूं कि किन कारणों से स्थायीकरण नहीं हुआ और कब तक हो जायेगा ?

श्री बच्चा पाठक–

पद स्थायी नहीं हैं इसलिये इन कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि उन पर्वतीय अंचलों में तमाम जड़ी-बूटियां इकठ्ठी कर रहे हैं और जर्मनी तथा जापान जा रही हैं । मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, यह प्रदेश के हित में है इस बात को देखते हुये कि यह कार्य निरन्तर प्रगति पर है, इन कर्मचारियों को अविलम्ब स्थाई करने पर विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने यह बताया कि पद ही स्थायी नहीं है । जब पद ही स्थायी नहीं है तो आदमी के स्थायी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

पुनर्विचार करके कि ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो प्रदेश के हित में है। इस बात को ध्यान में रखते हुये स्थायी करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक–

विचार कर लेंगे ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मान्यवर, मेरी जानकारी को मानते हुये कि यह कर्मचारी जड़ी-बूटी योजना में जो कार्य कर रहे हैं। पहले विकास खण्डों में काम करते थे ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न उत्तरित हो गया ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

उसे सहकारिता विभाग में ले लिया गया । माननीय मंत्री जी ने कहा कि अस्थायी विभाग है। मेरे कहने का मतलब है कि यह कर्मचारी पहले विकास खंडों में काम करते थे, वहां से इनका ट्रान्सफर सहकारिता विभाग में जड़ी-बूटी विकास योजना में किया गया । इसलिये सहकारिता विभाग स्थायी विभाग है। तो उनका इसमें स्थायी न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष–

पद ही स्थायी नहीं है। प्रश्न संख्या–8 ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

पद स्थायी न होने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम आगे बढ़ गये हैं, इसलिए आप बैठ जायं।

*6–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

[11-2-82 को तारांकित प्रश्न संख्या–19 द्वारा उत्तरित ।]

*7–श्री ऊदल–

[19-1-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 192 द्वारा उत्तरित ।]

रानीपुर हरिद्वार में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों द्वारा कार्यों को सम्पन्न करने हेतु विशाल रंगमंच धर्मशाला मन्दिर का निर्माण

*8–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीपुर हरिद्वार में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों द्वारा सन् 1976 में सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक कार्य को सम्पन्न करने हेतु विशाल रंगमंच धर्मशाला मन्दिर निर्माण किया है, उक्त भूमि तरुड़ हिमालय

के नाम अंकित की गयी है ? यदि नहीं, तो सरकार भूमि तरुड़ हिमालय के नाम करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां ।

उक्त भूमि "तरुण हिमालय" के नाम अंकित नहीं है । सार्वजनिक हित को दृष्टिगत करते हुए उक्त भूमि "तरुण हिमालय" के नाम आवंटित किए जाने का विचार नहीं है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय तरुण हिमालय में उस स्थान पर मंदिर की स्थापना किया था क्या उसकी जानकारी विभाग को थी ? यदि नहीं, तो मंदिर वहां कैसे बना ? मान्यवर, दूसरी बात जो मुझे मालूम है वहां विद्यालय भी बना है और जो चलता है । सहारनपुर के जिलाधिकारी के कहने पर कार्यवाही हुई लेकिन बाद में कोई वैधानिक दिक्कत पैदा हुई तो परमीशन नहीं मिली । इस संबंध में बार-बार वहां की जनता सरकार से निवेदन करती आ रही है और नगरपालिका के जो उच्च अधिकारी हैं, उन्हीं के कहने के अनुसार मंदिर की स्थापना की गयी । तो इन सारी चीजों को देखते हुये क्या मंत्री जी तरुण हिमालय के नाम उस भूमि को सरकार आवंटित करने की कृपा करेंगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, कोई इजाजत नगरपालिका ने वहां पर नहीं दिया । अतिक्रमण किया गया है और अतिक्रमण की इजाजत देना शासन की नीति नहीं है और अतिक्रमण की इजाजत किसी भी हालत में शासन नहीं देगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मान्यवर, मैंने स्वयं उसको देखा है, वह विशाल मंदिर है और वहां विद्यालय बना है । इसलिये छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि अतिक्रमण कर लिया है वर्षों से वह चीज बनी है और वहां के अधिकारियों की सलाह पर मंदिर और विद्यालय बना है । इसलिये अनुरोध है कि जब वह बना लिया गया है, अतिक्रमण नहीं हुआ है, धार्मिक स्थल है, इसलिये क्या मंत्री जी भूमि तरुण हिमालय के नाम से आबंटित करेंगे और हटायेंगे नहीं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, शासन का कोई विचार अतिक्रमण के ऊपर विचार करने का नहीं है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि अतिक्रमण पर इजाजत देने की शासन की नीति नहीं है । तो मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में जहां-जहां अतिक्रमण हुआ है, क्या वहां पर इन्होंने छूट देने के लिये पूरी तरह से इजाजत दे दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है ।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, जैसा विष्ट जी ने कहा कि वहां पर मंदिर बन गया है और विद्यालय बन

गया है। तो क्या विशेष परिस्थिति के अन्दर उस भूमि को उन्हें आवंटित कर देंगे और दोबारा कोई कार्यवाही नहीं होगी इसका आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

शासन का ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, म्यूनिसिपल मैनुअल में यह व्यवस्था है कि यदि कहीं अतिक्रमण हो जाय और उसका जनहित में कायम रहना जरूरी हो, तो मान्यवर, वहां मंदिर बन गया है और विद्यालय बन गया है, विद्यालय चालू है, जनहित में प्रयोग हो रहा है। तो कम्पाउण्ड करके, कुछ प्रीमियम लेकर के, कुछ पैसा निश्चित करके वह जमीन उन्हीं को आबंटित करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री श्याम नारायण तिवारी–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि अतिक्रमण की इजाजत नहीं दी जाएगी तो वहां पर मंदिर और स्कूल बन गया है तो क्या उसे हटाने की कोई कार्यवाही मंत्री जी कर रहे हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, जैसी आवश्यकता होगी वैसा किया जायगा।

शहर गोरखपुर के गन्दे पानी के नालों को रामगढ़ ताल में गिरने से रोकने के लिए योजना

*9–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहर गोरखपुर का प्रयुक्त गन्दा पानी रेती चौक, बेतिया हाता, दाउदपुर व बिलन्दपुर मुहल्ला होते हुए रामगढ़ ताल में गिरता है जिससे शहर में अनेक भयंकर रोग वायु दूषण से फैल रहा है एवं रामगढ़ ताल पर्यटक स्थल बनने के योग्य नहीं रह गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस गन्दे पानी के नाले को बन्द करवाकर इसके गन्दे पानी को राप्ती नदी में गिरवाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां।

गंदे पानी के नालों को रामगढ़ ताल में गिरने से रोकने के लिये योजना विचाराधीन है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मान्यवर, विलंगपुर मोहल्ले में आपका भी मकान है और मकान नहीं है तो जमीन तो है ही। मैं आपका पड़ोसी हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

न मेरा मकान है न मेरी जमीन है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

आपके परिवार का हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं रहने वाला उस जिले का जरूर हूं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि कितने दिनों यह योजना विभाग के गर्भ में पलती पुसती रहेगी और मूर्तरूप में कब बाहर निकलेगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, यह योजना सिंचाई विभाग, पर्यटन विभाग, हमारे विभाग तीनों के विचाराधीन है । तो ऐसी योजना तैयार होने में कम से कम 9 महीने तो लगने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नगर विकास मंत्री जी, उस नौ महीने की शुरुआत हो गयी है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, बीजारोपण हो चुका है ।

(हंसी)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, सिंचाई मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह गोरखपुर गये थे, रामगढ़ ताल योजना के विषय में अखबारों में कुछ आया था, मच्छरों का प्रकोप वहां पर बहुत है । इस वायु प्रदूषण को रोकने के विचार से क्या यह बात सही है कि ड्रेनेज विभाग, सिंचाई विभाग, गोरखपुर ने 91 लाख की कोई योजना इस गन्दे पानी को राप्ती नदी में गिराने की बनायी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

यह तो नहीं मालूम कितने लाख की योजना है, परन्तु योजना विचाराधीन है । सिंचाई विभाग की पी0 ए0 सी0 कमेटी है, उसके सामने योजना गयी हुई है । इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जायगी क्योंकि सौंदर्यीकरण भी करना है । शासन इस पर अति शीघ्र कार्यवाही कर रहा है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

इसी वर्तमान सदन में गोरखपुर को नगर महापालिका घोषित किया है, इस विचार से भी अब इसका औचित्य काफी निकट आ गया है । क्या मा0 मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि यह योजना लगभग कितने लाख, कितनी धनराशि की है ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो उन्होंने बताया कि यह नहीं मालूम कि कितनी धनराशि की है, परन्तु विचारधीन है ।

विकलांगों की टीम को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु जापान की संस्था द्वारा निमंत्रण

*10–श्री माता प्रसाद, श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृत्रिम अवयव एवं पुनर्वास केन्द्र, लखनऊ द्वारा विकलांगों की टीम जापान से निमन्त्रण पत्र वर्ष 1979 में आया था? यदि हां, तो क्या वह निमन्त्रण पत्र सरकार की तरफ से था या किसी संस्था के तरफ

था? विकलांगों को जापान जाने में कितना धन उ0 प्र0 सरकार तथा कितना धन केन्द्र सरकार ने सहायता दिया, कितना धन कुल खर्च हुआ, उसमें कितना धन विदेशी सहायता से मिला? कितने विकलांग एवं चतुर्थ श्रेणी के परिचालक तथा चिकित्सक वर्ग टीम के साथ विदेश गये? क्या यह सही है कि परिचालकों के स्थान पर अन्य चिकित्सा वर्ग के लोगों को सम्मिलित करके भेजा गया? यदि हां, तो इस कार्य को किस अधिकारी को करने की स्वीकृति दी गयी? उसके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की?

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)–

कृत्रिम अवयव एवं पुनर्वास केन्द्र, लखनऊ को विकलांगों की टीम को अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु निमंत्रण जापान की आरगनाइजिंग कमेटी आफ इण्टर-नेशनल स्किल कान्टेस्ट फार डिसेबल्ड नामक संस्था द्वारा जनवरी, 1981 में भेजा गया था।

विकलांगों की टीम के जापान जाने हेतु रु0 8,000/- की धनराशि भारत सरकार समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई। टीम के सदस्यों के लिए हवाई यात्रा के टिकट भारत सरकार सिविल एवियेशन मंत्रालय, जापान की संस्था तथा बम्बई की एक संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये। जापान में टीम के रहने एवं भोजन की व्यवस्था जापान की संस्था द्वारा की गई। राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई।

नेशनल टीम लीडर के साथ 14 विकलांगों की टीम जापान भेजी गई। टीम के साथ चतुर्थ श्रेणी का कोई परिचालक नहीं भेजा गया। टीम के साथ परिचालकों के रूप में ऐसे लोगों एक स्पोर्ट इन्सट्रक्टर, एक आकपेशनल-थेरापिस्ट, एक फिजियो-थेरापिस्ट एवं एक मेडिकल आफीसर को भेजा गया, जो कि विकलांगों को प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक थे।

इस कार्य को करने की स्वीकृति कृत्रिम अवयव एवं पुनर्वास केन्द्र, लखनऊ की प्रबन्ध समिति (गवर्निंग बाडी) द्वारा प्रदान की गई। किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब जापान से निमंत्रण आया और उसमें विकलांगों को और उनके साथ परिचालकों को ही निमन्त्रण पत्र मिला था, तो उसमें किस आधार पर चतुर्थ श्रेणी के परिचालकों को न रखकर मेडिकल आफिसर स्पोर्ट्स इन्सट्रक्टर और सब लोगों को परिचालकों की श्रेणी में रखा गया? क्या उसके पूर्व भी इस श्रेणी में ये आते थे? यदि नहीं, तो उन्हें क्यों भेजा गया?

श्री हरि सिंह–

मान्यवर, जापान से निमंत्रण मिला उसमें विकलांगों की टीम को जापान जाना था। विकलांगों के साथ मेडिकल आदि के लिए अन्य आदमी भी भेजे गये। निमंत्रण पत्र में लिखा हुआ था, उसी के अनुसार उन लोगों को तथा विकलांगों को भेजा गया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो निमंत्रण पत्र इन्हें मिला था परिचालकों और विकलांगों को भेजने के लिये जो बात हुई, यह क्या पहले से ही उस सूची में थे या फिर ये जापान जाने के लिये ही उसमें रखे गये थे? इसे बतलाइये आप माननीय मंत्री जी।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप केवल प्रश्न करेंगे, आदेश नहीं देंगे। आप प्रश्न करते-करते आदेश देने लगे। आपने प्रश्न पूछा, अब मैं माननीय मंत्री जी को बुलाता। आपने तो प्रश्न पूछा और माननीय मंत्री जी को बुलाया कि माननीय मंत्री जी।

श्री हरि सिंह–

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जापान से निमंत्रण मिला था, उसमें किसी परिचालक के लिये विशेष रूप से लिखित नहीं आया था।

श्री सन्त बक्स रावत–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो जापान से निमंत्रण पत्र आया था उसे क्या आप सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री हरि सिंह–

मान्यवर, निमंत्रण इस प्रकार था–कि 19 अक्तूबर से 25 अक्तूबर तक जापान में विकलांग ईयर के सिलसिले में खेल और सेमिनार होने का एक प्रोग्राम रखा था तो उसके मातहत ही उनको निमंत्रण मिला था। निमंत्रण में सिर्फ इतना था कि विकलांग ईयर है इसमें विकलांगों को बढ़ावा देने के लिये, उनकी कठिनाइयों को सुनने के लिये, उनके मनोरंजन के लिये, इन सब उद्देश्यों से यह सब किया गया था।

श्री रियासत हुसैन–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में क्या जो परिचालक आपने जापान भेजे थे उनको चुन कर भेजने का क्या आधार था?

श्री हरि सिंह–

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया यह विकलांग लोग थे, वे खेलों में हिस्सा ले रहे थे, उनको साथ भेजने का आधार यही था, इसीलिये लोग भेजे गये।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशिल–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में विकलांगों की टीम के साथ जो अधिकारी गये उनके नाम क्या हैं और उनके पद क्या हैं?

श्री हरि सिंह–

मान्यवर, नेशनल लीडर की हैसियत से संयुक्त निदेशक, डाक्टर सुशीला वर्मा गयी थीं और एक आकुपेशनल-थेरापिस्ट गया था जिसका नाम मेरे पास नहीं है, मैं बाद में माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

इलाहाबाद के टैगोर टाउन में जल भराव की समस्या के निवारण हेतु योजना

*11–श्री मोहन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर के टैगोर टाउन

के निवासियों ने पानी भराव के सम्बन्ध में 9 सितम्बर, 1981 को मुख्य मंत्री और प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम को कोई शिकायती-पत्र मिला? यदि हां, तो इस जल जमाव की समस्या को हल कराने के सम्बन्ध में शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां।

इलाहाबाद के टैगोर टाउन क्षेत्र में जल भराव की समस्या के निदान हेतु योजना के कार्यान्वयन की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद नगर में टैगोर टाउन ऐसे लोगों का मोहल्ला है जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त न्यायिक हैं, ख्याति प्राप्त जजेज हैं, विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं और इस देश के गणमान्य पुरुषों में हैं, दो साल पहले वहां भीषण जल भराव हुआ था तब शासन ने आश्वासन दिया था, उप-चुनाव हो रहे थे, कि इसको समाप्त करने के लिए योजना बना रहे हैं। इस साल भी भीषण जल-भराव हुआ और काफी सामान नष्ट हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो योजना बनायी गई है उसका प्रारूप क्या है, उस योजना पर अनुमानित व्यय कितना है और वह व्यय नगर पालिका अपने संसाधन से वहन करेगी या शासन कोई आर्थिक सहायता करने जा रही है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

उपर्युक्त योजना की अनुमानित लागत 10.90 लाख रुपये हैं और उसके लिए भारत सरकार से प्राप्त धनराशि में से 11 लाख रुपया इलाहाबाद नगर महापालिका को आवंटित कर दिया गया है, उपलब्ध करा दिया गया है और आशा है इस योजना में कार्य बहुत शीघ्र पूरा हो जायेगा। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद में अल्लापुर क्षेत्र में भी जल-निकासी की बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए भी 20 लाख रुपया दे दिया गया है।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैंने प्रारूप पूछा था उस योजना का?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

प्रारूप इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

बस्ती जिले में चिकित्सालय हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था

*12–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या सरकार को जानकारी है कि बस्ती जिले के चिकित्सालय लोटन के लिए विगत कई वर्षों से भवन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध है परन्तु उसका क्रियान्वयन अभी तक आरम्भ नहीं किया जा सका है? यदि हां, तो भवन बनाने की व्यवस्था कब तक कर ली जायगी?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)–

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जनपद के खलीलाबाद के सीमेन्ट स्टाकिस्ट को सीमेन्ट वितरण

*13—श्रीमती कमला साहनी—

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के खलीलाबाद के सीमेंट स्टाकिस्ट को मई, 80 में आए तूफान के बाद कितनी सीमेंट दी गयी तथा उसका वितरण जनता में किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी?

श्री वासुदेव सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, इस सन्दर्भ में पहले भी लोक दल के माता प्रसाद जी ने प्रश्न किया था तब भी यही उत्तर दिया गया था कि सूचना एकत्र की जा रही है। तो मैं जानना चाहती हूं कि यह सूचना कब तक एकत्र हो जायेगी?

श्री वासुदेव सिंह—

यह प्रश्न तो फिर आयेगा, मान्यवर।

(हंसी)

श्री पंचानन राय—

यह प्रश्न फिर आयेगा, तो मेरे पास कम से कम 40 प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर ऐसा ही आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है, और वे फिर आयेंगे, तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं मान्यवर, इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दें . .

श्री उपाध्यक्ष—

आपने व्यवस्था का प्रश्न ऐसे समय उठाया है जिस समय उठ नहीं सकता। आप विराजें।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, आखिर मेरे इस प्रश्न का समय आयेगा तो वह कब आयेगा . .

श्री उपाध्यक्ष—

15 दिन में आ जायेगा।

विकास खण्ड अमानीगंज, जनपद फैजाबाद के सहकारी समितियों द्वारा लघु सीमान्त तथा अन्य काश्तकारों में वितरित उर्वरक में छूट

*14—श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड अमानीगंज, जनपद फैजाबाद में वर्ष 1980-81 में जो उर्वरक सहकारी समितियों द्वारा लघु सीमान्त तथा अन्य काश्तकारों में वितरित की गयी है उसकी छूट अभी तक उपरोक्त काश्तकारों के खाते में मुजरा नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां। विकास खण्ड अमानीगंज, जनपद फैजाबाद से वर्ष 1980-81 में जो उर्वरक सहकारी समितियों द्वारा लघु सीमान्त तथा अन्य काश्तकारों में वितरित की गयी है, उसके लिए अनुमन्य छूट का अधिकांश भाग अनुदान की धनराशि उपलब्ध न होने के कारण मुजरा नहीं की जा सकी है।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के पंचम वर्ष के छात्र की मृत्यु की जांच

*15–श्री रघुबीर सिंह यादव (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के पंचम वर्ष के छात्र की मृत्यु के लिए शासन द्वारा नियुक्त जांच कमेटी ने प्रधानाचार्य को दोषी ठहराया था? यदि हां, तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी हां। विभागीय जांच में प्रधानाचार्य को कालेज तथा उससे सम्बद्ध अस्पताल पर नियंत्रण में शिथिलता बरतने के लिये दोषी पाया गया था।

तत्कालीन प्रधानाचार्य को एक कठोर चेतावनी दे दी गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

*16–श्री यदुनाथ सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*17–श्री हुकम सिंह–

[7वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद जौनपुर के जफराबाद कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़ जाना तथा अनुपातिक मुआवजा

*18–श्री प्रभूनारायण सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के जफराबाद कोल्ड स्टोरेज में क्षेत्रीय किसानों का रखा हुआ हजारों बोरा आलू विद्युत की अनियमित आपूर्ति एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वर्ष 1981 में सड़ गया? क्या यह सत्य है कि इन किसानों को बुवाई हेतु न तो आलू उपलब्ध कराया गया और न ही क्षतिपूर्ति दी गयी?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां। शीतगृह में रखे 16213 बोरे आलू में से 1842 बोरे आलू सड़ गया। सड़े हुये आलू के क्लेम के भुगतान हेतु बीमा कम्पनी को लिखा गया है। बीमा कम्पनी से क्लेम मिलने पर अनुपातिक रूप से मुआवजा देने पर विचार किया जा सकेगा। शीतगृह किसानों को बुवाई हेतु आलू देने का कार्य नहीं करता है।

माननीय विधायक श्री राम स्वरूप वर्मा के पत्र में मुख्य बातें

*19–श्री राम स्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र उन्हें 17 दिसम्बर, 1981 को इस आशय का प्राप्त हुआ है कि अप्रैल, 1981 से सितम्बर, 1981 तक उ0 प्र0 में बन्ध्याकरण के कुल 40 हजार मामले हुए जबकि उत्तर प्रदेश से आधी

आबादी वाले महाराष्ट्र में 4 लाख मामले हुए? यदि हां, तो उक्त पत्र की मुख्य बातें क्या हैं और इस राष्ट्रीय महत्व के मामले में उ0 प्र0 सरकार की उपेक्षा का कारण क्या है?

श्री लोकपति–

जी हां, इस पत्र में परिवार कल्याण की प्रगति में उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की अपेक्षा सबसे पीछे होना बताया गया है। शासन द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के प्रति उपेक्षा नहीं बरती गयी है। विगत वर्षों की अपेक्षा नसबंदी आपरेशनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

*20–श्री राम आसरे वर्मा–

[11-2-82 को तारांकित प्रश्न संख्या–20 द्वारा उत्तरित]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों में राजकीय चिकित्सालयों में पुरुष तथा महिला डाक्टर के रिक्त पद

**1–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों में राजकीय चिकित्सालयों में जो 250 पुरुष डाक्टरों तथा 30 महिला डाक्टरों के स्थान 31-1-1982 को रिक्त थे उनके रिक्त रहने के क्या विशेष कारण हैं? उनको भरने के लिए शासन ने अब तक क्या कारगर उपाय किये हैं ?

श्री हरि सिंह–

गत वर्ष रिक्तियों के लिये अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे गये थे। पुरुष चिकित्सकों की रिक्तियां विज्ञापित हो चुकी हैं। चयन में शीघ्रता कराने के लिए शासन प्रयत्नशील है व साथ ही संभावित विलम्ब को देखते हुए तदर्थ नियुक्ति करना भी विचाराधीन है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, प्रश्न को देखने की कृपा करें। गढ़वाल चमोली में 250 तो डाक्टर नहीं है और 30 महिला डाक्टर नहीं हैं, तो मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह रिक्तियां कब से खाली पड़ी हुई हैं और जो आप ने अधिसूचना दी है कब तक आप उम्मीद करते हैं कि इन अस्पतालों में डाक्टर पहुंच जायेंगे?

श्री हरि सिंह–

मान्यवर, डाक्टर तो हम जल्द से जल्द भिजवाने का प्रयत्न करेंगे लेकिन जो आपने पूछा है कि वहां पर अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। जो भी अस्पताल वहां पर हैं उनमें एक न एक डाक्टर अवश्य है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है और वहां पर डाक्टर है। मेरी व्यक्तिगत सूचना है कि वहां पर 17/18 ऐसे अस्पताल हैं जहां तीन साल से एक भी डाक्टर नहीं है। क्या मंत्री जी उन अस्पतालों की लिस्ट बता देंगे जो कि पौड़ी गढ़वाल में इस तरह से तैनात हैं? मान्यवर, 3/4 वर्ष से कुछ अस्पतालों में वहां पर एक भी डाक्टर

नहीं है।

श्री हरि सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा कि जिन जिलों का जिक्र किया गया है वहां पर ऐसी बात नहीं है कि एक भी डाक्टर अस्पतालों में न हो। अस्पतालवाइज डाक्टरों का नाम तो मैं इस समय नहीं बता सकता, माननीय सदस्य मुझे लिखकर देंगे तो मैं उनको सूचना दे दूंगा।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, सवाल में पूछा गया है कि रिक्तियां रहने के विशेष कारण क्या हैं तो पहले तो माननीय मंत्री जी यह बतायें कि इन रिक्तियों के क्या कारण हैं और दूसरे इन रिक्तियों को भरने के लिये शासन ने कौन से विशेष कदम उठाये हैं?

श्री हरि सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि रिक्तियों के कारण क्या हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां डाक्टरों की कमी है और दूसरे डाक्टर लोग पहाड़ी एरियाज में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे अपनी नियुक्ति मैदानी क्षेत्रों में ही ज्यादातर चाहते हैं। बहुत कम डाक्टर पहाड़ों में जाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा आपका प्रश्न यह था कि पर्वतीय क्षेत्र के डाक्टर नियुक्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं? उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमने कमीशन को पोस्ट एडवर्टाइज करने के लिये भेज दिया है और ये पोस्ट्स एडवर्टाइज हो भी चुकी हैं। इसके लिए हमने एक पर्वतीय संवर्ग बनाया है और जो डाक्टर नियुक्त किये जायेंगे वे पहाड़ों के लिये किये जायेंगे, वह पहाड़ी एरियाज में ही रहेंगे और जब तक उनका प्रमोशन नहीं होता तब तक उनका ट्रांसफर नहीं किया जायेगा। साथ ही जैसा कि हमने मूल जवाब में भी कहा है कि यदि कमीशन से भरती होने में डिले होती है तो हम तदर्थ नियुक्ति करने के लिए तैयार हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैदानी क्षेत्र के डाक्टर पहाड़ी क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बहुत से पर्वतीय क्षेत्र के डाक्टर मैदानी क्षेत्रों में नियुक्त हैं तो क्या उन पर्वतीय क्षेत्र के डाक्टरों को जो कि मैदानी क्षेत्रों में तैनात हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे? ताकि ये रिक्तियां पूरी हो जांय?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों के जो डाक्टर मैदानी क्षेत्रों में तैनात हैं, क्या शासन कुछ ऐसा विचार कर रहा है कि इन डाक्टरों को मैदानी क्षेत्रों से उतार कर पर्वतीय क्षेत्रों में वापस कर दें?

श्री हरि सिंह–

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया पहाड़ी एरियाज में कोई जाना नहीं चाहता। इस पर भी हम विचार कर लेंगे कि वे लोग पर्वतीय क्षेत्रों में चले जायं।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

इसीलिये तो मान्यवर, मैंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में जो पर्वतीय क्षेत्रों के डाक्टर तैनात हैं, उनको वहां ट्रांसफर कर दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि लोक सेवा आयोग को ये पोस्ट्स संदर्भित कर दी गई हैं, तो क्या ये जगहें पूरे प्रदेश की नियुक्ति के सम्बन्ध में हैं या शासन ने कोई ऐसी नीति तय की है कि पर्वतीय क्षेत्र के डाक्टरों के लिए अलग से एक हिल कैडर बनाया जाय और ये जगहें केवल वहीं के लिए हों ?

यह जो कमीशन से पोस्ट मांगी गयी है यह इसके तहत मांगी गयी है या जनरल पोस्ट मांगी गयी हैं ?

श्री हरि सिंह–

पोस्ट जो अभी एडवरटाइज की गयी हैं वह सारे उत्तर प्रदेश भर के लिए हैं ।

श्री रियासत हुसैन–

तो फिर वही मसला सामने आयेगा।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे माननीय प्रश्नकर्ता संतुष्ट नहीं हुए। मैं उसी संदर्भ में पूछना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी के पास बहुत बड़ा निदेशालय है हजारों आदमी उसमें काम करते हैं । तो क्या उस निदेशालय के पास आज की तारीख में ऐसी कोई सूचना है जिसके आधार पर वह यह बता सकें कि पर्वतीय क्षेत्रों में संदर्भित गढ़वाल और कुमायूं मंडलों में कितनी जगहें खाली हैं जहां कि डाक्टर नहीं हैं?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, 400 स्थान पर्वतीय क्षेत्र में रिक्त हैं और 2368 डाक्टरों की कमी सारे प्रदेश में है। जब 15 फरवरी को सदन में विभाग का बजट प्रस्तुत हुआ था हमने बताया था सदन को कि जो नया रेक्रयूटमेन्ट होने जा रहा है उसी में यह किया है कि हर व्यक्ति को दो वर्ष तक पर्वतीय क्षेत्र में काम करना आवश्यक होगा और हर व्यक्ति को जो नया रेक्रूटमेन्ट होगा उसको मैदानी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में काम करना आवश्यक होगा। सदन को यह भी अवगत कराया था उन लोगों का प्रमोशन नहीं होगा जिन्होंने दो वर्ष का कार्य पर्वतीय क्षेत्र में न किया हो। पर्वतीय क्षेत्रों में उन लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं । जहां तक डाक्टरों की कमी का प्रश्न है महिला और पुरुष चिकित्सकों की कमी है उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन से कहा जा रहा है कि एक शार्ट सर्विस कमीशन नियुक्त करके तत्काल हमारी पूर्ति करे, अगर इसमें विलम्ब होगा तो जैसा उत्तर दिया गया है हम तदर्थ नियुक्ति की व्यवस्था कर इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु के अंदर यह नियुक्तियां करके जगहें भर देंगे।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं (व्यवधान) जब मैं सर्वप्रथम विधायक बन कर यहां आया था तो सदन का मुझे ज्ञान नहीं था और एक

प्रश्न आया था मैंने पूछा था कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जहां बिजली के अभाव में एक्स-रे मशीन बन्द पड़ी है वहां पर जनरेटर लगाने की व्यवस्था करेंगे और मैंने यह भी पूछा था कि जहां डाक्टर नहीं है कम्पाउण्डर नहीं है और स्वीपर दवा बांट रहे हैं, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जवाब दिलवाया था और मंत्री जी ने कहा था कि तुरन्त चिकित्सकों की व्यवस्था कर देंगे। आज दो वर्ष बीत चुके हैं आज मंत्री जी कहते हैं नियुक्तियां करने जा रहे हैं और कहा कि लोक सेवा आयोग से अभिज्ञापित कर दिया है और अगर वह नियुक्तियां नहीं करता है तदर्थ नियुक्तियां करेंगे तो कब तक वह नियुक्तियां कर देंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय विष्ट जी, अब मैं पीठ से नहीं पीठासीन होकर पूछता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आप अपनी पीठ से उत्तर दे दीजिये।

श्री लोकपति–

मान्यवर, 30 जून तक यह नियुक्तियां कर दी जायंगी।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि हम बहुत शीघ्र रिक्तियों की पूर्ति कर देंगे–लेकिन हमारी व्यक्तिगत जानकारी में है कि बहुत से डाक्टर्स पर्वतीय अंचल में जाते हैं हाजिरी दे आते हैं और हाजिरी देकर बाहर आ जाते हैं। यही कारण है कि आपकी रिपोर्ट में अस्पताल में डाक्टर तो हैं, परन्तु डाक्टर वहां नहीं पहुंचे हैं, वह छुट्टी लेकर घर बैठे हैं। तो मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसे डाक्टरों पर कोई कार्यवाही करेंगे? और पर्वतीय अंचल में जो डाक्टर यहां से जाना चाहते हैं, उनको अविलम्ब यहां से भेजने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति–

ऐसे डाक्टरों की यदि आपके पास कोई सूची हो तो दे दें, हम अनुशासनात्मक कार्यवाही करा देंगे और जो डाक्टर जाते हैं, उनको हम भेजते हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मंत्री जी ने बताया कि 400 डाक्टरों के पद पर्वतीय अंचलों में और 2,300 मैदानी क्षेत्र में खाली हैं, तो मैं इस सन्दर्भ में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन को कुल कितने पद भरने के लिए लिखा है और पब्लिक सर्विस कमीशन ने कितनों पदों को प्रसारित किया है?

श्री लोकपति–

लगभग 1500 पदों की सूची पब्लिक सर्विस कमीशन को जा चुकी है और 16/17 मार्च को 1000 या 900 पदों की और सूची जा रही है। हमने यह निर्णय किया है और उसके अनुसार उनसे यह अनुरोध किया जा रहा है कि लखनऊ में एक शार्ट सर्विस कमीशन बनाकर इनकी नियुक्तियां कर दें।

श्री रियासत हुसैन–

यह देखते हुए कि वह पिछले दो सालों से प्रयास कर रहे हैं कि खाली स्थान पहाड़ों पर भरे जायं, लेकिन वह भरते नहीं हैं और जो भरते भी हैं वह खाली हो

जाते हैं, इस्तीफा तक लोग दे देते हैं, तो क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसको रोकने के लिए उन्हें कोई विशेष आकर्षण देने और विशेष कम्पलशन लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री लोकपति–

विशेष आकर्षण और विशेष अनुशासन दोनों का इसमें पालन किया जा रहा है और किया गया है । 75 रुपया प्रति डाक्टर अतिरिक्त भत्ता पर्वतीय क्षेत्र के लिए दिया जायेगा और श्रीमन्, जो डाक्टर वहां नहीं जायेगा, उसको भविष्य में कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, यह आदेश प्रसारित हो चुके हैं ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप एक आखिरी सवाल कर लें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल में बहुत से ट्रेण्ड महिला चिकित्सक और पुरुष चिकित्सक पड़े हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप मंत्री जी से पूछ रहे हैं या बता रहे हैं ?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

तो क्या वह उनकी नियुक्ति करके उनको पर्वतीय अंचल में ही रहने देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

25 या 50 कदम आपको (श्री विष्ट) चलना होगा, उधर से इधर आने पर आप इनको बता सकेंगे ।

एक सदस्य–

इसके लिए तो वह तैयार बैठे हैं।

अतारांकित प्रश्न

उपनिदेशक, भारतीय जनसंख्या परियोजना, देवरिया द्वारा जिले के बाहर फर्नीचर क्रय किये जाने का आदेश

1–श्री हरिवंश सहाय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपनिदेशक, भारतीय जनसंख्या परियोजना, देवरिया ने जिले के बाहर फर्नीचर क्रय करने हेतु आदेश दिए हैं? यदि हां, तो क्या शासनादेश संख्या 1115/(एस0 पी0) 18-ई-84 एस0 पी0-69, दिनांक 17-2-69 एवं शासनादेश संख्या 2169(1)/18(2), दिनांक 15-9-73 में दिए गए आदेश का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

नोट–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री लोकपति–

जी हां। परन्तु इससे शासनादेशों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

जनपद देवरिया में कार्यरत सहकारी संस्था तथा गोरखपुर में उद्योग निदेशालय से क्रय किया गया फर्नीचर

2–श्री हरिवंश सहाय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में फर्नीचर्स निर्माण करने वाली संस्था सहकारी समिति तथा पंचायत उद्योग, कार्यरत है? यदि हां, तो जिले के बाहर से माल क्रय करने का क्या औचित्य है?

श्री लोकपति–

जी हां। जनपद देवरिया में कार्यरत सहकारी संस्था से भी फर्नीचर क्रय किया गया। स्टील आलमारी तथा कुछ फर्नीचर का क्रय गोरखपुर में उद्योग निदेशालय में पंजीकृत फर्म से किया गया।

झांसी स्थित तालाब के जीर्णोद्धार हेतु योजना

3–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी स्थित पानी वाली धर्मशाला नामक तालाब के जीर्णोद्धार के लिए शासन ने क्या कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो सुधार कब से प्रारम्भ होगा?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल में चिकित्सा अधिकारियों, फार्मेसिस्ट और स्वास्थ्य निरीक्षकों के स्वीकृत पद तथा रिक्त पदों की संख्या

4–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, तथा श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल में कितने चिकित्सा अधिकारियों, फार्मेसिस्ट और स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद 31-12-1982 को स्वीकृत थे और उनमें से इस तिथि को कितने पद रिक्त हैं तथा इसके विशेष कारण क्या है?

श्री लोकपति–

जी हां, दिनांक 31-12-81 को अपेक्षित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1307 पर।)

5–श्री राम आसरे वर्मा–

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त।]

विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में चीनी तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं और पुष्टाहार योजना के चावल की चोर बाजारी सम्बन्धी शिकायती पत्र

6–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में चीनी तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं और पुष्टाहार योजना के चावल की चोर बाजारी

के सम्बन्ध में दिनांक 10-11-81 को जनता पार्टी के भू0 पू0 एम0एल0ए0 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने जिलाधिकारी, फैजाबाद को एक पत्र भेजकर शिकायत किया है? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और शिकायतों की जांच करा कर दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वासुदेव सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

गढ़वाल जल संस्थान का मुख्यालय पौड़ी स्थानान्तरित करने विषयक पत्र

7–श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के विधायकों तथा जनता ने कोई ऐसी मांग 1980-81 में की है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी की पेयजल योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से चालू करने के लिए गढ़वाल संस्थान का मुख्यालय पौड़ी स्थानान्तरित कर दिया जाय? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा।

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

गढ़वाल जल संस्थान का मुख्यालय पौड़ी स्थानान्तरित करने के विषय में माननीय विधायकों एवं जनता से कोई पत्र सन् 1980-81 में नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री एनिजाद हुसैन, नर्सिंग असिस्टेन्ट की पेंशन तथा संयुक्त निदेशक द्वारा अविलम्ब भुगतान के आदेश

8–श्री उदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एनिजाद हुसैन पुत्र श्री इरशाद हुसैन, स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग असिस्टेंट के पद से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुदौली, जिला बाराबंकी से 31 अक्तूबर, 78 से सेवा निवृत्त हो गये हैं? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अभी तक इनकी पेंशन मन्जूर नहीं की गयी और पेंशन के कागजात सी0 एम0 ओ0, बाराबंकी के यहां अधूरा पड़ा है, ऐसा क्यों?

श्री लोकपति–

जी हां।

पेंशन महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा मंजूर की जाती है। श्री एनिजाद हुसैन के पेंशन से संबंधित समस्त अभिलेख सेवा पुस्तिका सहित महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक 3-2-82 को उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेज दिये गये हैं।

9–श्री उदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि संयुक्त निदेशक (बाल रोग), उ0 प्र0 ने अपने पत्रांक 4–(दो)230 ई0/46 पार्ट-2/4597, दिनांक 18 मार्च, 81 के द्वारा सी0एम0ओ0, बाराबंकी को लिखा कि पत्र पाने के पन्द्रह दिन के अन्दर ही पेन्शन

का भुगतान कर दिया जाय? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि 8 माह बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई? क्या यह भी सत्य है कि उनकी सेवा पंजिका भी विभाग में नहीं है।

श्री लोकपति–

जी हां। परन्तु कागजात पूरे करने में कुछ अधिक समय लग गया।

पेंशन से संबंधित समस्त अभिलेख, सेवा पुस्तिका सहित महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु दिनांक 3-2-82 को भेज दिये गये हैं। अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होते ही उक्त धनराशि का भुगतान कर दिया जायगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीटी, जिला फैजाबाद की दयनीय स्थिति को सुधारने हेतु कार्यवाही

10–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीटी, जिला फैजाबाद की इमारत खराब हालत में है और बरामदा टूट गया है और डाक्टर नहीं है, आक्सीजन सेलेण्डर डेड पड़ा है और अस्पताल की हालत बहुत ही दयनीय है? यदि हां, तो अब तक डाक्टर क्यों नहीं भेजा गया और अस्पताल की दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति–

जी नहीं। वहां डाक्टर तैनात है।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, भटहट, जिला गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के सम्बन्ध में पत्र

11–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, भटहट, जिला गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के सम्बन्ध में कितने शिकायती-पत्र वर्ष 81 में शासन को मिले? क्या शिकायतों की जांच कराई गयी? यदि हां, तो कब एवं किस अधिकारी द्वारा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

तीन शिकायतें मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्राप्त हुई थीं। दो की जांच उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम) गोरखपुर द्वारा की जा चुकी है। तीसरी शिकायत दिनांक 24-4-1981 की जांच एस0 पी0 एम0, बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर में जारी किया गया कोयले का लाइसेन्स तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वरीयता

12–श्री कल्लूराम रत्नाकर–

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981-82 में जनपद मिर्जापुर में कोयले का लाइसेन्स कितने व्यक्तियों को दिया गया है? उसमें कितने व्यक्ति अनुसूचित

जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के हैं व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को क्या वरीयता दी गयी है? यदि वरीयता नहीं दी गयी, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह–

जिले से प्राप्त सूचनानुसार जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1981-82 में अब तक 6 व्यक्तियों के नाम से कोयले के लाइसेन्स जारी किये गये हैं, जिनमें से 2 व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं।

जी हां।

इसका प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर जनपद में सहकारी समितियों द्वारा चीनी, चावल, गेहूं व मिट्टी के तेल के वितरण में अनियमितता की जांच

13–श्री राम नारायण सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्तूबर, 1981 में गाजीपुर जनपद में किन-किन सहकारी समितियों को कितनी मात्रा में चीनी, चावल, गेहूं एवं मिट्टी का तेल वितरण के लिए दिया गया और क्या यह सही है कि अधिकांश मात्रा में गलत ढंग से इन वस्तुओं की काला बाजारी की गयी है? क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में गुप्तचर विभाग की जांच कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

समिति वार विस्तृत सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

जी नहीं।

जी नहीं। जनपद की जिन चार सहकारी समितियों द्वारा वितरण में अनियमितायें की गई थीं उनसे सम्बद्ध दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा चुकी है। अतः गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले की सहकारी समितियों के नाम तथा उनके सचिव एवं सेल्समैनों की सूची

14–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की कृषि ऋण समिति के अतिरिक्त कितनी प्रकार की समितियां हैं? उनके कौन-कौन सचिव एवं सेल्समैन हैं? इन समितियों को जून, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक कितना कपड़ा, गल्ला, तेल, चीनी दिया था? यह सही है कि प्रबन्धक महोदय, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश के परिपत्र के प्रतिकूल किन-किन समितियों को दिया गया है इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

बस्ती जिले में कृषि ऋण समितियों के अतिरिक्त 11 प्रकार की समितियां हैं। पूरी† सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है। इन समितियों को जून, 1981

---

† (छापी नहीं गयी)

से दिसम्बर, 1981 तक 7,00,575 रु0 का कपड़ा, 40,55,118 रु0 का गल्ला, 10,47,738 रुपये का मिट्टी का तेल तथा 35,54,636 रु0 की चीनी दी गई है।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

जिला सहकारी बैंक लि0 बरेली में सेवा मंडल के अनुमोदन के बिना पदोन्नति पदों पर कार्यरत कर्मचारी

15—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, बरेली में कितने कर्मचारी सेवा मण्डल के बिना अनुमोदन के पदोन्त पदों पर कार्य कर रहे हैं तथा विभाग एवं सेवा मण्डल ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जिला सहकारी बैंक लि0, बरेली में पांच कर्मचारी सेवा मण्डल के अनुमोदन के बिना पदोन्नत पदों पर कार्यरत हैं ।

विभाग एवं सेवा मण्डल द्वारा इन कर्मचारियों को प्रत्यावर्तित करने हेतु जिला सहकारी बैंक लि0, बरेली को निर्देश दिए जा चुके हैं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवबन्द, जिला सहारनपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा0 गोयल द्वारा पेड़ों को कटवाने के विरुद्ध कार्यवाही

16—श्री राम स्वरूप निम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवबन्द, जिला सहारनपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, डा0 गोयल, ने एक सिसी, दो शीशम, ग्यारह लिप्टस के पेड़ वर्ष 1980-81 में अपने निजी कार्यों के लिए काटे थे, इस संबंध में कोई जांच की गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा दोषी डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

जी नहीं । प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के फलस्वरूप भवन निर्माण होने वाले स्थान के पास एक सोरस का पेड़ भवन के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हानिकारक बताए जाने पर डा0 गोयल ने उक्त पेड़ को रुपया 200/- में नीलाम करके उक्त धनराशि राजकीय कोष में 5 जनवरी, 1981 को जमा की । ठेकेदार द्वारा उक्त पेड़ को कटवाते समय उसके पास का शीशम गिर गया जिसे डा0 गोयल ने नीलाम नहीं किया बल्कि ठेकेदार को उठा ले जाने की अनुमति दे दी । इस अनियमितता के कारण उक्त शीशम के पेड़ की अनुमानित कीमत 800 रुपए की उनके वेतन से वसूली करने के आदेश 9 जून, 1981 को दिए गए और उन्हें चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि कर कड़ी चेतावनी दी गयी।

नगरीय मलेरिया योजना, मेरठ में नियमित रूप से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति

17—श्री पूरनचन्द्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरीय मलेरिया योजना, मेरठ के अन्तर्गत कितने ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जो हाई स्कूल उत्तीर्ण हैं तथा पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से नियमित रूप से कार्यरत रहते हुए भी उन्हें शासनादेश संख्या 37/1/1967—कार्मिक—2, दिनांक 21 अगस्त, 1976 के अनुसार वर्ग-3 में प्रोन्नत का अवसर अभी तक नहीं दिया गया है और न ही शासन के आदेशानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का तृतीय श्रेणी के पदों पर प्रोन्नति का कोटा पूर्ण किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति—

नगरीय मलेरिया योजना, मेरठ में 90 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले हाई स्कूल पास 5 कर्मचारी हैं । प्रश्न में संदर्भित शासनादेश के अनुसार प्रत्येक वर्ष वर्ग—3 के रिक्त पदों का केवल 10 प्रतिशत कोटा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु निर्धारित है । इस अनुपात से नगरीय मलेरिया योजना, मेरठ में वर्ग—3 के इतने पद रिक्त नहीं हुए कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति निर्धारित कोटे के अनुसार की जाती ।

लखनऊ स्थित तालकटोरा आवास योजना में बिना भूमि के या कम भूमि की जगह अधिक अर्जित भूमि के नाम पर धोखाधड़ी तथा जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा कैसरबाग कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

18—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ स्थित तालकटोरा आवास योजना में बिना भूमि के या कम भूमि की जगह अधिक अर्जित भूमि के नाम पर सैकड़ों व्यक्तियों ने चार करोड़ से अधिक धनराशि सरकार को धोखा देकर प्राप्त किया जिसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग 1978 से कर रहा है ? इस सम्बन्ध में क्या कोई अंतरिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

19—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह भी सच है कि तत्कालीन जिलाधिकारी, लखनऊ ने इस संबंध में कैसरबाग कोतवाली में कोई रपट भी दर्ज करायी थी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?, क्या पूरा विवरण सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आज अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर की सूची पर मंत्री जी के हस्ताक्षर न होने पर आपत्ति

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आज के एजेण्डे पर 14वें नम्बर पर मेरा एक अतारांकित प्रश्न था सहकारिता विभाग के संबंध में, मंत्री जी ने उसका इसमें जवाब दिया है कि पूरी सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है । तो जहां तक प्रश्न के उत्तर का संबंध है उस पर तो माननीय मंत्री जी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए लेकिन जो सूची दी उस पर जिला सहायक निबंधक, सहकारी समिति के हस्ताक्षर हैं । तो मैं जानना चाहता हूं क्या इस प्रकार से उत्तर देना सदन की मर्यादा के अनुकूल है ?

श्री उपाध्यक्ष–

वैसे तो प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका था लेकिन आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैंने आपको परमीशन दी थी पर आपने अपने प्रश्न को खुद ही 2 हिस्सों में बांट दिया । एक में लिस्ट और दूसरे में प्रश्न का उत्तर । आपने कहा कि उत्तर पर तो मंत्री जी के हस्ताक्षर हैं लेकिन लिस्ट पर हस्ताक्षर कार्यालय के अधिकारी के हैं।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, सूची भी उत्तर का भाग है और पद्धति यह है कि उस पर भी माननीय मंत्री जी के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न का नम्बर बता दें ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

यह अतारांकित प्रश्न संख्या 14 है ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है । इसको देखने के बाद मैं अपना निर्देश दे दूंगा ।

विश्व विख्यात शायर, श्री रघुपति सहाय "फिराक, गोरखपुरी" के निधन पर शोकोद्गार

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपके सामने गम्भीर मन से निधन का यह संदेश प्रस्तुत कर रहा हूं ।

माननीय नेता सदन के स्थान पर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री पहले अपनी भावनायें व्यक्त करेंगे ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, आज बहुत ही दुःख के साथ इस सदन को यह सूचना देनी पड़ रही है कि कल पद्मभूषण माननीय रघुपति सहाय फिराक जी का स्वर्गवास हो गया । उनका जन्म 28 अगस्त, 1896 में गोरखपुर में हुआ था । इनके पिता का नाम श्री गोरख प्रसाद था जिन का उर्दू में "इबरत" तखल्लुस था । पहले इनकी शिक्षा गोरखपुर में हुयी और फिर वर्ष 1918 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी0 ए0 पास किया । वर्ष 1923 में फिर उनका चयन आई0 सी0 एस0 में हो गया और उस जमाने में आई0 सी0 एस0 के लिए लोग बेचैन रहते थे । उन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में अफसर बनना पसन्द नहीं

[श्री अम्मार रिजवी]

किया और वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और उनको 1 1/2 साल जेल में भी रहना पड़ा । विश्वविद्यालय में वे प्राध्यापक की हैसियत से काम करने लगे । अंग्रेजी के विद्वान होते हुए उन्होंने उर्दू की शायरी शुरू की और थोड़े ही दिनों बाद उनकी उर्दू की शायरी की छाप सारे हिन्दुस्तान में पड़ी और उनकी शोहरत हुयी । वे दर्शन शास्त्र में भी और जिस विद्या का अध्ययन किया, जिस चीज को देखा ऐसा मालूम पड़ता था, फिराक साहब उसके ही प्रोफेसर हैं ।

माननीय फिराक शायर थे, विद्वान थे । उनकी शायरी, उनकी शोहरत, उनका जो ऐम था, उनकी जो विद्या थी, जिस व्यक्ति ने पढ़ी और जो उनके सम्पर्क में आया, उनसे प्रभावित हुआ । आज उनके न रहने से उर्दू अदब में ही एक कमी महसूस नहीं हो रही है, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों की फेहरिश्त में से एक सिपाही और चला गया जिसने अपनी कलम से सारे हिन्दुस्तान को जगाया था । एक साहित्यकार, एक शायर, और एक कवि होते हुये भी उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवाद से पूरी तरह से लोहा लिया था । इनके निधन की खबर सुन कर जैसा कि प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है—कुछ ही रोज हुये जोश साहब रुखसत हुये और आज फिराक साहब की बारी आ गयी, उर्दू साहित्य की दो महान विभूतियां हमारे बीच में नहीं रहीं—यह बिल्कुल सही कहा है ।

वास्तव में फिराक साहब के चले जाने के बाद आज एक ऐसी कमी महसूस हो रही है जो पूरी होने वाली नहीं है । वे एक युग थे, उनकी शायरी आने वाली नस्ल के लिये एक सीख थी, आने वाली नस्ल उससे सदा प्रभावित होती रहेगी । उन्होंने खाली नगमें ही नहीं लिखे, हिन्दुस्तान में दिन प्रति दिन होने वाली समस्याओं के प्रति भी अपना दुख दर्द दिखाते हुये रचनायें लिखीं । उनकी शायरी में उस सब का पता चलता है । कुछ दिन पहले जब जोश साहब का इन्तकाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि यह कितने दुख की बात है कि मैं आज जिन्दा हूं यह सुनने के लिए। वे आज नहीं रहे, पर उनके गीत, उनकी शायरी, उनके नगमें हमेशा-हमेशा जिंदा रहेंगे। उनका निधन भारतवर्ष की सारी जनता के दिलों को हिला देने वाली एक घटना है । जिसने भी इस खबर को सुना होगा दुखी हुआ होगा । अभी कुछ दिन पहले मान्यवर, फिराक साहब ने यह शब्द कहे थे—

"अब तुमसे रुखसत होता हूं आओ सम्भालो साजे गजल,
नये तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है ।"

मान्यवर, फिराक साहब की नगमें और फिराक साहब हमेशा जिन्दा रहेंगे । जब तक यह इन्सान रहेगा, उसके मुंह में उनके शब्द रहेंगे और उनके नगमें उनके शब्दों के जरिये आने वाली नस्ल को प्रभावित करते रहेंगे । उनके निधन की खबर सारे सदन को हिला देने वाली खबर है और इससे पूरा प्रदेश, पूरा देश, प्रभावित हुआ है, और दुखी है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे दल की भावनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें, वैसे उनका परिवार तो सारा भारतवर्ष ही है ।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी स्वर्गीय श्री रघुपति सहाय, "फिराक, गोरखपुरी" साहब के निधन पर जो शोकोद्गार अभी नेता सदन की ओर से माननीय सार्वजनिक निर्माण

मंत्री जी ने व्यक्त किये, उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। यह सही है कि फिराक साहब एक बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। उन्होंने बी0 ए0 परीक्षा पास करने के बाद आगरा विश्वविद्यालय से एम0 ए0 पास किया और उसके बाद वे डिप्टी कलेक्टर हो गये, उसके बाद उन्होंने आई0 सी0 एस0 पास किया जिसमें उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वे केवल हिन्दुस्तान के ही नहीं, बल्कि दुनिया में जितने भी लोग उर्दू प्रेमी हैं, उन्हें उनसे मोहब्बत थी और उन लोगों को फिराक साहब ने एक नयी रोशनी दी थी। यह एक दुखद अवसर है, दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी है कि इसी सत्र के चलते हुए आज हम चोटी पर के एक दूसरे सुविख्यात शायर के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं।

मान्यवर, उनकी शायरी एक बहुत ही विद्वतापूर्ण होती रही है। हिन्दुस्तान की आजादी में उन्होंने जो कुछ कहा है, अपने शेर में उससे बहुत प्रेरणा मिलती रही, उत्साह मिला, ताकत मिली, जोश मिला। जाहिर है मान्यवर, आई0 सी0 एस0 होने के बाद पूज्य गांधी जी के स्वराज्य आन्दोलन के आवाह्न पर फिराक साहब ने उस समय के आई0 सी0 एस0 के मोह को त्याग दिया, छोड़ दिया। मान्यवर, बहुत कम लोग इस तरह के हिन्दुस्तान में मिलेंगे। गिने-चुने लोग हैं, जो उस जमाने में अंग्रेजी काल में आई0 सी0 एस0 का मोह छोड़ के, नौकरी छोड़ के वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े हों, डेढ़ साल की उनको सजा मिली। तो मान्यवर, यह हमारे देश के लिए एक गौरव की बात है कि ऐसे फिराक साहब जो अंग्रेजी काल में आई0 सी0 एस0 के होते हुए, नौकरी में होते हुए, उन्होंने उसका मोह छोड़ा और आजादी की लड़ाई में आये। मान्यवर, हम सब लोगों को उनके निधन से बहुत दुख है, बहुत गहरा दुख है, बहुत शोक है। मान्यवर, उनका एक बहुत ही झूमने वाला एक अच्छा शेर अर्ज है–"कभी हयात के, कभी मौत के झरोखे से, कहां-कहां से मुझे इश्क ने पुकारा है।" मान्यवर, इन लफ्जों के साथ, अपने दुखी शब्दों के साथ मैं फिराक साहब के श्री चरणों में अपने और अपने दल की तरफ से शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप से मान्यवर, आग्रह करता हूं कि हमारे दल की शोक श्रद्धांजलि फिराक साहब के सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अकबाल हुसैन–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और मेरा दल, जो विचार नेता सदन की तरफ से माननीय अम्मार रिजवी साहब ने तथा नेता विरोधी दल की तरफ से माननीय मोतीलाल देहलवी ने रखे हैं, उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, आज इस देश में इस देश का वह लाल नहीं रहा, जिसके ऊपर पूरे देश को फक्र था। मान्यवर, रघुपति सहाय फिराक को आज स्वर्गीय कहते हुए कलेजा मुंह को आता है। वह इस देश के वह सपूत थे, जिन्होंने, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का आधिपत्य और राज्य था, तो उस जमाने में उस वक्त जो आई0 सी0 एस0 की कुर्सी होती थी, उसको ठुकरा कर वह जंगे आजादी में, महात्मा गांधी की आवाज पर कूद पड़े। आई0 सी0 एस0 की कुर्सी को ठुकरा कर कुछ सालों तक जेल में रहे और इस तरह से उन्होंने जंगे आजादी में हिस्सा लिया। रघुपति सहाय फिराक को अंग्रेजी अदब में विशेषता तो थी ही, साथ ही उन्हें हिन्दी–उर्दू पर भी गुरूर हासिल था। आज उनके लिए हमारा सिर फक्र से ऊंचा है।

[श्री अकबाल हुसैन]

फिराक साहब की एक रुबाई मैं कहना चाहता हूं—

जहां वजूदों अदम का नहीं गुजारा है,
वहीं से आज तेरी याद ने पुकारा है,
मैं आसमां से मोहब्बत रुखस्ते शब हूं,
तेरा ख्याल कोई टूटता सितारा है ।

फिराक साहब हिन्दुस्तान के नहीं बल्कि पूरे संसार के इल्म और अदब के शायर थे । उनके न रहने से आज सब की आंखे नम होती हैं । मैं इन शब्दों के साथ अपने दल और अपनी ओर से शोक सन्तप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी इन भावनाओं को शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

श्री फखरे आलम—

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रोफेसर रघुपति सहाय "फिराक, गोरखपुरी" की मौत से अंजुमन और एक युग का खातमा हो गया । वह एक शायर ही नहीं थे, हिन्दुस्तान की जंगे आजादी में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है । उनके पढ़ाये हुए शागिर्द सारे हिन्दुस्तान में, इस कान्टीनेन्ट में फैले हुए हैं । इस सदन में भी उनके शागिर्द मौजूद हैं । फिराक साहब उन शायरों में थे जो जोश साहब के जाने के बाद उस नस्ल के आखिरी शायर थे । उन्होंने कहा था—

फिराक सुनने वालों में गर दिल होता,
आसाक होती है आसार में बातें नहीं होती ।

फिराक साहब के नगमों में हकीकत होती थी, उन्होंने सोते हुए को जगाया है, झकझोरा है । उन्होंने हिन्दुस्तान की तहजीब को आगे बढ़ाया है । अब उनके जानने वाले बहुत कम रह गये हैं । फिराक साहब मरे नहीं, वह मर कर अमर हो गए । यह बहुत ही खुशी की बात है कि उनकी जिन्दगी में ही उनके अंजुमन का अन्य भाषाओं में तर्जुमा करके शाया की गयी । श्रीमन्, दाग के मरने में इकबाल ने एक मर्सिया पढ़ा था ।

हूबहू खींचेगा लेकिन इश्क की तस्वीर कौन,
उठ गया नावक फिगन मारेगा दिल पर तीर कौन,

मान्यवर, फिराक साहब जो बात कहते थे वह नश्तर की तरह, तीर की तरह होती थी लेकिन वह ऐसा नश्तर होता था जिससे जख्म पैदा करके आजादी की ओर बढ़ने के लिये कायम कर दिया । मुझे अफसोस है कि आज वह हमारे बीच से चले गये । अभी उनका आपरेशन हुआ था आपरेशन के बाद आशा थी कि वह ठीक हो जायेंगे और इल्म और अदब की और खिदमत करेंगे लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था ।

आने वाली नस्लें फख्र करेंगी हम असरों तुम पर,
जब यह कहोगे तुम उनसे हमने फिराक को देखा है ।

जब फिराक को जानने वाले आने वाली नस्लों से कहेंगे कि हमने फिराक को देखा है । उनके नगमों को उनके मुंह से सुना है तो वह फख्र करेगी । इन अल्फाजों के साथ माननीय अम्मार रिजवी और माननीय मोती लाल देहलवी ने जो कुछ कहा है, उनके सम्बन्ध में, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी और मेरे दल की भावना शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी स्व0 फिराक साहब के संबंध में जो उद्गार मा0 सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री अम्मार रिजवी, उप नेता विरोधी दल तथा अन्य दल के नेता ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, फिराक साहब एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उर्दू के शायर थे और शायर ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी योग्यता थी । आजादी की लड़ाई में उन्होंने हमारी अगुवाई की लेकिन आज वह हमारे बीच से चले गये । उन्होंने एक शेर कहा था–

न कोई सहारा न कोई ठिकाना,
चले जा रहे हैं चले जाने वाले ।

और आज फिराक साहब हमारे बीच से चले गये । लेकिन जो रोशनी और भावनायें हमारे सामने व्यक्त कीं, वह हमेशा-हमेशा के लिये एक मार्ग दर्शन सिद्धान्त के रूप में बनी रहेंगी । मान्यवर, उन्होंने आई0 सी0 एस0 परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद जबकि गुलामी के समय इतना पढ़े-लिखे होना बहुत बड़ी चीज थी लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई में आये और सफल अध्यापक के नाते काम किया और उर्दू के माध्यम से अपनी आवाज को उठाते रहे । अंत में मैं एक शेर पढ़कर श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि हमारी और हमारे दल की भावनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें, गजल है–

जरा वशाल के बाद आईना तो देख ऐ दोस्त,
तेरे जमाने की रानाईयां निखर आयी हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तथा अपनी दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, स्वर्गीय रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी के संबंध में जो मा0 अम्मार रिजवी, उप नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, इस मा0 सदन को आज इस प्रदेश के ऐसे बड़े शायर और ऐसे शख्शियत शायर का गम देखना पड़ रहा है यह कुदरत का तमाशा है, खेल है कि आज एक आदमी की मौत के ऊपर पूरे प्रदेश और सदन में खुशी होती जहां, वहां दूसरे आदमी की मौत ने गम की चादर उसके ऊपर ढक दिया। मान्यवर, हमारे इस मा0 सदन से फिराक साहब का एक संबंध भी रहा है कि उनके भाई श्रीपति सहाय जी ने विधान सभा की बहुत दिनों रहकर सेवा की है । फिराक साहब एक शायर ही नहीं थे बल्कि एक अमली तरह से, इस मुल्क की आजादी में जंग हुई तो उसमें भाग लिया । जैसा कि पहले कहा गया वह आई0 सी0 एस0 की परीक्षा में कामयाब होने के बावजूद कुर्सी पर नहीं बैठे बल्कि जेल गये और मुल्क की आजादी में कूद पड़े । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कहना चाहता हूं कि सही मानों में फिराक साहब के लिये श्रद्धांजलि जभी होगी जबकि उनकी अंतिम ख्वाहिश पूरी की जाय कि इस देश और प्रदेश में उर्दू को ही बचा लें और यदि उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश किया, की यह सही श्रद्धांजलि होगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके दुखी परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने की आप कृपा करें ।

श्री लल्लू सिंह चौहान–

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिवंगत श्री फिराक साहब के देहावसान के बाद जो शोकोद्गार मा0 नेता सदन की तरफ से सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने और अन्य विपक्षी नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, फिराक साहब एक साधारण नागरिक नहीं थे। हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि हमारे वर्ग का, हमारे क्लास का कोई आदमी हमारे बीच से चला गया है। अध्यापक समझ रहे हैं कि हमारे बीच से कोई उठ गया है, साहित्यकार समझ रहे हैं कि हमारे बीच से कोई उठ गया है। हर कोई सोचता है कि हमारे बीच से कोई बड़ी शक्ति उठ गयी है। स्वतंत्रता प्रेमी, देश भक्त यह महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच से कोई चीज उठ गयी है। वह असाधारण व्यक्ति थे। इस देश और प्रदेश के जो विद्वान हैं, चाहे वह प्रशासन में काम कर रहे हैं, चाहे राजनीति में काम कर रहे हैं, चाहे वह हिन्दी या उर्दू की सेवा कर रहे हैं, वह सब महसूस कर रहे हैं कि फिराक साहब के न रहने से देश और प्रदेश की बहुत बड़ी क्षति हुयी है। उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है कि भारत मां का यह सपूत उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। कुछ दिन पहले जोश मलिहाबादी के संबंध में सदन में शोकोद्गार व्यक्त किये गये थे और आज हम फिराक गोरखपुरी के संबंध में शोकोद्गार व्यक्त कर रहे हैं। मैं बहुत ही भारी मन से अपने और अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इन भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, यह अनुचित है कि ऐसी परम्परा का जन्म हो।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, नेता सदन के साथ-साथ स्वर्गीय फिराक गोरखपुरी साहब के शिष्य भी रह चुके हैं।

श्री मोहन सिंह–

ऐसे इस माननीय सदन में बहुत लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

यह ऐसा मौका है कि मैं कुछ नहीं सुन पाऊंगा।

श्री मोहन सिंह–

इसलिये ऐसे मौके पर ऐसी परम्परा का जन्म नहीं होना चाहिये। यह अनुचित है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मेरे मन में भी बहुत दुख है। मैं भी कुछ कहूंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं स्वर्गीय रघुपति सहाय फिराक साहब के निधन पर शोक के दो शब्द कहने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूं, आपने जो अवसर दिया है, उसके लिए आभारी हूं। मान्यवर, एक शायर के दिल में अगर शायरी निकलती है तो फिराक साहब इस धरती के दिल से, जनता के दिल से, या तवारीख की वह भी एक शायरी ही थे। जब पूरा देश स्वतंत्रता संग्राम के लिए आन्दोलन हो रहा था तो उस मंथन के वह शक्ति बने और उस समय ब्रिटिश सल्तनत के चढ़ने की जो सीढ़ी थी उस पर जो पांव उनका था, उसे

उन्होंने खींच लिया और स्वतंत्रता संग्राम में लगे और जेल की यातनाएं सहीं । वह जनजन के कायल इसलिए बने कि वह अपनी शायरी में जन साधारण के संघर्ष, आंसुओं और निराशाओं को उन्होंने अपने शब्दों में पिरोया । जहां तक उनकी विद्वता का सवाल है, केवल उर्दू ही नहीं, संस्कृत और अंग्रेजी के बड़े भारी विशेषज्ञ थे । अंग्रेजी तो वह पढ़ाते ही थे । उस विद्यालय में मुझे भी पढ़ने का सौभाग्य रहा । उन्होंने साबित कर दिया कि एक दिये की बगल में दूसरा दिया जलाने से अंधकार नहीं होता है, दीपावली होती है । उर्दू के बगल में संस्कृत और उसकी बगल में अंग्रेजी और हिन्दी के जोड़ देने से प्रकाश पुंज बढ़ता है। और उर्दू की भाषा यहां पर उपजी, अपने प्रान्त में उपजी, इस धरती के जर्रे-जर्रे से निकली, उसको उन्होंने एक बहुत बड़ी सम्पदा दी है ।

आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, हम लोग शोकाकुल हैं । आपके माध्यम के द्वारा उनके परिवार के पास संवेदनायें पहुंचाने का आग्रह करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आदरणीय सदन और आदरणीय विधायकगण ।

आज इतना दुखद काण्ड मेरे जिम्मे आया है कि मैं उसका एक्सप्रेशन आपके सामने नहीं कर पा रहा हूं । यह रिफरेंस स्वर्गीय पद्म विभूषण रघुपति सहाय का कर रहा हूं या गोरखपुर के एक लाल का कर रहा हूं, मैं फर्क नहीं कर पा रहा हूं । सम्भवतः इन भावनाओं से प्रेरित होकर सदन की सामान्य मर्यादा को पीछे छोड़कर, सभी दलों के रिफरेंसेज के होने के बाद भी यह जानते हुए कि यदा-कदा भावावेश में मेरे पूर्व भी ऐसा हो गया है, मैंने मा0 विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को बोलने की इजाजत दी और इसका केवल एक मतलब है कि गोरखपुर के एक लाल के लिए कोई अपनी बात कहना चाहता था जो उसका विद्यार्थी रहा हो, मैं भी सौभाग्य या दुर्भाग्य से और मा0 मोहन सिंह जी भी सौभाग्य या दुर्भाग्य से जब जन्मे थे, तो उसी जिले की मिट्टी से जन्मे थे, जिसने 'फिराक' को पैदा किया था और स्वर्गीय "फिराक" का नाम जबान पर आने पर केवल यह भावना दिमाग में आने पर कि वे अब हमारे बीच नहीं रहे, कम से कम हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए बुद्धि को सन्तुलित रखना सम्भव नहीं रह गया था और न है । मेरा ख्याल है मा0 मोहन सिंह जी की बुद्धि ने उनका साथ दिया होगा । मैं नहीं जानता यह कितने विद्वान थे क्योंकि विद्वता की नाप तो वह करे, जो विद्वान हो, मैं उनकी विद्वता की नाप नहीं कर सकता । मैं नहीं कह सकता कि वे कितने त्यागी थे क्योंकि त्याग के बारे में वह कहे जो त्यागी हो । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आज कभी हिन्दी, कभी उर्दू, कभी अंग्रेजी, कभी फारसी, कभी कुछ और कभी कुछ, तमाम भाषाओं की बात आती है । स्वर्गीय फिराक, स्वर्गीय पद्म भूषण, गोरखपुर के लाल, फिराक गोरखपुरी, को अगर सभी भाषाओं का मूर्तिमान रूप कहा जाय, तो अनुचित नही होगा ।

कहा गया फिराक के बारे में कि वह उर्दू के शायर थे । निश्चित रूप से फिराक ने उर्दू स्क्रिप्ट में अपनी कविताओं को लिखा लेकिन फिराक की उर्दू में दजला और फरात की कलकलाहट नहीं थी । स्वर्गीय फिराक की भाषा में गंगा-जमुना का प्रवाह था । इससे बहुत बड़ा सबूत एकता का और क्या हो सकता है और एकता का यह मन्त्र अगर कहीं से फूंका जा सकता था तो वह गोरखपुर की धरती से फूंका जा सकता था जिसने सदियों पहले भगवान बुद्ध के मुंह से विश्व को दर्शन दिया । जिस दर्शन पर आज भी विश्व

[श्री उपाध्यक्ष]

चल रहा है और उसी धरती ने अपने एक दूसरे लाल को विश्व के सामने उपस्थित किया, फिराक ने भारतवर्ष के लिए क्या किया ? फिराक ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, फिराक ने हमारे उन जन-आन्दोलनों के लिए क्या किया, फिराक ने हमारी स्वतंत्रता के लिए क्या किया, इन बातों का जिक्र करना केवल एक समुद्र को बांधना है और समुद्र बांधा नहीं जा सकता, यह उसकी मर्यादा के विरुद्ध है । समुद्र उफान भी नहीं आता, यह भी उसकी मर्यादा के विरुद्ध है ।

फिराक में अपने में विद्वता, सलाहियत, एकता, समानता, त्याग, दर्शन और गोरखपुर की उस मिट्टी का, उस भावना का समुद्र था । आप सबने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं । मैं इससे आगे उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता । उनके परिवार में कौन-कौन है, जहां तक मेरी जानकारी है, वह यही है कि अगर परिवार का ताल्लुक केवल खून से है तो उनके दो भाई और हैं, और अगर परिवार का ताल्लुक विचारों से है, अगर परिवार का ताल्लुक कृत्यत्व से है तो यह पूरा विश्व उनका परिवार है और माननीय नेतागण एवं सदस्यगण, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी तो भावनाएं उनके समीप पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं है । वह तो उनमें समाहित हो गयी हैं लेकिन आपकी भावनायें निश्चित रूप से उनके खून से सम्बन्धित परिवार के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा ।

मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि दो मिनट उठकर धरती के उस लाल के लिए, गोरखपुर के उस प्राण के लिए, उनकी आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए ।)

चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जहरीली दवा से बेहोश करके लूटने व उक्त दवा से कतिपय यात्रियों की मृत्यु के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12.45 बजे अपराह्न]

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 में 17 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से आपको सूचित करना है कि 5 स्वीकृत की गई और शेष अस्वीकृत हुई । नम्बर एक, माननीय गौरी शंकर भैय्या।

एक सदस्य–

मान्यवर, एक धन्यवाद का प्रस्ताव है . . .

श्री मोहन सिंह–

इनके दल के नेता छविराम मार दिये गये हैं उनको श्रद्धांजलि का कोई प्रस्ताव रख रहे हैं, उस पर सम्भवतः कोई संवेदना का प्रस्ताव रख रहे हैं, इनको मौका दें दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आप दोनों के शोक से शोकाकुल हो गया हूं, आप नियम 301 पढ़ने दें ।

*श्री गौरी शंकर भैय्या–

मान्यवर, चारबाग रेलवे स्टेशन पर बहुत दिनों से यात्रियों को बेहोश करके तथा लूटने का गिरोह सक्रिय है । इस गिरोह ने केवल एक माह फरवरी के अन्दर ही 21 आदमियों को बेहोश करके लूटा । इन 21 व्यक्तियों में से 15 की मृत्यु हो गई ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस गिरोह के रोजाना की घटना करने के बावजूद भी पुलिस इस गिरोह के किसी भी व्यक्ति को आज तक न पकड़ पायी है । कल दिनांक 2-3-82 को भी इस तरह के एक बेहोश व्यक्ति को पुलिस ने बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया जहां बाद में वह मर गया । ज्ञात हुआ है कि यह गिरोह सीधे साधे यात्रियों से दोस्ती करने के उपरान्त मिठाई में जहरीली दवायें मिला कर बेहोश करता है । यह भी मालूम हुआ है कि जो यात्री स्टेशन पर मर जाते हैं उसको रेलवे पुलिस बिना किसी पोस्टमार्टम के उन लाशों को बेच लेती है या फिर रिक्शे में डाल कर नदी में डलवा देती है । इस संबंध में जब लोगों को पता चला और वह रेलवे पुलिस के विरोध में असंतोष उत्पन्न हो गया जब उन्होंने बजाय लाशें फिकवाने के जमीन में दफन करवाने का क्रम शुरू कर दिया । लगातार इन घटनाओं के होने से और चारबाग स्टेशन पर आने वाले यात्रियों तथा लखनऊ क्षेत्र की जनता में व्यापक रूप से भय, चिन्ता, असंतोष एवं सरकार के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है ।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय खाद्य मंत्री, मुझे लग रहा है कि कुछ खाद्य सामग्री बंट रही है । कुछ इधर भी आवेगा ।

(हंसी)

श्री मोहन सिंह–

वह पीठासीन अधिकारी को पीठ दिखा रहे हैं ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष–

और वह बांट आपको रहे हैं ।

इलाहाबाद के फूलपुर कस्बे में मुबारकपुर चौराहे पर श्री राजबहादुर कुशवाहा की बम प्रहार कर हत्या व पुलिस की साजिश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम पटेल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के तथ्य, मा0 सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। श्रीमन्, जनपद इलाहाबाद के फूलपुर कस्बे में मुबारकपुर चौराहे से संलग्न अपनी दुकान बन्द करते समय दिनांक 23-2-82 को 6-00/6-30 बजे सायं श्री राज बहादुर कुशवाहा नामक सामाजिक एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति की पुलिस की मौजूदगी में असामाजिक तत्वों द्वारा बम प्रहार कर हत्या कर दी गई और उनके भाई अमर बहादुर कुशवाहा तथा साथी, मास्टर राम गोपाल यादव, डा0 रमेश जी उनके साथ में थे, बम से आहत कर दिये गये। मान्यवर, पुलिस देखती रही, अपराधी भागने में सफल हो गये । स्थानीय थाना फूलपुर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के नामजद सभी अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार करने से कतरा रही है । अपराधियों के मनोबल को इस क्षेत्र में पुलिस की सांठ-गांठ से बढ़ावा मिल रहा

[श्री राधेश्याम पटेल]

है और बराबर भारी हादसा की धमकी दी जा रही है। श्रीमन्, यही नहीं, स्थानीय पुलिस से मृतक के भाई ने अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा के विषय में पहले ही आग्रह कर दिया था और बंदूक का लाइसेंस की मांग की थी परन्तु अपराधियों और अधिकारियों की मिली भगत से उन्हें तो लाइसेंस नहीं दिया गया पर जिनको न मिलना चाहिए, उन्हें अवश्य दे दिया गया।

यही नहीं, श्रीमन्, घटना के विषय में यदि कोई व्यक्ति किसी वरिष्ठ अधिकारी से बताना चाहता है तो पुलिस उसे आतंकित कर रही है और गिरफ्तार करके जेल भेजने का कार्य कर रही है। उदाहरण के लिए होटल मालिक चौरसिया तथा लालता प्रसाद मौर्य स्थानीय पुलिस बुरी तरह से असामाजिक तत्वों के हाथ में फंस गयी है और अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने हेतु सारी घटना को तोड़-मरोड़ करके अपराधियों का संरक्षण करने में संलग्न है। जो बम मौके पर बरामद हुए हैं, वे 3 जनवरी को जगरिया ग्राम में हुई मुठभेड़ में प्राप्त बमों के समान हैं जिसमें दो डकैत मारे गये थे जो स्थानीय ही थे।

श्रीमन् स्थानीय पुलिस तथा असामाजिक तत्वों की सांठ-गांठ से सामान्य जनता में क्षोभ, निराशा, भय एवं आतंक व्याप्त है। सभी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यदि स्थानीय पुलिस अधिकारियों को तत्काल स्थानान्तरण करके सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच न करायी गयी तो घटना की सही जांच होना असम्भव है क्योंकि स्थानीय थाने की पुलिस प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस घटना की जिम्मेदार है। अतः श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि अभियुक्तों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय और स्थानीय थानाध्यक्ष एवं संबंधित पुलिस कर्मी का स्थानान्तरण कर सी0 बी0 आई0 से जांच कराने से ही सारी घटना का पर्दाफाश हो सकेगा।

सरस्वती विद्यालय कन्या इण्टर कालेज नरही, लखनऊ का भवन खाली कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता एवं सहायता प्राप्त सरस्वती विद्यालय कन्या इण्टर कालेज, नरही, लखनऊ विगत 50 वर्षों से शिक्षा का कार्य कर रहा था। सम्प्रति 1000 से अधिक छात्रायें तथा 50 से अधिक अध्यापिकायें तथा अन्य कर्मचारी थे। कालेज के पास अपना निजी भवन नहीं था किराये का भवन विगत 24 फरवरी, 1982 को सहसा खाली करा लिया गया तब से कालेज की सम्पूर्ण सम्पत्ति फर्नीचर, अभिलेख, पुस्तकें आदि वर्षा तथा धूप में सड़क पर असुरक्षित पड़ी हैं। कक्षायें सड़क पर लगती हैं। भीड़-भाड़ पूर्ण सड़क पर फिर लड़कियों की कक्षायें लगने से क्या विचित्र दशा बन रही है। इसकी विस्फोटक स्थिति की कल्पना यह संवेदनहीन शासन तंत्र शायद न कर सके। परन्तु इसकी कल्पना मान्यवर, आप तथा आदरणीय सदन स्वयं कर सकता है।

स्थिति इतनी विचित्र है कि प्रबन्ध तंत्र का कोई व्यक्ति स्थिति देखने भी नहीं पहुंचा बल्कि विडम्बना तो यह है कि यह सब प्रधानाचार्य तथा प्रबन्धाधिकरण के सांठ-गांठ से हुआ है कि खाली कराने की कार्यवाही के विरुद्ध प्रबन्धकों ने समुचित पैरवी भी नहीं की।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह भी विडम्बना है कि कालेज के पास निजी भवन न होने पर भी अब तक उसकी मान्यता क्यों कायम रखी गई ?

अब लड़कियां सड़क पर हैं, अध्यापिकाओं की सेवायें असुरक्षित हैं । बोर्ड की परीक्षायें सर पर होने के कारण पढ़ाई की समुचित व्यवस्था अपरिहार्य है अन्यथा लड़कियां बिना किसी अपने अपराध के दंडित हो जायेंगी । सड़क पर कक्षाओं के कारण सुरक्षा तथा लड़कियों के सम्मान के लिए भी संकट है। असामाजिक तत्व इकट्ठे होते रहते हैं । तीन दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं, चिन्ता का विषय यह भी है कि अभी तक शासन ने किंचित हस्तक्षेप नहीं किया है ।

अतएव लोक महत्व का यह सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न आपके माध्यम से आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि :—

1—विद्यालय का प्रबन्ध तंत्र अविलम्ब अधिग्रहीत कर साधिकार नियंत्रक नियुक्त किया जाय ।
2—छात्र-छात्राओं के पढ़ने की समुचित व्यवस्था की जाये।
3—विद्यालय के काम में अब तक आने वाली सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकार अपने कब्जे में ले ।
4—विद्यालय के लिए भवन की व्यवस्था करके उसे पूर्ववत् चलाया जाय।
5—प्रबन्ध तंत्र द्वारा धोखा धड़ी करने के लिए नियमानुसार उसे दंडित किया जाय ।

थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर, बस्ती, श्री जयपति नाथ द्वारा ग्राम कोडरी निवासिनी हरिजन महिला, श्रीमती कुमारी के साथ बलात्कार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, आपकी अनुमति से सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न को लाना चाहता हूं कि बस्ती जनपद के थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर के अन्तर्गत ग्राम कोड़री निवासी, कोदई हरिजन की पत्नी, कुमारी को थानाध्यक्ष, श्री जयपतिनाथ ने दिनांक 14-2-82 को दो सिपाही भेजकर उस ग्राम सभा के प्रधान जो पुलिस के ही एक खास आदमी समझे जाते हैं, के घर बुलवाया। उसके पति ने जब थानाध्यक्ष से पूछा कि मेरी पत्नी को क्यों बुलाया गया है तो उन्होंने यह कहा कि यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, दूसरे के साथ इसकी शादी हुई है, इसको उसी के साथ जाना है और उसे मार पीट कर खदेड़ दिया। शाम तक उक्त ग्राम नंगा महादेव में कुमारी पत्नी कोदई को थानाध्यक्ष ने रोक रखा । सायंकाल उसे थाना त्रिलोकपुर मुख्यालय पर ले गये । जहां उसे अपने घर में रखा तथा उसके साथ उसकी इच्छा के विपरीत बलात्कार किया । उसके चिल्लाने व गुहार करने पर थानाध्यक्ष की पत्नी ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया । तत्पश्चात् थानाध्यक्ष ने उसे अपने यहां से खदेड़ दिया । इस घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस अधीक्षक बस्ती तथा जिलाधिकारी, बस्ती को दी चूंकि थानाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक के बहुत निकटवर्ती माने जाते हैं तथा पुलिस अधीक्षक ने निहित स्वार्थों में एक सहयोगी होने के कारण कोई आवश्यक कार्यवाही आज तक नहीं की जा सकी । इस घटना से क्षेत्र के हरिजनों में घोर असंतोष व रोष व्याप्त है । कभी भी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय–]

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त घटना की छानबीन कराकर थानाध्यक्ष, जयपतिनाथ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मेरा नाम बुलाया गया था ।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा निवेदन है आपसे कि सूचना देने के बाद समय पर मौजूद रहना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मैं प्रति ढूंढने चला गया था कार्यालय में, लेकिन मुझे प्रति नहीं मिली इसलिए इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं पढ़ा हुआ नहीं माना जायेगा । यह परम्परा नहीं बनेगी ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान ––

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं अग्निहोत्री जी आप बैठें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981-82) का प्रतिवेदन†

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981-82) का यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1977-78 (सिविल) एवं 1978-79 (सिविल) के प्रस्तर 2.2 में उल्लिखित अनुदानों/विनियोगों में स्वीकृति से अधिक व्ययों से सम्बन्धित है ।

प्रतिवेदन में समिति ने अनुदानों/विनियोगों में हो रहे व्ययाधिक्यों की प्रवृत्ति पर चिन्ता एवं असन्तोष व्यक्त करते हुए इस अनियमितता को रोकने के हेतु प्रभावी कदम उठाने का सुझाव देते हुए उल्लिखित वर्षों में हुए व्ययाधिक्यों को विनियमित करने की संस्तुति की है ।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने भी 301 में दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष–

दिवाकर जी, आप कृपया विराजें । अब मैं पीछे नहीं लौट सकता ।

---

†छापा नहीं गया ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, सभापति लोक लेखा समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस पर सदन की नियमावली के नियम 216(3) के अन्तर्गत आज चाहे और किसी दिन माननीय मंत्री जी का इस पर वक्तव्य दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दे दें। मैं उस पर विचार कर लूंगा।

परिवहन मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना है, जिस पर मेरा निर्णय है:—

श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 11 फरवरी, 1982 को माननीय परिवहन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दी है। इस सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 10 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 15 नत्थी 'ख' के उत्तर में माननीय परिवहन मंत्री ने जो उत्तर दिया है, वह गलत है तथा माननीय मंत्री ने ऐसा जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के लिए किया है। माननीय सदस्य ने अपनी शिकायत के समर्थन में एक पत्र की प्राप्ति के विवरण की नकल अपनी सूचना के साथ दी है जिससे उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि राज्य मंत्री शोषित समाज दल का सन्दर्भित पत्र माननीय परिवहन मंत्री के कार्यालय में दिनांक 5 जनवरी, 1982 को दिया गया था।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय परिवहन मंत्री से वस्तु स्थिति की जानकारी मांगी थी। माननीय परिवहन मंत्री ने मुझे अपने पत्र दिनांक 17 फरवरी, 1982 द्वारा सूचित किया है कि उनके कार्यालय के अभिलेखानुसार राज्य मंत्री, शोषित समाज दल का कोई पत्र जनवरी, 1982 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त नहीं हुआ है तथा तद्नुसार ही उक्त प्रश्न का उत्तर उनके द्वारा दिया गया था।

माननीय मंत्री से प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट है कि उन्होंने जो सूचना दी, वह अपनी जानकारी के आधार पर दी और गलत सूचना नहीं दी। इस अध्यक्ष पीठ से तथा लोक सभा में अध्यक्ष पीठ से इस प्रकार के कई निर्णय हो चुके हैं कि सदन में केवल गलत सूचना देने के आधार पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता, जब तक कि यह सिद्ध न किया जा सके कि जानबूझ कर सदन को धोखा देने के लिये गलत सूचना दी गयी है। और इसके लिए यह आवश्यक है कि सूचना के साथ में तथ्य और प्रमाण दिये जायं जिनके आधार पर शिकायत कर्ता माननीय सदस्य इस नतीजे पर पहुंचे हों और यह चाहते हैं कि पीठासीन अधिकारी भी उसी नतीजे पर पहुंचे कि जानबूझ कर सदन को धोखा देने के लिए गलत सूचना दी गयी है। माननीय सदस्य, श्री राम स्वरूप वर्मा ने इस सन्दर्भ में जिस विवरण की मात्र प्रतिलिपि या उद्धरण को प्रस्तुत किया है, वह उनके आरोप की पुष्टि हेतु यथेष्ट प्रमाण नहीं प्रतीत होता और उसके आधार पर नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि माननीय मंत्री ने जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के लिए कोई गलत सूचना दी है। अतः मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री सन्त बक्स रावत द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर जानकारी की मांग

श्री सन्त बख्श रावत–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि 15 फरवरी, 1982 को मैंने एक विशेषाधिकार हनन की सूचना दी थी। उस पर अभी तक आपकी पीठ से निर्णय नहीं हुआ। इस पर शीघ्र निर्णय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

निर्णय नहीं दिया इसका मतलब यह तो नहीं कि नोटिस नहीं ली गयी । जानकारी की जा रही है, निर्णय लिया जायेगा ।

सत्र के दौरान जिलों में ऐसी बैठकें जिसमें सदस्यों की रुचि हो, न बुलाये जाने की मांग व व्यवस्था का प्रश्न

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । तीन दिन पहले नेगी साहब ने किसी अधिकारी के विरुद्ध एक विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी थी । आपने पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्देश दिया था कि कोई भी जिले पर ऐसी आवश्यक मीटिंग उस दिन न बुलाई जाय जिन दिनों सदन की कार्यवाही चल रही हो और जिसमें सदस्यों की रुचि हो, भाग लेना चाहते हों । इस प्रकार के निर्णय समय-समय पर इस पीठ से हो चुके हैं । आज हम लोगों को बस्ती से यह एजेण्डा नोट मिला है–जिला योजना सलाहकार तथा जिला योजना कार्यान्वियन एवं समन्वय समिति की बैठक 5-3-82 को माननीय मंडलीय मंत्री की अध्यक्षता में हो रही है जो इस सदन के सदस्य हैं । मैं इस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरी व्यवस्था अपनी जगह पर कायम है । जिलाधिकारी को ऐसे मौकों पर कोई भी मीटिंग नहीं रखनी चाहिए जब सदन चल रहा हो। इस के लिए शासन को निर्देशित किया गया था कि इस आशय को पूरा करने के लिए एहतियात बरतें। दो दिन पहले ही ऐसा हुआ था । मैं आप को आश्वस्त करता हूं और शासन को आज पुनः निर्देश दे देता हूं कि वह हर जिले के संबंधित लोगों को इस तरह के निर्देश शीघ्र भेज दें कि जब सदन की बैठक हो रही हो तो ऐसी मीटिंग जिनमें माननीय सदस्यों की रुचि हो न लगायी जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरी एक प्रार्थना है । आप ने इस के पूर्व निर्देश दिये, उन का अनुपालन नहीं किया गया । मेरी प्रार्थना यह है कि चूंकि जरूरत समझ कर निर्देश दिया गया इसलिए आज ही रेडियोग्राम दिया जाय सब जिलाधिकारियों को और उस की एक प्रति सम्मानित सदस्यों को भी दी जाय जिसके आधार पर हम भी जिलाधिकारी पर इस बात का दबाव डाल सकें कि जिस समय सदन चलता है उस समय बैठक न रखी जाय। यह मालूम होना चाहिए कि आप के निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, रेडियोग्राम की कापी आप के पास आनी आवश्यक थी, शायद कापी नहीं आयी . . .

श्री उपाध्यक्ष–

कापी नहीं आयी। . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो आप ने निर्देश दिया उस का अनुपालन नहीं हुआ है । मान्यवर, यह भी निर्देश देने की कृपा पुनः करें कि जो बैठक लगी हुई हैं सत्र तक सब निरस्त की जायं और जो बैठकें हो चुकी हैं उन की कार्यवाही निरस्त की जाय । आगे बैठक निरस्त की जायं, इस की कापी हम माननीय सदस्यों में वितरित की जाय ।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, इसी सत्र में दो निर्देश शासन को दिये गये एक तो इसी संबंध में जिस के बारे में गुप्त जी और दिवाकर विक्रम जी ने कहा, दूसरा इस संबंध में कि किसी भी बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी नहीं करेंगे जिस के सदस्य माननीय विधायक गण और माननीय संसद सदस्य हों स्पष्ट निर्देश जा चुके हैं और शासन उन निर्देशों का पालन कराने में सक्षम नहीं हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि जो निर्देश आपकी पीठ से दिये गये हैं उनका पूर्णतः पालन हो ऐसे निर्देश आप पुनः आज इनको दे दें। वैसे तो काम चलने वाला नहीं है लेकिन जैसा कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा है, उसकी एक प्रतिलिपि हम लोगों को भी देने की कृपा करें ।

श्री दल गंजन सिंह–

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि सरकार के आदेशों और निर्देशों को जिलों के जिलाधीश और दीगर अधिकारी मानने के लिये तैयार नहीं हैं। मेरे पास इसके प्रमाण हैं कि गवर्नमेंट के आदेश जाने के बाद जालौन के कलेक्टर और सम्बन्धित अधिकारियों ने उनके आदेशों को मानने से इन्कार कर दिया है । इस तरह से एक गम्भीर संकट प्रदेश के अन्दर पैदा हो गया है ।

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्यों ने जिस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है, उसी संदर्भ में मैं आपका पुनः ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके निर्देश देने के बावजूद भी आज ही सूचना मिली है कि 3-4-5 तारीख को मंडलीय मंत्री ने, वैसे तो मंडलीय मंत्री जी का पता ही नहीं है, गढ़वाल मंडल के मंडलीय मंत्री श्री गोपाल राम दास जी ने देहरादून में एक मीटिंग बुलाई है। मान्यवर, आज ही आपने देखा कि पर्वतीय क्षेत्रों में 230 अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और यही हालत अध्यापकों की भी है, इसी तरह से सड़कों की हालत है, सब जगह ऐसी ही हालत है, इन सब चीजों के बारे में उसमें विवरण प्रस्तुत होना था। मंत्री जी ने यह जानते हुए भी कि वहां पर इस समय सदन चल रहा है, वहां से उन्होंने हमारे पास सूचना भेजी की हम तीन तारीख का देहरादून पहुंच जांय । कैसे यह हो सकता है। या तो मंत्री जी हमको भी हेलीकाप्टर दे दें अन्यथा कैसे यह सम्भव हो सकता है । मान्यवर, प्रदेश हमारा भी है और सब चाहते हैं कि यहां का विकास हो, हम भी उसमें सहयोग देना चाहते हैं । इस तरह की व्यवस्था से काम चलने वाला नहीं है । मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस तरह की उनकी व्यवस्था के लिये मंत्री जी को आदेश देने की कृपा करें। आपने तो यहां पर सदस्यों की बात कही है लेकिन और कमेटियां जिला स्तर की हैं, जिनमें हम लोग हैं उनके लिये मंडलीय मंत्रियों को भी निर्देश देने की कृपा करें कि जब वे वहां मंडलों में जांय तो उस समय वे माननीय सदस्यों के समय का भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल]

ध्यान रखें। इसी तरह से अध्यक्षता का प्रश्न भी अभी नहीं सुलझा है जिलाधिकारी ही ऐसी समितियों की अध्यक्षता करते हैं एम0 एल0 एज0 को उन समितियों की अध्यक्षता करने का अवसर नहीं मिल रहा है।

श्री मोतीलाल देहलवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, वास्तव में यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है । आपकी निर्देश रूपी तलवार जब सरकार पर चलती है तो ऐसा लगता है कि इनकी गैंडे की खाल हो गई है जिस पर कोई असर नहीं पड़ता । उसे यह सरकार फूलों की छड़ी समझकर उसे सहन कर लेते हैं । इन पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है । आज किसी भी निर्देश का पालन नहीं हो रहा है और बराबर उनकी अवहेलना की जा रही है । मान्यवर, आप विद्वान उपाध्यक्ष हैं . . (व्यवधान) । क्या आपको अच्छा लगता है कि आप यहां बैठे हों और कलेक्टर साहब जिले में मीटिंग बुला लें। मैं मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा हमारी आकांक्षायें हैं ख्वाहिश है कि आप हमको इसका कोई विकल्प दें।

एक सदस्य–

उपाध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है, किस नियम के अन्तर्गत यह भाषण का सिल-सिला चल रहा है?

श्री उपाध्यक्ष–

मेरे आदेश के अन्तर्गत ।

श्री मोतीलाल देहलवी–

मान्यवर, जैसा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने सुझाव दिया . . . .

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री छबिराम की शोक सभा में नहीं गये, यहां पर बैठे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुख्तार अनीस आपको तो छबिराम फोबिया हो गया है। आप बैठिये काम होने दीजिये ।

श्री मोतीलाल देहलवी–

माननीय गुप्ता जी ने सुझाव दिया कि जो भी मंत्रिगण जो भी आदेश जिलाधिकारियों को दें उसकी एक एक कापी माननीय सदस्यों को भी मिल जाय तो एक तो यह रास्ता है। यदि वह यह भी नहीं करना चाहते हैं तो स्पष्ट है कि आप अपने आदेशों का पालन करायें यह हम आपसे अपेक्षा करते हैं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जो माननीय सदस्यगण और नेतागणों ने चिंता व्यक्त की मीटिंग्स के संबंध में मैं भी उससे सहमत हूं और सरकार भी सहमत है कि जब सदन चल रहा हो तो जो सम्मानित सदस्यगण हैं उनको यहां पर रहना चाहिये और उसमें बराबर हिस्सा लेना चाहिये। जो आदेश दिये हैं उनका पालन होगा आज ही समस्त उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को लिखा जायेगा और उसकी प्रति जो है, आपके पास भेज दी जायेगी । मान्यवर, सदन में मौजूद रहना, सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना हम सब का कर्तव्य है विशेषकर जब बजट सत्र चल रहा हो, भाग लेना जरूरी है । मेरा यह निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप जरा रुक जायं बीच में एक महाशय आ गये मैं आपकी बात सुन नहीं पाया।

श्री अम्मार रिजवी–

वह चले भी गये ।

श्री उपाध्यक्ष–

तो आप भी आ जाइये ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय देहलवी जी ने तलवार की बात कही। तो मान्यवर, आपका हर आदेश तलवार ही समझे लेकिन हम लोग उस तलवार के जख्म को फूल की छड़ी समझ कर रखते हैं। हमें खुशी होती है जब आपके आदेश आते हैं और उसका पालन करते हैं। चूंकि इस वक्त सदन चल रहा है, जनता ने हमें चुन कर भेजा है अगर यहां हिस्सा नहीं लेते हैं तो जनता के प्रति अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं इस बात से हम सहमत हैं। मेरा आपके द्वारा एक निवेदन है उपनेता विरोधी दल से, यहां सदन चल रहा है बजट पर डिसकशन हो रहा है, सारे प्रदेश के भविष्य की रूपरेखा क्या होगी यह यहां पर डिसकस हो रहा है माननीय नेता विरोधी दल का यहां पर न रहना मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं है। लिहाजा मैं आपके द्वारा माननीय उप-नेता विरोधी दल से उनके सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जैसा उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां पर चाहा कि यहां मौजूद रहें, मैं चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल भी यहां पर रहें जब कि बजट पर डिसकशन चल रहा हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो पुरानी कार्यवाही हो गयी है उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रकाश नहीं डाला, जो बैठकें हो चुकी हैं, उनके फैसले हो चुके हैं, उनको भी निरस्त कर दिया जाय । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, आपने हर मुद्दे पर प्रकाश डाला, लेकिन दो मुद्दे छूट गये । एक मुद्दा तो जो मंडलीय मंत्री हैं उनके बारे में है, वह छूट गया । विपक्ष के सदस्यों द्वारा आपस में बात करने पर आपने अपने अधिकारों के बारे में तो कहा और अगर मंत्री बात नहीं सुनेंगे तो मैं मैं आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकूंगा। तो मैं कह रहा था कि आपने मंडलीय मंत्रियों के बारे में कोई बात नहीं कही और दूसरा आपने कहा आगे की कार्यवाही रोकने के आदेश भेज देंगे जिसकी सूचना दे देंगे, लेकिन पीछे जो मीटिंग्स हो गयी हैं और उसमें जो सम्मानित सदस्य भाग नहीं ले सके हैं इनके जिलों के विकास में इनका योगदान नहीं हो पाया है, तो उस मुद्दे के बारे में भी आपने कुछ नहीं कहा। इसलिए आप इन दोनों मुद्दों को और साफ कर दें।

श्री अम्मार रिजवी–

जो आदेश दिये गये, इस बीच वह कोई बैठक नहीं बुलाए, जब सदन चल रहा हो। वह यहां पर रहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

उनके यहां रहने से मेरा ताल्लुक नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी–

और जहां दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया और आपने उसके बारे में कहा, यह बहुत मुश्किल है इस स्टेज मे करना। जिन चीजों पर निर्णय हो गया है, उनमें से बहुत पर कार्यान्वियन हो रहा है और वह काम आगे बढ़ गया है । अब उनको बीच में रूकवाना सम्भव नहीं होगा और यह विकास के लिए भी उचित नहीं होगा । यह मार्च का महीना है, बहुत से निर्णय बहुत जरूरी थे। यदि यह साल समाप्त हो गया तो योजना में और व्यय करने में रूकावट आ जाएगी । तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि कोई बहुत आवश्यक बैठक है और धनराशि लैप्स हो रही है तो उसकी भी आप इजाजत दें ताकि उसको किया जा सके और रूपया लैप्स न हो ।

श्री छत्तर सिंह–

श्रीमन्, मेरा एक प्वाइन्ट रह गया है, उसको भी क्लेरीफाई कर दें। जिसमें सांसद या विधायक बैठा करते हैं, उसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी करते हैं, जो कि उचित नहीं है। इसके लिए भी आप व्यवस्था कर दें?

श्री उपाध्यक्ष–

इसके लिए यदि माननीय सदस्य को याद होगा तो माननीय बनारसी दास जी ने और उसके बाद माननीय श्री श्रीपति मिश्र जी ने बराबर समय-समय पर यह निर्देश दिए हैं कि आप सब ऐसी मीटिंगों में शिरकश न करें। अब इसमें आपके योगदान की आवश्यकता होगी। मैंने यह आपके हक में कह दिया, फिर भी, उसके बाद यदि कोई होती है तो उसके लिए माननीय नेताओं की एक मीटिंग श्रीपति मिश्र जी ने बुलाने के लिए कहा है और उनके आने के बाद विरोधी दलों के नेताओं की एक बैठक होगी, वह बुलाएंगे।

श्री राम नरायन एडवोकेट–

मुझे मेरे जिले गाजीपुर से एक सूचना मिली है कि 16 तारीख को जिला विकास समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुलाई गई है . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे ऐसा लगता है कि आपने निर्देश पढ़ा नहीं है, उसको फिर से पढ़ लें।

श्री राम नरायन एडवोकेट–

आप मेरा निवेदन सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने सुन लिया है ।

श्री राम नरायन एडवोकेट–

जिसमें संसद सदस्य या विधायक लोग होगें उसकी अध्यक्षता सरकारी अधिकारी नहीं करेगा, यह आपने कहा है, पहले भी निदेश ऐसे हम लोगों को दिये गये थे और आश्वस्त किया गया था . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उसको आपने नहीं पढ़ा है । निर्देश में लिखा है कि जिन मीटिंग्स की अध्यक्षता ऐसे अधिकारी करें, उसमें सदस्यों को नहीं जाना चाहिए।

श्री राम नरायन एडवोकेट–

न जायं तो जिले का नुकसान होगा, हम लोगों का नुकसान होगा और फिर मीटिंग बुलाने और उसे गठित करने का क्या औचित्य रह जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

मोतीलाल जी, इनको बुलाकर आप समझा दें ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत तीन सूचनाएं आई हैं । पहली श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की है, जो आज नियम 51 में भी आई है । तो नियम 51 के समय उस पर विचार कर लिया जाएगा यह बुन्देलखंड संभाग सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में उपलवृष्टि से हुयी क्षति के संबंध में जब नियम 51 की सूचनाएं ली जायेंगी तो उस समय विचार हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें ?

श्री उपाध्यक्ष–

दैवी आपत्ति पर कार्य स्थगन नहीं आता है ।

दूसरी सूचना माननीय हरिवंश जी की लेखपालों की हड़ताल से देवरिया जनपद की तहसीलों का काम आज ठप्प होने के सम्बन्ध में है, इसको अस्वीकार किया गया है। नम्बर 3 पर माननीय रुद्र प्रताप सिंह एवं श्री कुबेर भण्डारी की है जिसमें सार्वजनिक भार वाहनों का बढ़ाया हुआ भाड़ा नियमों के प्रतिकूल वसूल किये जाने से व्यापक असंतोष का जिक्र है । इसके सम्बन्ध में पहले ही निर्देश दिये जा चुके हैं कि परिवहन मन्त्री जी 6 तारीख को इस पर वक्तव्य देंगे, उस समय आप देख लें ।

इस प्रकार से सभी सूचनायें अस्वीकृत हुयीं ।

[समय : 1 बजकर 27 मिनट अपराह्न] ।

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 12—गन्ना विकास विभाग तथा अनुदान संख्या 13---गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

*गन्ना विकास राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12–गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,34,78,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–]

संख्या 13–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,27,56,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय ।

मान्यवर, चीनी उद्योग आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक अति महत्वपूर्ण विभाग है जिसका न केवल प्रदेश से, केन्द्रीय सरकार से बल्कि इस देश के सारे किसानों और मजदूरों से सीधा सम्बन्ध है । उपभोक्ता की सामग्री होने के नाते तमाम विश्व पर एक विशेष प्रभाव रखता है । विभाग पर जो दायित्व सौंपा गया है, मैं समझता हूं कि विभाग अपने दायित्व का भली प्रकार से निर्वहन कर रहा है । अब मैं इसके बारे में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं । चीनी विभाग ने इस वर्ष, जो उत्पादकता वर्ष है, बड़ा नया और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है । गत वर्ष गन्ना 12·05 लाख हैक्टेयर में था जब कि इस वर्ष गन्ने का क्षेत्र 12·37 लाख हैक्टेयर है । गन्ने का उत्पादन गत वर्ष 576 लाख मीट्रिक टन हुआ था, जो इस वर्ष बढ़कर 707 लाख मीट्रिक टन हो गया । जबकि वर्ष 1977–78 गन्ने का सबसे अधिक उत्पादक वर्ष माना जाता था और खेतों में गन्ना खड़ा रहा, माह अगस्त तक पिरायी हुयी और जलाया गया । उस वर्ष में भी केवल 680 लाख मीट्रिक टन गन्ना हुआ था । गत वर्ष शुगर का उत्पादन 12·24 लाख मीट्रिक टन हुआ था जबकि इस वर्ष लगभग 18 लाख मीट्रिक टन हुआ अर्थात् लगभग ड्योढ़े उत्पादन चीनी का अनुमान है । यह सरकार की सुनियोजित और सुविचारित नीतियों का प्रतिफल है कि इतने उत्तम लक्ष्य पर हम पहुंच सके ।

गत वर्ष 15 फरवरी तक गन्ने की जो पेराई हुई थी, उसके आंकड़े इस प्रकार है––कार्पोरेशन द्वारा गन्ने की पेराई गत वर्ष हुई थी 1335·61 हजार टन, और इस वर्ष हुई है 1450·86 हजार टन। यह कार्पोरेशन द्वारा है। कोआपरेटिव मिलों के द्वारा गत वर्ष पेराई की गयी थी 1204·28 हजार टन और इस वर्ष की गयी है 1670·30 हजार टन । रिसीवरशिप वाली मिलों के जरिये से गत वर्ष हुई 724 हजार टन, इस वर्ष हुई 660·44 हजार टन । कस्टोडियन वाली मिलों द्वारा गत वर्ष हुई है 382·76 हजार टन और इस वर्ष हुई है 404·23 हजार टन। ज्वाइण्ट स्टाक के अन्तर्गत गत वर्ष पेराई हुई है 5782·51 हजार टन और इस वर्ष हुई है 6049·24 हजार टन । कुल पेराई गत वर्ष हुई थी 9429·16 हजार टन और इस वर्ष 15 फरवरी तक हो चुकी है 10235·07 हजार टन । इसी प्रकार चीनी का गत वर्ष कुल उत्पादन हुआ था 871·52 हजार टन, जबकि इस वर्ष 15 फरवरी तक हो चुका है 941·19 हजार टन ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि गत वर्ष से हमारी पेराई की क्षमता भी इस वर्ष बढ़ी है और शकर का उत्पादन भी गत वर्ष से बहुत अच्छा है ।

जहां तक गन्ने के मूल्य का प्रश्न है, यह पहला अवसर है जबकि हमने गन्ना पेराई के सीजन से पहले ही उसका भाव घोषित कर दिया । हमेशा सीजन शुरू होने के बाद दाम घोषित होते थे । यह प्रदेश के इतिहास में पहला मौका है जबकि सर्वाधिक गन्ने का मूल्य किसानों को दिया जा रहा है और किसान उससे संतुष्ट है । जो दाम गन्ने का गत वर्ष तय किये थे, ठीक उसी अनुपात में औसत मिलाकर इस वर्ष हमने साढ़े 20 और 21 रु0 के दाम घोषित किये और किसान उससे भली प्रकार संतुष्ट है ।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये क्रेशर, खांडसारी, कोल्हू, गुड़ इकाइयों आदि पर लगे प्रतिबन्धों को हटा दिया गया । इस सम्बन्ध में किसान परख नीति बनाई गयी और इन इकाइयों को मुक्त कर दिया गया और जो भी इकाई गत वर्ष चल रही थी, उनके लाइसेन्स का इस वर्ष नवीनीकरण कर दिया गया । इस वर्ष किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध हमने नहीं लगाया । किसानों का लगभग 55 प्रतिशत गन्ना इन इकाइयों द्वारा पेरा जाता है । यह एक बहुत बड़ा ग्रामीण उद्योग है और इसमें काफी श्रमिक काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं । हम इसके लिये भी प्रयत्नशील हैं कि इन इकाइयों का किस तरह से आधुनिकीकरण किया जाये ताकि उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके ।

मान्यवर, गन्ने का मूल्य का भुगतान न होने के कारण हमेशा काश्तकार को परेशानी होती थी। 1981-82 वर्ष के गन्ने का करीब-करीब पूरा भुगतान किया जा चुका है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

1978—79 का तो आपने दिलाया ही नहीं ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मैं आप से गत वर्ष का कह रहा हूं, पुराना । आज की जो शुगर की स्थिति है, शुगर के रेट जो डाउन हो गये, पिछले साल से करीब 40 करोड़ अधिक चला गया था । गुड़ में 50 प्रतिशत की मन्दी आ गयी। अगर उसमें हम अधिक बोझ डाल देते तो मुश्किल हो जाता । ऐसी स्थिति में गत वर्ष का गन्ने का भुगतान और नकद भुगतान इस साल देने का शासन ने निर्णय लिया । शासन के आदेशों का पालन गन्ना मूल्य के भुगतान के मामले में गन्ना मिलें कर रही हैं । यह भी आदेश है कि यदि गन्ना मिलें किसी प्रकार से गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं करेंगी, तो उनको ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्या कह रहे हैं कि जो गन्ना मिलें गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं करेंगी, उनको ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां, मान्यवर, ब्याज सहित उनको भुगतान करना पड़ेगा।

1979—80 में किसानों को 155 करोड़ कुल पैसा मिला था । 1980—81 में 286 करोड़ किसानों को दाम मिला था यानि 79—80 से 131 करोड़ अधिक गत वर्ष से मिला था और 1981—82 में 350 करोड़ यानि गत वर्ष से 100 करोड़ रुपया अधिक मूल्य किसानों को मिलेगा। गत वर्ष जो गन्ना क्रय किया गया था, 31 जनवरी, 1981 तक वह 163 करोड़ रुपये का था । इस वर्ष 31 जनवरी, 1982 तक 170 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा जा चुका है । मान्यवर, तौल के बारे में हमेशा गड़बड़ी हुआ करती थी कांटों में, इसके लिये तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं । मोटे तौर पर तमाम सारे अधिकारी को, तहसीलदार और बी0 डी0 ओ0 को कांटे की जांच करने के लिये आदेश दिये गये हैं । तमाम संसद सदस्यों को, एम0 एल0 एज0,

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–]

एम0 एल0 सीज0, भूतपूर्व चेयरमैन, ब्लाक प्रमुख, जिला परिषद् के प्रमुख और अदालत पंचायत के सरपंच और बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सदस्य, पदाधिकारियों को इस चीज के अधिकार दिये गये हैं ताकि कांटों में किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने पावे। इसलिये तमाम जन-प्रतिनिधियों को अधिकार दिये गये हैं । इसी के साथ-साथ मैंने जांच दलों का गठन किया है । अगर आपने जांच नहीं किया है, तो मैं समझता हूं कि आप अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते ।

हमने जांच दल का गठन किया है, वह जगह-जगह जाकर तमाम सारे कांटों की जांच करते हैं । तमाम सारे आकस्मिक छापे विभाग की तरफ से जांच दल की तरफ से डाले गये हैं ताकि उन त्रुटियों को रोका जा सके । हमने जनवरी, 1982 तक 4,504 निरीक्षण किये हैं और कम तौल के 40 अन्य गड़बड़ियों के 607 मामले पकड़े । 115 तो लिपिकों के लाइसेन्स कैंसिल किये हैं । 45 ग्राम समितियों के लिपिकों को निलम्बित किया गया है और तमाम विभाग की तरफ से कार्यवाहियां की गयीं हैं ।

गन्ना पूर्ति के मामले में गन्ना क्षेत्रफल का आधार न रखकर उपज का आधार रखा गया है । पिछले साल जो निर्णय लिया गया था गत वर्ष किसानों ने जो 80–81 में गन्ना दिया है, वही बेसिक कोटा माना गया है । 81–82 का बेसिक कोटा मानकर किसानों का गन्ना लिया गया। यदि और आवश्यकता होगी, मांग होगी तो उन्हीं लोगों से 50 प्रतिशत और गन्ना की सप्लाई ली जायेगी । यह पश्चिमी जिलों के लिये है । 81–82 और 82–83 तक यह बेसिक कोटा पश्चिमी जिलों में माना जायेगा । ऐसा इसलिये किया गया कि क्षेत्रफल बेतहाशा बढ़ रहा था । शासन चाहता है, हम चाहते हैं कि क्षेत्रफल न बढ़े बल्कि उपज बढ़े । यह पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के जिलों के लिये है । पूर्वी जिलों में इस नीति को लागू नहीं किया गया है क्योंकि वहां गन्ने की अधिकता नहीं है । पश्चिमी जिलों में आर्थिक क्षेत्रफल को देखते हुए इस नीति को अपनाया गया । शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि जो छोटे किसान हैं उन का गन्ना पहले लिया जाय ताकि वह अपना खेत खाली करके दूसरी फसल ले सकें । इस तरह का हमारा दृष्टिकोण है । ऐसी नीति पहले कभी नहीं थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी मंशा इक्यूटेबिल सप्लाई से है ।

श्री मोहन सिंह–

पता नहीं आपने क्या पूछा ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

यह तय किया गया है कि किसानों को पता रहे कि अगले वर्ष कितना गन्ना लिया जायेगा, इसके लिये जो बेसिक कोटा है, उसकी नीति अपनायी गयी है । इसके पहले इस तरह की नीति नहीं थी । जो नीति थी वह दोषपूर्ण थी, इस शासन ने नीति विषयक सुधार किये हैं ।

श्री कुबेर भण्डारी–

गन्ना का दाम गिर गया। हमारे देवरिया जिले में गन्ना गिरेगा नहीं तो क्या किसानों को मुआवजा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

भण्डारी जी जब आपको मौका मिलेगा तब बोलियेगा।

श्री मोहन सिंह–

आप मौका देंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

देंगे ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, इस विभाग में गन्ना अनुसंधान संस्थान है। उसकी विशेष भूमिका है। जब तक किसानों को अच्छे किस्म का रोग रहित बीज नहीं मिलेगा तब तक इस विभाग द्वारा किसानों के हित में आशातीत सफलता नहीं हो सकती है। इस अनुसंधान में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये और क्लास (1) का अफसर नियुक्त किया जाय ताकि वह अनुसंधान करके अच्छे किस्म का बीज उपलब्ध करा सके। इसके लिये प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं और अनुसंधान के लिये हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

श्री मोहन सिंह–

अधिकारी की नियुक्ति करेंगे या शोधकर्ता की? अधिकारी की नियुक्ति कर देंगे तो जो हो रहा है वह भी नहीं होगा।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

शोधकर्ता अधिकारी ही नियुक्त होंगे। एस0 पी0 और कलेक्टर की थोड़ी होगी। किसानों को अच्छे बीज दिलाने हेतु तमाम किस्म के उपाय किये गये हैं। इस अनुसंधान विभाग में सुयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। ताकि वह किसानों को अच्छे रोग रहित एवं चीनी अधिक देने वाली प्रजातियां वह दे सकें। इस शोध संस्थान ने वर्ष 80-81 में सी0 ओ0 एच0 802 और 767, यू0 पी0 (1) और यू0 पी0 (2) प्रजातियां निकाली हैं। यह रोग रहित और अधिक चीनी देने वाली है। वर्ष 80-81 में सी0 ओ0 एच0 7918, बी0 ओ0 81 और यू0 पी0 (3) निकाली गई हैं। सी0 ओ0 एच0 8118 और सी0 ओ0 एच0 8021 प्रजातियां ऐसी हैं जो परीक्षण हेतु दी गई हैं। यह उत्तम किस्म की प्रजातियां हैं। अब इसमें दो

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–]
काम है — एक तो अनुसंधान संस्थान का काम है कि उत्तम किस्म की प्रजातियों को निकाले और गन्ना विभाग का काम है उन प्रजातियों को गन्ना किसानों तक पहुंचावे। यह दोनों अलग-अलग काम हैं। इसलिये मुझे प्रसन्नता है कि सभी प्रकार की प्रजातियों का अविष्कार किया जा रहा है।

श्री कुबेर भण्डारी–
शोध कार्य क्या करा रहे हैं?

कुवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–
मान्यवर, एक प्रजाति को निकालने के लिये कोयम्बटूर ने 14 साल लिया है और हमारे यहां 7 साल लिया है और इससे भी जल्दी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आज सोचा और कल पैदा हो जाय।

मान्यवर, हमने तय किया है कि गन्ना किसानों को उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध हो सके, इसके लिये तय किया है कि जिन मिलों के पास अधीन जमीन उपलब्ध है, वहां उत्तम किस्म के बीज देकर बोवायें और जब गन्ना किसान वहां जायें तो पौधशाला को, किसानों को चाहिये कि उसको देखें और उस बीज को बोवायें। मान्यवर, हमने प्रत्येक जिले में लिखा है कि गन्ना विभाग को भूमि उपलब्ध करा दी जाय ताकि वहां पौधशाला लगाकर उत्तम किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध करायें। अच्छे बीज पैदा करने वाले किसानों को अनुदान और अन्य सुविधायें देने का हमने प्रयास किया है। इसके लिये दिक्कत थी कि किसान जानता नहीं था, अनभिज्ञ था और जैसे शोध संस्थान ने प्रजातियां निकाली लेकिन किसान उनको नहीं जानता। इसलिये तय किया है कि शोध संस्थान जो हैं वह प्रत्येक जगह किसान मेले का आयोजन करे। वहां किसान जाकर जो हमने नई जातियां बनायी हैं, उसको देखें और लाभ उठायें। इस वर्ष मेलों का आयोजन किया है। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये जो अच्छे बीज उत्पन्न किये हैं, उनको इनाम दिये हैं। प्रदेश में प्रोत्साहन देने और बीज पहुंचाने के लिये हमारे यहां बीज निगम है। वह उनका वितरण करने की व्यवस्था करते हैं। वह बीज देने, प्रदर्शनी करने, कीट नाशक दवाइयों और अन्य चीजों की प्रदेश में व्यवस्था करता है। बीज निगम अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से कर रहा है। बीज वितरण की स्थिति वर्ष 1980-81 में 2.93 लाख मैट्रिक टन बीज वितरण किया था जबकि वर्ष 1981-82 में 2.20 लाख मैट्रिक टन बंटवायेंगे ....। मान्यवर, हम क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाना चाहते हैं बल्कि अच्छे किस्म के बीज देकर पैदावार बढ़ाना चाहते हैं।

मान्यवर, इसी प्रकार खाद के बारे में इस वर्ष 50 हजार मैट्रिक टन खाद वितरण की अपेक्षा अगले वर्ष 80 हजार मैट्रिक टन खाद देने की बीज निगम द्वारा व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, विभाग ने सिंचाई की क्षमता बढ़ाने, कीट नाशक दवाइयां देने और हवाई छिड़काव आदि की सारी व्यवस्था किया है। इसके लिये तमाम प्रचार अभियान भी चला रहे हैं ताकि जो कार्यकलाप हैं, उसकी जानकारी जन साधा-

रण को मिले। विभिन्न स्तरों पर इसके लिये प्रचार अभियान चलाने की रूपरेखा बनायी गयी है। सिंचाई का लक्ष्य भी 1.80 लाख हेक्टेयर का निश्चित किया गया है। मान्यवर, कटौतियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि 50 पैसे यातायात कटौती के बारे में तय किया गया है, जो सरकार द्वारा व्यवस्थित मिलें हैं, वह उसको बराबर मान रही है लेकिन यह सही है कि जो प्राइवेट मिलें हैं उनमें से 27, 28 मिलें ऐसी हैं जो एक रुपया ले रही हैं। इसके लिये प्रयास कर रहे हैं मिलों के एसोसियेशन से बात चल रही है और इसमें अविलम्ब सुधार होने की संभावना है। अन्य सारी कटौतियां ऐच्छिक हैं।

श्री अकबाल हुसैन–

आपने कहा था कि 3 मार्च को बैठक होगी। तो क्या बैठक तब होगी जब पूरा सत्र समाप्त हो जायेगा?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

बैठक 5 को कर रहे हैं। इसके लिये हमने अर्ज किया था कि यह केन्द्र सरकार से ताल्लुक रखता है लेकिन हम तो सुझाव देकर प्रयास करते हैं, इसके लिये हम यथासंभव प्रयत्नशील हैं। मान्यवर, कटौतियों के बारे में मैंने अर्ज किया था कि 50 पैसे की यातायात कटौती के अतिरिक्त अन्य कटौतियां ऐच्छिक हैं। केवल 2 अन्य कटौतियों का प्रस्ताव किसानों के सामने है। जो हम किसानों को खाद देते हैं, तो हम साढ़े 18 परसेंट पर देते हैं। 18 परसेंट पर हमको रिजर्व बैंक से पैसा मिलता है। इसको किसानों के लिये अधिक लाभप्रद कैसे बनाया जाय, इसके लिये हमने सहकारिता के साधन को अपनाया है। उसके आधार पर हमने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा है कि यदि आप प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा इकट्ठा करेंगे तो वह पैसा आपका अमानत के तौर पर होगा और 5 साल के बाद उसको 8 परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज के साथ किसानों को वापस कर देंगे जिससे किसानों को लाभ होगा। किसानों को जो खाद साढ़े 18 परसेंट पर देते हैं वह 12 से 14 परसेंट पर उपलब्ध करा सकेंगे। इसी ख्याल से यह प्रस्ताव रखा है कि किसान शायद इसको पसंद करेंगे तो 50 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से यह धनराशि हम एकत्रित करेंगे ऐसा प्रस्ताव है।

मान्यवर, इसी पैसे से और मिलों के सहयोग से एक गन्ना बैंक की योजना भी शासन के विचाराधीन है। यदि संभव हो सका तो हम गन्ना बैंक की योजना को शुरू करेंगे। मान्यवर, 25 पैसे रोड निर्माण के संबंध में रखा गया है, यह भी ऐच्छिक रखा गया है। इसके लिये 5 गुना पैसा केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार से मिलता है। अगर हम एक रुपया रोड की मद में जमा करते हैं तो 5 रुपया हम बाहर से लेकर रोड निर्माण, लिंक रोड वगैरह आसानी से बना सकते हैं। तो यह भी

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–]
ऐच्छिक रखा गया है और किसानों के लिये आवश्यक है कि इस तरह का विकास के लिये सहयोग किया जाय। ग्रामीण योजना के अन्तर्गत मान्यवर, 1980-81 में 316 किलोमीटर खड़ंजे, 271 किलोमीटर पर मिट्टी का कार्य किया गया है। 260 पुलियों का भी निर्माण किया गया है।

(इस समय 1 बजकर 54 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री केशरी प्रसाद पीठासीन हुए।)

सन् 1981-82 में 98 कि0मी0 खड़ंजा, 98 पुलियां और 490 कि0मी0 मिट्टी का काम कराया जा सका। वर्ष 82-83 में 98 कि0मी0 खड़ंजा, 98 पुलियां और 490 कि0मी0 मिट्टी का काम कराने का लक्ष्य है। 2.80 लाख श्रमिकों को प्रति दिन रोजगार दिया गया। अगले वर्ष 7 लाख श्रमिक प्रति दिन हो जायेंगे। इस प्रकार की हमारी योजना है।

समितियों के चुनाव के बारे में सदन के मा0 सदस्यों की मांग हमेशा रही है। इसी आधार पर मा0 सदस्यों के सुझाव के आधार पर जो पुरानी प्रक्रिया थी, उस चुनाव कराने की बात को शासन ने स्वीकार कर लिया है और अधिनियम में संशोधन कर दिया है। निकट भविष्य में समितियों के चुनाव डेलीगेटों के आधार पर क्रेशर सीजन समाप्त हो जाने के बाद जून तक पेराई समाप्त हो जायेगी, उसके बाद कराये जायेंगे।

इसके बाद "मिलों की स्थिति" – निगम और रिसीवरशिप की मिलें – यह सही है कि इन मिलों का चलाना जनहित में आवश्यक हो गया था। इसमें हमारे तमाम किसानों और मजदूरों का हित निहित है। यह मिलें बहुत कम पेराई कर रही थीं। जीर्ण-शीर्ण हालत के कारण इसमें कठिनाई आ रही थी, फिर भी इनको चलाने का प्रयास किया गया। शासन द्वारा प्रबन्ध की जाने वाली 13 मिलें पुरानी थीं, 5 मिलें नयी स्थापित की गयीं। जो पुरानी मिलें हैं, उनके आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण और पुनर्वासन हेतु और उनको लाभप्रद बनाने के लिये हम प्रयत्नशील हैं। 5 पुरानी मिलें हैं, उनके आधुनिकीकरण और पुनर्वासन के लिये 80 करोड़ रु0 की आवश्यकता है। 5 नयी मिलें — सकौती टांडा, खड्डा, पिपराइच, मोहीउद्दीनपुर तथा अमरोहा के विस्तारीकरण की योजना चल रही है और 81-82 तक पूरी हो जायगी। किच्छा और चांदपुर, जो नयी मिलें हैं, इनके लिये 15.05 करोड़ रु0 की व्यवस्था की जा चुकी है, इनका भी विस्तारीकरण हो रहा है। ये मिलें अत्यधिक पुरानी हैं और इसके लिये राज्य सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपया अंश पूंजी में परिवर्तित करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिल सके।

जो रिसीवरशिप की मिलें हैं, उनकी दशा बड़ी ही शोचनीय है। इसकी निगम द्वारा तकनीकी व वित्तीय परामर्श व रखरखाव की व्यवस्था की जाती है। शासन के प्रबन्ध में न होने की वजह से इनका वांछित सुधार नहीं हो पाता है। इसके लिये

अत्यधिक घाटा रिसीवरशिप की मिलों में उठाना पड़ रहा है। शासन को बराबर धन की व्यवस्था, गन्ना मूल्य, मरम्मत आदि के लिये करनी पड़ती है। शासन अतिशीघ्र निर्णय लेने जा रहा है ताकि इस प्रकार की रिसीवरशिप वाली मिलों में आमूलचूल परिवर्तन और सुधार किया जा सके। इस तरह की रिसीवरशिप के सम्बन्ध में हम फैसला लेने की रूपरेखा बना रहे हैं।

सहकारी क्षेत्रों में 13 चीनी मिलें पहले थी, 5 नई स्थापित की गयी हैं। तिलहर में भी पेराई का कार्य आरम्भ हो गया है। सरकारी क्षेत्र में 17 मिलें पहले से ही थीं। अब कुल 18 चीनी मिलें हो गयी हैं। इनमें प्रत्येक की पेराई क्षमता 1250 है। बाजपुर में 1600 से 3000 टन प्रति दिन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। मझोला में 1250 से 2000 टन, बागपत में 1250 से 1800 टन, अनूपशहर में 1250 से 2000 टन, विलासपुर में 1250 से 2000 टन और नादेही में 1250 से 2000 टन, आशा है कि 1982-83 तक इस कार्य को पूरा कर लेंगे।

चीनी के हमने जो आंकड़े आपको दिये हैं, वह इसका भरपूर प्रमाण है कि कार्य की क्षमता बढ़ रही है।

श्री हर गोविन्द वर्मा–

महोली में मिल की क्षमता घट रही है, इसके बारे में भी मंत्री जी अपने उत्तर में बता दें।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

ठीक है, बता देंगे। आगे छठी पंचवर्षीय योजना में ननौता में 1250 से 2000 टन की क्षमता करने का लक्ष्य है, वीसलपुर में 1250 से 3000 हजार करने का लक्ष्य है। बाजपुर में 3000 से 4000 टन करने का लक्ष्य है और सरसांवा को 1500 से 3000 करने का लक्ष्य है।

ठीक इसी प्रकार से हमारी डिस्टलरी की जो योजना है, उसमें बाजपुर की शुगर फैक्टरी में डिस्टलरी की क्षमता 25 हजार से 50 हजार कर दी गयी है। इसमें कार्य समाप्त हो गया है और उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। मझोला में 30 हजार लीटर प्रति दिन उत्पादन क्षमता की डिस्टलरी का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो कि मार्च, 83 तक पूर्ण हो जायेगा।

ठीक इसी तरह से नई मिलों में भी जैसे सुल्तानपुर, महमूदाबाद, गजरौला, सितारगंज, मोरना, सेमीखेड़ा, घोसी और नानपारा में 1250 टन क्षमता से कार्य प्रारम्भ हो गया है। इनके लाइसेन्स प्राप्त हो गये हैं और मिल के निर्माण सम्बन्धी कार्य-वाहियां विभिन्न स्तरों पर प्रारम्भ हो गयी हैं। इसके लिये 3.40 करोड़ रु0 का प्राविधान 1982-83 में किया गया है।

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–]

इसके अतिरिक्त दो अन्य मिलें, पूरनपुर और सम्पूर्णानगर हैं जिनका मामला लाइसेन्सिंग कमेटी के विचाराधीन है और इसके भी पूर्ण होने की पूरी सम्भावना है। इसके अलावा अन्य चीनी मिल लगाने हेतु लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजे गये हैं, विभिन्न स्तरों पर सर्वेक्षण हो रहा है और हम प्रयत्नशील हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रदेश में चीनी मिलें लगा सकें।

श्री कुबेर भण्डारी–

देवरिया में गन्ना बहुत पैदा होता है, क्या वहां भी चीनी की मिल लगाने जा रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

हमारी 5 और मिलें हैं :—

(1) पुआया (शाहजहांपुर)

(2) माठ (मथुरा)

(3) सैदपुर परतपुर (बुलन्दशहर)

(4) बहजोई (मुरादाबाद)

(5) अकबरपुर (फैजाबाद)

इनके लगाने के लिये हमने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था पर केन्द्र सरकार ने आपत्ति की कि इन जिलों में हमारी और दूसरी मिलें हैं ऐसी स्थिति में इनका लगाना मुनासिब नहीं होगा और इस आधार पर जो लाइसेंस थे, वे रद्द कर दिए गये। अब इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए उन जगहों पर फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस पुनः हमने चाहे हैं और यह प्रयास है कि लाइसेंस हमें मिल जायें इस तरह का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है।

चीनी उद्योग – शुद्ध रूप से व्यावसायिक संस्था, विभाग है। इसमें जो घाटे की प्रवृत्ति है, उसको रोक कर मुनाफे में बदलने के लिए विभिन्न स्तरों पर हम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए आवश्यक है कि जो अनुत्पादक मदों में हमारे खर्चे हैं, उनमें कटौती करें।

6ठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 31.50 लाख मी0 टन चीनी उत्पादन का हमारा लक्ष्य है। इस वक्त पेराई क्षमता 1.36 लाख मी0 टन है और 1.74 लाख मी0 टन पर लाने की हमारी योजना है। इस 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत 13 नई मिलें लगाने की योजना है और इस तरह से 104 मिलें हो जायेंगी।

केन्द्र सरकार के नये सुझावों के अनुसार हमारा प्रयास है कि जो पिछड़े जिले हैं, जहां पर कोई मिल नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर, मिलें लगायी जायें और इसके लिये हम प्रयत्नशील हैं।

वर्तमान सरकार किसानों और मजदूरों की हित रक्षा के लिए कृतसंकल्प है और इनके हित को देखते हुए इनके विकास के लिए हम प्रयत्नशील हैं ताकि इस विभाग में स्थायित्व आ जाये और किसानों का हित सुरक्षित रहे। इसलिये हम माननीय सदस्यों से यह आशा करते हैं, दलगत स्थिति से ऊपर उठ कर, अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे। हम आप के सुझावों का भली प्रकार आदर करेंगे और जनहित में उसका कार्यान्वियन का भरपूर प्रयास करेंगे। हम इसमें सुधार लाना चाहते हैं। आपके सुझाव देश, समाज और इस विभाग के लिए हितकर होंगे। हमारा विश्वास है कि तमाम माननीय सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे और उनके बहुमूल्य सुझावों से यह विभाग लाभान्वित होगा। यही मुझे कहना है।

[समय 2 बजकर 7 मिनट]

*श्री धम्मन सिंह गहलौत—

मान्यवर, मैं आप की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12—गन्ना विकास विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य — विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—13 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग), सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य — विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री मोहन सिंह—

एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्, यह एक सामान्य शिष्टाचार का प्रश्न है कि जब कटौती का प्रस्ताव रखा जाय तो उस विभाग के मंत्री और सचिव को उपस्थित रहना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही नहीं हैं। आप इस पर व्यवस्था दें मान्यवर, कि इस तरह का अशिष्ट व्यवहार न करें।

श्री अधिष्ठाता—

वह आ गये।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, मैं बीमार आदमी हूं। मैं हृदय रोग से पीड़ित हूं, दो महीने से परेशान हूं। मुझसे और बोला नहीं गया खड़े होकर वरना मैं और बोलना चाहता था। मैं पानी पीने गया था, क्या यह भी न करूं? गुनाह है क्या?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी अपने सचिव को बुला लें क्योंकि बहुत सी बातें माननीय सदस्यों को सचिव के बारे में कहनी हैं क्योंकि वह पक्का [XXX] है।

श्री थम्मन सिंह गहलौत—

मान्यवर, अभी गन्ना विकास विभाग के राज्य मंत्री ने जो अनुदान की मांगें प्रस्तुत करते हुए कुछ विचार प्रकट किये हैं, और उन्होंने प्रारम्भ में कहा कि यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गन्ना हमारे प्रदेश की प्रमुख नगद फसल है। इस पर बहुत से क्षेत्र का लगभग 25–30 लाख परिवार निर्भर करता है लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसे बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं मानती है अभी बात सामने आ गई। जहां तक मुझे स्मरण पड़ता है यह इस विधान सभा की 21 साल की अवधि में शायद पांचवें मंत्री हैं और पांचवें ही शायद गन्ना आयुक्त भी हैं। कितनी जल्दी-जल्दी मंत्री बदले जा रहे हैं इससे ही समझ में आता है कि सरकार इस विभाग को कितना महत्व दे रही है। आपसे पूर्ववत् मंत्री पद छोड़ने के बाद बीमार हुए थे और वर्तमान मंत्री पद सम्भालने के बाद बीमार हुए हैं। पहले से ही यह विभाग बीमार था और बीमार चीनी मिलों की तरह से यह बीमार मंत्री रह गए हैं। अब भगवान ही रक्षक है चीनी विभाग का और चीनी मिलों का।

मान्यवर, जो मंत्री जी ने कहा है कि गन्ने की पेराई हमने बढ़ा दी है तो वह इस कारण हुआ है कि चीनी मिल की संख्या बढ़ गई है। यह नहीं हुआ है कि उन्हीं चीनी मिलों की क्षमता बढ़ गई है। वैसे जो गन्ना विकास समितियां हैं, लगभग 25 लाख उसके सदस्य हैं और 135 के लगभग उनकी संख्या है जिनके माध्यम से किसान अपना गन्ना सप्लाई करता है। सारी कोशिश के बाद भी अभी तक गन्ने की फसल भगवान पर आश्रित है, आसमान पर निर्भर करती है तो यह एक चक्र बन गया है कि 4-5 साल में जितनी अच्छी फसल होती है और यह समस्या आ जाती है कि कैसे गन्ने की पेराई की जाय और 4-5 साल बाद ऐसा समय आता है कि गन्ने की फसल कम होती है और तब यह समस्या सामने आती है कि मिलों को कैसे गन्ने की पूर्ति करें, मिलें चलते-चलते बन्द होने लगती हैं और उसका कारण मौसम है। जब अच्छी वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है और जब वर्षा कम होती है तो फसल भी कम हो जाती है अभी तक यह विभाग फसल को वर्षा की निर्भरता से कम नहीं कर पाया है।

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी उदाहरण दिया था, सन् 70-71 में 31 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था, जो 77-78 में बढ़कर 65 लाख टन हो गया था और फिर 80-81 में घट कर 52 लाख टन रह गया। इतना ही नहीं, सन्

नोट :— [XXX] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

79 में जब कि बहुत ही सूखा का वर्ष था, घट कर सारे भारतवर्ष में, केवल 40 लाख टन रह गया। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि केवल मौसम के ऊपर गन्ने की खेती इस समय चल रही है। आपका विभाग इसमें कोई विशेष प्रयत्न नहीं कर पाया। जहां तक प्रति हेक्टेयर उपज का प्रश्न है, माननीय मंत्री जी देख लें, उनके अपने विभाग के ही आंकड़े हैं। 71-72 में 47 टन प्रति हेक्टेयर उपज हुई, जो बढ़ कर 77-78 में 56 टन हो गयी थी लेकिन 79-80 में जब कि सूखा का वर्ष था, घट कर 50 टन की रह गयी। तो इसके अच्छा होने की क्रेडिट आपके विभाग को नहीं मिल सकती। यह बात स्पष्ट होते हुए भी बदला जाना चाहिये। केवल मौसम पर आश्रित रह कर कोई विभाग नहीं चल सकता।

कई बार कुछ लोग ऐसा करते हैं कि महाराष्ट्र और दक्षिण से यहां की फसलों की तुलना करते हैं। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में जो भौगोलिक स्थिति है, जो जलवायु है, वह हमारे प्रदेश से बिल्कुल भिन्न है। लगभग 18 महीने वहां फसल होती है और आज भी उत्तर प्रदेश में जहां गन्ना को प्रति हेक्टेयर 52 किलो नाइट्रोजन मिलता है, वहां महाराष्ट्र में 150 किलो ग्राम नाइट्रोजन मिलता है। कहा गया है कि यहां 52 से 57 किलोग्राम करने जा रहे हैं लेकिन यह मेरे ख्याल से दुराशा मात्र ही है क्योंकि भविष्य में खाद की मात्रा बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता। खाद महंगा होने से तथा कमी की वजह से कम खाद लगायेगा जिसके कारण भविष्य में गन्ना फसल की बड़ी हानि होगी।

अब मैं गन्ना समिति के ढांचे की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज जो गन्ना समितियों का स्वरूप है, वह एक दिन में नहीं बन सका है। वास्तव में प्रदेश में जब चीनी मिलों का लगना प्रारम्भ हुआ, उसके दो तीन साल के बीच देखा गया कि चीनी मिलें किसानों का बड़ा उत्पीड़न और शोषण कर रही हैं। इसलिये सोचा गया कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे किसानों को उस शोषण और उत्पीड़न से बचाया जा सके। इसलिये सहकारी गन्ना विकास समितियों का गठन किया गया, जिसने प्रारम्भ में गन्ना सप्लाई कराने का काम शुरू किया। जब बाद में और थोड़ा सा विस्तार हुआ तो मिलों के लिए गन्ना राइरेक्ट किसानों से लेना शुरू किया और फिर खाद देने का काम शुरू किया। जब थोड़ा सा काम और बढ़ा तो प्रतीत हुआ कि विकास के काम और मारकेटिंग के काम को अलग-अलग कर दिया जाय और इस तरह से विकास परिषद् बन गयी जिसे कौंसिल कहा जाता है। कुछ दिनों तक यह चलता रहा लेकिन 11-12 साल के बाद वे मृत हो गयीं। जो इस समय विकास परिषद् है, उसके गठन के जो नियम बनाये गये हैं वे बिलकुल अनुचित और अन्यायपूर्ण हैं। उनके रहते हुए किसी विकास परिषद् का संगठन सम्भव ही नहीं है। इस पर विचार करें कि जो पुरानी पद्धति थी, क्या उस पर लौटा जा सकता है?

मान्यवर, आजकल एस0 डी0 आई0, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक है जो कौंसिल का बड़ा अधिकारी होता है। कुछ लोगों का कहना यह है कि गन्ना से संबंधित जितने काम हैं, किसानों को बीज देना, ऋण देना आदि सभी उसके ही जिम्मे हैं।

[श्री थम्मन सिंह गहलोत]

गन्ने की सप्लाई का काम भी अब उसी के हाथ में है। वह एक पोस्ट ऐसी बन गयी है जो केवल भ्रष्टाचार की निगाह रखती है। गन्ना समिति में लोगों में फूट डालने की कोशिश करते रहते हैं, उनके काम में रोड़ा लगाते हैं और आम तौर की बोल चाल की भाषा में गन्ना समिति के कर्मचारी उसको "डिप्टी साहब" कहते हैं। इतनी उसका पद बढ़ाने की बात है। काम में, व्यवहार रूप में कुछ नहीं है। कभी कभी टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। काम तो कुछ करते नहीं हैं, अधिकार जताते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर समिति और परिषद् दोनों के काम की देख-रेख के लिए एक ही व्यक्ति रखना जरूरी है तो उसका नाम भले ही एस0 सी0 डी0 आई0 रख दें लेकिन वह सीधे सीधे संचालक मंडल का किसी प्रकार का सचिव होना चाहिए जैसे गन्ना समिति में सचिव होता है। उसके ही मातहत दोनों विभाग काम कर सकते हैं। एक विकास का काम देखता रहे, एक मारकेटिंग का काम देखता रहे। मारकेटिंग का काम सचिव के द्वारा हो और विकास का काम उसके नीचे सी0 डी0 आई0 ही कर सकते हैं जिन्हें गन्ना विकास निरीक्षक कहते हैं इस काम को देख सकते हैं। लेकिन जितना भी मारकेटिंग का काम है वह सारा सचिव के हाथ में होना चाहिए। वह संचालक मंडल के मार्ग निर्देशन के द्वारा होना चाहिए क्योंकि यह जो दो अमली हुकूमत है यह कोई विकास का काम नहीं होने देता। इसमें जो रफ्तार चलती है उसमें बाधा पहुंचती है। वह रफ्तार सुस्त हो जाती है।

मेरा कहना है समिति का जो उत्तरदायित्व है, उसे स्पष्ट बांटा जाना चाहिए। गन्ने की बोआई करना, सर्वे करना, सट्टा करना, बीज का वितरण करना, दवा, खाद का वितरण करना, मूल्य दिलाना, ये सारे काम समिति के अधीन होने चाहिए। इसको काउन्सिल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और जो किसान अपने गन्ने की कटौती करते हैं, गन्ने मूल्य से किसी प्रकार से कटौती कराते हैं वह समिति के द्वारा होना चाहिए। अगर कोई किसान सड़क बनाने के लिए कटौती कराता है तो उसका अधिकार उन्हें होना चाहिए। विचित्र स्थिति यह है कि आज किसान अपनी कटौती भी कराता है तो उनका प्रतिनिधि जो संचालक है, वह एक ओर बैठा रहता है और वह पैसा दे दिया जाता है काउन्सिल को कि यह सड़क निर्माण करेंगे, यह पुलिया निर्माण करेंगे, खाद गोदाम का निर्माण करेंगे। ऐसे भी इस प्रदेश में स्थान हैं जहां खाद गोदाम ऐसी जगह बनाये गये हैं जिनके लिए कहीं नक्शे में रास्ता नहीं है। व्यावहारिक रूप में रास्ता नहीं है। बन्द पड़े हैं जब से बने हैं। लोग किवाड़ उखाड़ कर ले गये। होना यह चाहिए कि किसान के प्रतिनिधि गन्ना उत्पादकों को बतायें कि कौन सा स्थान उपयुक्त है, कौन सा स्थान बहुत आवश्यक है न कि कोई अधिकारी बैठा हो और वह सारी जानकारी रखे।

विकास परिषद् का काम, मैं समझता हूं, मार्ग दर्शन का और निगरानी मात्र होना चाहिए। जो नई जानकारी आती है, नये अनुसंधान आते हैं, उनको किसान तक पहुंचायें और यह निगरानी करें कि किस समय कहां रोग लगने का भय है, किस समय खाद दी जानी चाहिए, किस समय दवा का छिड़काव होना चाहिए, यह वह अपनी राय दे सकता है। और यह राय सोसाइटी को दे, गन्ना उत्पादक तक प्रचार के द्वारा पहुंचायें लेकिन उनका काम इतने तक ही सीमित रहना चाहिए।

और अगर चीनी मिल, खाण्डसारी यूनिट, सरकार, कोई अंशदान करती है, किसी प्रकार का निर्माण करने के लिए तो दे दिया जाय। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। परन्तु जो किसानों का अपना अंशदान है उनके प्रतिनिधि के द्वारा ही उस पर काम होना चाहिए।

मान्यवर, पिछली जो काउन्सिल थी, उसमें गन्ना उत्पादक के, चीनी मिलों के, खाण्डसारी यूनिटों के प्रतिनिधि रहते थे। आजकल जो गन्ना समिति की स्थिति है, वह आर्थिक दृष्टि से बड़ी सोचनीय हो गई है। अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाती है। यह अलग बात है कि उनका वेतनमान कितना कम है लेकिन अब स्थिति यह है कि वे वेतन भी नहीं देते हैं और उसका कारण यह है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और समय बहुत बदल गया है। कमीशन जो मिलता है, वह सुस्त रफ्तार से चल रहा है। उसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि कमीशन वेतन पर नहीं होना चाहिए। उसको प्रति क्विंटल से न होकर गन्ना मूल्य से जोड़ देना चाहिए। मैं सुझाव देता हूं कि अविलम्ब 3 पैसा प्रति रुपया गन्ना मूल्य पर बनवा दें। इस तरह से लगभग 60 पैसा करीब बनेगा। इस समय 25 पैसे के लगभग हैं। इससे न तो कौंसिल का ही काम चलता है। यह कमीशन गन्ना मूल्य के साथ जुड़ा रहना चाहिए।

पिछले दिनों मैंने एक प्रश्न यहां पर इस सम्बन्ध में दिया था कि जो ब्याज की पद्धति इस विभाग में चल रही है, उसमें न्याय संगत बात यह है कि जो आदमी जिस दिन ऋण लेता है और जिस दिन अदा करता है, उस बीच की अवधि का ब्याज लिया जाना चाहिए और उसके अलावा नहीं लिया जाना चाहिए। सभी सहकारी समितियों में यही पद्धति चल रही है लेकिन गन्ना विभाग की समितियों में यह पद्धति नहीं चल रही है। गन्ना विभाग में अप्रैल तक का सूद लिया जा रहा है है। मान्यवर, मैं फिर से निवेदन कर दूं कि जो उनसे ऋण वसूल किया जाता है, आज समितियों का इस तरह का ढांचा बना दिया गया है कि जैसे हम पहले कहानी सुनते थे गिद्ध जैसी दृष्टि उसकी इनकी परची पर ब्याज के लिये लगी रहती है। इस तरह से ब्याज तो लेते हैं अप्रैल तक का और नवम्बर में उसकी परची बना लेते हैं। यह कहां के न्याय की बात है। जो गन्ना सप्लाई करने वाले हैं, जिनकी अपनी भी कुछ आवश्यकतायें हैं, जाड़ा शुरू होता है उनको भी कपड़ा आदि बनाना होता है, लाखों और करोड़ों तो उनके पास होता नहीं है, उनको भी मजदूरी देनी पड़ती है, सिंचाई का खर्च देना पड़ता है, खेती पर भी उनका खर्च होता है। ऐसा नहीं है कि खेत पर गये और गन्ना उठा लाये, कई खर्चे उनको उठाने पड़ते हैं और इस पर भी उनसे वसूली की इतनी जल्दी लगी रहती है।

मैं धामपुर की एक समिति का उदाहरण देना चाहता हूं। 74-75 में वहां जिन किसानों ने ऋण लिया था उनमें से कुछ की स्थिति यह थी कि उनको रियायत दी गई कि वे धीरे-धीरे अपना ऋण अदा कर दें और इस प्रकार से धीरे-धीरे वहां शत प्रतिशत लोगों ने अपना ऋण अप्रैल तक ब्याज सहित अदा कर दिया। इस पर गन्ना आयुक्त ने 8 खजांचियों को बरखास्त कर दिया इस बात पर कि तुमने क्यों

[श्री थम्मन सिंह गहलौत]

धीरे-धीरे यह वसूल किया, एकदम क्यों नहीं किया। मैं एक समिति का चेयरमैन था मैं उनके पास गया और निवेदन किया कि पूरा रुपया तो वसूल हो गया है। तो इस पर उन्होंने कहा कि अब आप आये हैं, मैं उनको चेतावनी देकर बहाल किये देता हूं लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस ब्याज की पद्धति को आप बदलें।

माननीय मंत्री जी ने किराये के सम्बन्ध में एक बात कही है। शासन की दयनीय दशा को देखकर हमें बड़ा दुख होता है कि मिल-मालिक उनके द्वारा बनायी गई नीति पर आचरण नहीं कर पाते हैं। मैं आज नहीं, पिछले दो वर्षों से कहता आ रहा हूं कि 50 पैसे से अधिक किराया नहीं काटा जाना चाहिए लेकिन प्राइवेट मिलें डंके की चोट पर एक रुपया काट रही हैं। मैंने अभी परसों अखबार में पढ़ा था माननीय मुख्य मंत्री जी मेरठ गये थे उन्होंने किसानों की मांग पर कहा विभागीय अधिकारियों से वह कहते हैं कि वह परस्यूएड करें, मैं अंग्रेजी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि वह अंग्रेजी अखबार में आया था। यानी समझायें। तो अगर माननीय मुख्य मंत्री जी समझाने पर उतर आये हैं तो शासन कौन करेगा? उन्हें तो आज्ञा देनी चाहिए कि जो इससे ज्यादा काटेगा उसका प्रोसीक्यूशन करेंगे। जब माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं परस्यूएड करें तो अधिकारी समझ लेते हैं अधिक से अधिक चिट्ठी लिख दी और उसके बाद काम खत्म हो जाता है। किसान अपनी जगह पर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। वैसे यह सदन की बात है कि किराया किसान से नहीं काटा जाना चाहिये। प्रदेश के अन्दर ही गन्ने को छोड़ कर किसी भी अन्य कृषि उपज पर किराया नहीं काटा जाता है। आप किसी शहर में चले जाइये भाव सब जगह एक मिलेगा, गेहूं के भाव, धान के भाव हमारी सरकार तय करती है, वह सब केन्द्रों पर एक सा रहता है। केवल गन्ने में किराया काटने की बात होती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सभी क्रय केन्द्रों पर गन्ने का एक ही भाव रहना चाहिये इस नीति को अविलम्ब लागू कराने की कृपा करें।

मान्यवर, कटौतियों की बात आई, मंत्री जी ने सदन में बार-बार कहा कि कटौतियां हम ऐच्छिक करा रहे हैं। ऐच्छिक और जबरदस्ती में तो बहुत अंतर सदन के अंदर ही है। किसान के निकट जाकर देखें, वह यह सब कुछ नहीं समझता है किसान तो बहुत गरीब है, बहुत कमजोर है, वह उस आज्ञा को टालने का साहस नहीं कर सकता है। गन्ने की फसल ऐसी है जिसको वह काट कर घर में नहीं रख सकता है, गेहूं या धान में अवश्य सोच सकता है कि अगर आज दाम कम हैं और कुछ दिनों बाद भाव ऊंचे हो जायेंगे तो सोच सकता है कि बाद में बेच लेंगे ऐसे ही आलू में सोच सकता है कि कोल्ड स्टोरेज में रख दें या कुछ दिन रोक कर बेच लेंगे। लेकिन गन्ने में यह सब नहीं कर सकते हैं। उसमें केन कमिश्नर का आदेश भगवान का आदेश होता है। हर आदेश के नीचे लिखा होता है कि गन्ना आयुक्त के आदेश के अनुसार। तो मान्यवर, सारे आदेश इसी प्रकार चलते हैं कोई संचालक मंडल या दूसरे लोगों के ऊपर बात नहीं सौंपी जाती है।

मन्त्री जी ने कहा कि हमें रिजर्व बैंक 18 प्रतिशत पर उधार देता है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि जो संस्थायें बनायी जाती हैं, वह जनता के हित के लिये,

जनता की सहूलियत के लिये बनायी जाती है या जनता को परेशान करने के लिये या जनता का शोषण करने के लिये बनायी जाती है । हमने रिजर्व बैंक इसलिये बनाया कि वह हमारी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और उसके लिये वह नियम बनाये । रिजर्व बैंक प्रदेश के सहकारी बैंक को ऋण देता है और सहकारी बैंक जिला सहकारी बैंक को ऋण देता है और इस प्रकार जिला सहकारी बैंक कृषि समितियों को या एफ0 एस0 एस0 आई0 आदि समितियों को जिनकी संख्या लगभग 8 हजार है, उनको ऋण देते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह गन्ना समितियों को क्यों ऋण नहीं देता है, जिस तरह से यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक मानता है, उसी तरह से गन्ना सहकारी संस्था को यूनिट मान लें और उसे कर्जा दे और फिर गन्ना संघ बाकी समितियों को कर्जा देने लगे तो मामला हल हो जायेगा । या अगर इतनी बात नहीं मानता है तो यह जो लगभग 135 कुल समितियां हैं, उन्हें भी कृषि समितियों के खाने में रख ले और जिला सहकारी बैंक इन समितियों को ऋण देने लगे तो इससे इस समस्या का हल हो जायेगा कि कैसे किसानों तक यह ऋण पहुंचे । अब इसके लिये एक अजीब तरीका निकाला गया है, उस योजना का नाम रखा गया है 'वित्त पोषण योजना' । लेकिन वित्त पोषण योजना न होकर वह वास्तव में वित्त शोषण योजना है । उसने गन्ना विकास समितियों को इतना शोषण किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो गयी है । मैं मन्त्री जी से मांग करता हूं कि आप कृपया इस वित्त शोषण से इन समितियों को तुरन्त मुक्त कराइये । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ दिनों में इनका आर्थिक ढांचा लड़खड़ाकर समाप्त हो जायेगा । एक चीज और है वह कुछ गलत करते हैं तो उसका किस तरह निपटारा हो और उसमें किसानों को सहूलियत मिले। कहा जाता है कि जांच होगी । लेकिन जांच कब तक होगी और उस समय तक किसान को कितनी परेशानी हो जायेगी । तब तक या तो किसान पर्ची न भुनाए और भुना ले तो वर्षों तक उसका निपटारा नहीं होगा और बाद में वहीं उसका रुपया जमा हो जायेगा ।

अब एक बात मैं समितियों के संचालकों के बारे में कहना चाहता हूं । श्री मंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र ही वह उनके चुनाव करायेंगे । लेकिन वह रह क्यों गये हैं, आपने उनके सारे अधिकारों को छीन लिया है । क्योंकि कोई भी संचालक मण्डल एक जरूरतमन्द को एक पर्ची नहीं दिला सकता है, किसी को पर्ची का भुगतान नहीं दिला सकता है । सचिव कह देते हैं कि जिस तिथि तक का रुपया दिया है, उसके आगे का भुगतान नहीं करेंगे । किसी की कितनी भी जरूरत हो, चाहे किसी के यहां मृत्यु हो जाये, उसके सम्बन्ध में या उससे सम्बन्धित कार्यों के लिये जरूरत हो, लेकिन उसकी पर्ची भुनाने में संचालक मण्डल असमर्थ रहता है । तो फिर उसकी क्या आवश्यकता है जब वह कोई इनीशिशेटिव नहीं ले सकता है, कोई निर्णय नहीं ले सकता है, किसी किसान का हित साधन नहीं कर सकता है तथा कोई गन्ना सप्लाई चिट पर तारीख नहीं बदल सकता है । इसलिये आप गन्ना आयुक्त के अधिकारियों को सीमित कीजिये । यह जो उनको असीमित अधिकार मिले हैं, यह उचित नहीं है । इस पर यदि गन्ना समितियां बिगड़ने भी लगेंगी तो क्या हो पायेगा । क्योंकि इनके पास कोई फण्ड नहीं है, कोई अधिकार नहीं है और रूल्स में लिखा है कि गन्ना आयुक्त किसी प्रस्ताव को उचित नहीं समझते हैं, हितकर नहीं समझते हैं तो वह उनको रद्द

[श्री धम्मन सिंह गहलौत]

कर सकते हैं और इनके ही प्रतिनिधि जिलों में बैठे हैं । क्या कोई संचालक मण्डल 8 हजार के स्थान पर 20 लाख मुआवजा ले लेगा । तो यह संचालक मण्डल को अधिकार दिया जाय । जितने प्राधिकरण बना दिये हैं, उनको समाप्त कीजिये, इन जोनल प्राधिकरणों को बिल्कुल समाप्त कीजिये। इनका संगठन ठीक नहीं है और किसानों के हित में नहीं है । इसका चेयरमैन भी सरकारी अधिकारी होता है और यह कितने लज्जा की बात है कि चुने हुए को कोई अधिकार नहीं दिया गया है और उनको अल्पमत में रखा गया है । हर स्तर पर यह चीज है और फिर यही कर्मचारी भर्ती करेंगे, उनको सजा देंगे, उनकी सुनवाई करेंगे ।

गन्ना फेडरेशन के आपने चुनाव कराये हैं, एक साल और उसके ऊपर हो गये, बेचारे प्रस्ताव पर प्रस्ताव कर रहे हैं कि हमारे अधिकार हमें वापस कीजिये, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश गन्ना कृषि सहकारी समिति को उसका कोई भी अधिकार वापस नहीं किया है । तो फिर आपने चुनाव क्यों कराये थे ? कुछ लोग यहां बैठ कर मन्त्री बन सकते हैं, शासन चला सकते हैं, लेकिन मन्त्री जी को इस बात का मुगालता है कि दूसरे चुने हुए व्यक्ति एक सहकारी समिति भी नहीं चला सकते हैं।

ये जोनल स्तर पर या जिला स्तर पर कमेटियां नहीं जा सकती हैं । यह इस प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भी बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मन्त्री बन जाते हैं, वे यह समझने लगते हैं कि बाकी या तो असक्षम हैं या नालायक हैं जिनके हाथ में ये कोई अधिकार नहीं देते हैं । तो मेरा निवेदन है कि आप प्राधिकरणों को समाप्त कीजिये और गन्ना संघ के अधिकारों को बहाल कीजिये ।

आजकल जो हमारा गन्ना आयुक्त है उसकी नियुक्ति के जो रूल्स हैं, विधान है उसमें कहीं बाहर से ढूंढ कर एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी को बैठा देते हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि गन्ना आयुक्त को विभाग के ही अधिकारियों में से होना चाहिये । आप कहीं से आई0 ए0 एस0 को लाकर बिठा देते हैं जो कि शहर का रहने वाला होता है, पता नहीं उसने कभी गन्ना बोया भी है या नहीं, कृषि का विषय पढ़ा है या नहीं । उसको सारे प्रदेश का भाग्य सौंप कर यह आशा की जाती है कि वह अपनी बुद्धि के कपाट खोल कर इतनी उम्दा नीतियां बनायेगा कि कोई गलती नहीं होगी । मेरी प्रार्थना है कि विभाग के जो अधिकारी हैं आप उन पर विश्वास करें और उनको अक्षम न समझें । अगर वे ऐसे न होते तो कैसे एक सीढ़ी नीचे पद पर रहते । उनको बाहर निकाल दिया जाता । अगर ज्वाइण्ट कमिश्नर की प्रोन्नति केन कमिश्नर के पद पर हो जाये तो वह विभाग की नीति को ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा और उनका कार्यान्वयन करने की कोशिश भी करेगा।

जातियों के प्रजनन और अनुसंधान के बारे में माननीय मन्त्री जी ने कुछ कह दिया कि बड़े अच्छे पौधों के लिये दक्षिण वाले प्रयास कर रहे हैं और कहा कि गन्ने का प्रजनन कोयेम्बटूर में ही हो सकता है, यू0 पी0 में नहीं हो सकता। लेकिन उनका यह तर्क बिल्कुल असंगत है । जिस जलवायु में बीज पैदा किया जाता है, उसी जलवायु में वह ज्यादा दिन तक रह सकता है । ठण्डे स्थान से लाकर जो गर्म जलवायु में बो दिया जाता है, वह बीज खराब हो जाता है । मन्त्री जी ने कहा कि 10–12 साल लग जाते हैं, आने में, वह बीच में ही खराब हो जाता है । जहां तक मेरी जानकारी है पिछले

दिनों यहां पर एक डायरेक्टर आये थे उन्होंने इस काम में बड़ी रूचि ली थी और यू0 पी0 1, और यू0 पी0 2 निकाला था, पता नहीं अब वे हैं या हटा दिये गये ?

एक सदस्य–

अब वे यहां पर नहीं हैं ।

श्री धम्मन सिंह गहलौत–

इनके विभाग का एक कारनामा यह है कि जो आदमी काम करेगा उसको विभाग से हटा दिया जाता है । तो अनुसंधान के काम के लिये यहां पर अनुसंधान केन्द्रों की संख्या बढ़ा कर 2 कर दी जाए । पूर्व और पश्चिमी इलाके की जलवायु भिन्न-भिन्न है । तो इस कारण से अलग-अलग अनुसंधान केन्द्र होने चाहिए ताकि 12 साल की अवधि को कम करके 3 साल रह जाय जिससे बीज जल्द खराब न होने पाये ।

मान्यवर, यहां पर परचेज टेक्स के नाम से एक टेक्स लगाया जाता है । मैं उस बात को छोड़कर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि 40 पैसा चीनी मिलों के नवीनीकरण के लिये और अनुसंधान के लिये और 25 पैसा शुगर निधि जो बना रखी है, रिवाल्विंग फण्ड जो है, कि जो मिलें गन्ने का भुगतान नहीं कर पा रही हैं, वे उनका भुगतान करेंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह 40 पैसा और 25 पैसा क्या है ? कौन कमेटी है जो इसका एलोकेशन और वितरण कर रही है कि किन-किन मिलों को कहां कहां दिया गया है । मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें बहुत घोटाला है । खाण्डसारी के लिये अलग रखा गया है क्योंकि वे परचेज टैक्स तो देते नहीं हैं ।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि गन्ने की जो नीति आप बनावें वह दीर्घाकालीन होनी चाहिये, यह नहीं होना चाहिये कि हर वर्ष आप अपनी नीति बनायें । आपको चाहिये कि आप अपनी जो भी नीति बनायें वह 5–6 वर्षों के लिये बने । इससे बहुत फायदा होगा और वह किसानों तथा प्रदेश के हित में होगी ।

एक और बात कहना चाहता हूं । गन्ने की पेराई के सीजन को दो भागों में बांट देना चाहिये । पहला सीजन तो आप शुरू से 31 मार्च तक का रखें और दूसरे भाग में उसे पहली अप्रैल से मई तक रखें । आप किसानों से यह मालूम कर लें कि वह अपना गन्ना सीजन के पहले भाग में देना चाहते हैं या दूसरे भाग में ? उसी के के अनुसार उससे गन्ना लेना चाहिये । मैं वैसे मई तक भी चलाने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि उधर शकर का प्रतिशत बहुत कम हो जाता है । जून में तो परता बहुत कम हो जाता है । जून में वह करीब आधा रह जाता है । किसान को यह छूट रहना चाहिए कि वह चाहे तो गन्ना सीजन के पहले भाग में दे और चाहे दूसरे भाग में दे । यह भी छूट होना चाहिये कि वह चाहे तो 75 प्रतिशत गन्ना पहले भाग में दे दे और शेष 25 प्रतिशत गन्ना दूसरे भाग में दे दे । किसान अप्रैल-मई-जून में बहुत व्यस्त रहता है । मजदूरों की भी मदद उसे लेनी पड़ती है । गन्ने की बोआयी का सीजन होता है, गेहूं की कटाई का सीजन होता है, अगली फसल के लिये खेत भी तैयार करने होते हैं। इसलिये गन्ने की सप्लाई नीति को दो हिस्सों में बांट देना चाहिये ।

मान्यवर, कुल गन्ने की उपज का केवल 30-35 प्रतिशत भाग ही चीनी मिलों को सप्लाई होता है और शेष गन्ना पावर क्रेशर आदि द्वारा पेरा जाता है । पहले

[श्री थम्मन सिंह गहलौत]

जब माननीय यशपाल सिंह जी गन्ना मन्त्री थे तो उन्होंने भी यह बात कही थी कि खाण्डसारी यूनिटों में तकनीकी सुधार का प्रश्न विचाराधीन है और आज भी तीन साल बाद यही बात कही गयी, मगर क्या प्रश्न विचाराधीन है, किस तरह से आप उसमें सुधार करना चाहते हैं, वह आपने नहीं बताया।

मैं इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह कि अगर आप इन खाण्डसारी यूनिटों को कवर्डपैन चलाने की इजाजत दे दें तो चीनी का परता 9 प्रतिशत के करीब हो जायेगा। पर पता नहीं मन्त्री जी को यह इजाजत देने में कौन सी आपत्ति है। अगर यह इजाजत दे दी जाय तो वे छोटे टरबाइन भी चला सकेंगे। इससे चीनी का परता बढ़ेगा। इससे गन्ने का भाव भी यह इकाइयां अधिक दे सकेंगे। ट्रकों की समस्या भी खड़ी नहीं होगी क्योंकि मिलों को गन्ना ढोने के लिये ट्रक चाहिये।

इसके अलावा जिस तरह से आप चीनी मिलों को बराबर 24 घण्टे बिजली देते हैं, उसी प्रकार इन खाण्डसारी इकाइयों को भी बराबर बिजली देना चाहिये। न्यूनतम बिजली की जब आप गारण्टी लेते हैं तो बिजली भी उनको देना चाहिये। मान्यवर, चीनी मिलों के संबंध में मैं कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री थम्मन सिंह गहलौत–

मान्यवर, 5 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, मैंने इस बात का प्रयत्न किया कि मैं कोई ऐसी बात न कहूं जिससे कि सत्ता पक्ष को आपत्ति हो या कोई आलोचना हो। मान्यवर, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री थम्मन सिंह गहलौत–

मान्यवर, चीनी मिलों के अधिकारियों के वेतन निश्चित किये जायं। इनके वेतन बहुत अधिक हैं। आपका एक कलक्टर, एक एस0 पी0 जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है। किसी एक जगह अगर कोई समस्या खड़ी होती है, तो कलक्टर भाग खड़ा होता है, उसे आप दो हजार रुपया देते हैं और मिल के मैनेजर को 5-6 हजार रुपया देने की इजाजत दे रखा है। उनके पास मोटर और बंगले हैं। जिनका वेतन 1942 में 800 रुपया था मुश्किल से हस्ताक्षर करता था, उसके नीचे बड़े योग्य आदमी असिस्टेंट केन मैनेजर को रखा गया और उनका भाग्य उस समय खुला जब वह मर गये।

एक केन मैनेजर सरकार के यहां पर पटवारी था, उसका नाम नहीं लेना चाहता, और फिर वह पटवारी से इस्तीफा देकर एक जमींदार के यहां कारिंदा बन गया, फिर सुपरवाइजर बन गया। पता नहीं कैसे वह चीनी मिल मालिक की निगाह पर चढ़ गया और वह केन मैनेजर बना दिया गया। वह तो बन तो गये केन मैनेजर, लेकिन काम कैसे करें। हस्ताक्षर मुश्किल से कर पाते थे। उनके नीचे असिस्टेंट केन

मैनेजर और डेवलपमेन्ट आफीसर, केन सुपरिन्टेंडेंट और केन सुपरवाइजर रखे गये। ये तमाम पद सृजित किये गये । इसको आप रोकें ।

मान्यवर, एक तौल कांटे के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने यह कह के भाग गये कि विधायकों को यह काम दे दिया। यह हमारा काम नहीं है यह अपने अधिकारियों से कराइये । इसको काहे को विधायकों को सौंप दिया है । अगर हम यह काम करें तो जो समय गन्ना सप्लाई करने का है, वही समय पर हम यहां बैठे हुए हैं। यह शासन कह रहा है कि हम जाकर गन्ने की तौल की चेकिंग करने लगेंगे। इतना समय हमारे पास कहां से आयेगा। तो मान्यवर, इन्होंने बतलाया है 4,500 चेकिंग हुई, मेरा ऐसा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में लगभग इतने कांटे भी हैं। इसका मतलब यह है कि एक महीने में एक कांटे की चेकिंग हुई और गलत 600 पाये गये। मैं सब मिल के बारे में नहीं जानता हूं, जहां-जहां पर मेरा जाना हुआ है, उसके बारे में मैं जानता हूं । किसी दिन किसी कांटे का चैकिंग कर लें, शतप्रतिशत खराबी मिलेगी। इसमें कम से कम एक क्विंटल जरूर गन्ना कम हो जाता है। मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मिल में खाद निकलती है, जिसे मैली कहते हैं, मिल वाले उसे 5 रुपये क्विंटल अपने क्रेशमड़ को बेंच रहे हैं। मेरी मांग है कि किसानों को समिति के द्वारा वह मिलनी चाहिए । उसका जो मूल्य दिया जाय वह समिति के पास जाना चाहिये। इस बात को कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है मैं आशा करता हूं कि दोनों तरफ से माननीय सदस्य हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

[समय 2 बजकर 55 मिनट]

*श्री चेतराम गंगवार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस गन्ना के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, प्रति वर्ष जब गन्ना का बजट इस सदन में प्रस्तुत होता है तो मान्यवर, गन्ना उत्पादक, उससे सम्बन्धित मिल का मजदूर किसान जो खेती करता है और उद्योगपति भी मान्यवर, उसको याद आती है स्वर्गीय रफी अहमद किदवई, स्वर्गीय गेंदा सिंह और एल0 के नागर साहब जो कभी सचिव हुआ करते थे। मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे बरेली में एक ग्राम बहेड़ी है, उसमें एक है मंगली सिंह जाटव उनसे यह कहते सुना गया कि सुनते हैं गेंदा सिंह नहीं रहे, भारत माता की गोद सूनी हो गई लेकिन उन्होंने कहा कि गोद सूनी हो गई लेकिन कोख सूनी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के बारे में मंत्रि परिषद में माननीय शिवनाथ सिंह कुशवाहा को जो स्थान मिला यह हमारा सब का सौभाग्य है।

मान्यवर, आज प्रदेश के किसानों के लिये इस सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जो काम सन् 1967 में आपके नेता मुख्य मंत्री रहे, 69–71 में रहे और 78-79 में तो दिल्ली के तख्त पर बैठ गये नहीं कर सके, वह निर्णय इस समय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चेतराम गंगवार]

के गन्ना मंत्री और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लिया है। जो काम आयुक्त और उपायुक्त गन्ना करते थे, एस0 आई0 डी0 करते थे आज देहात में जो भी प्रजातांत्रिक व्यक्ति है, जो समाजवाद में विश्वास करता है, आज वही अधिकार जो पहले बड़े अधिकारियों को थे, सरपंच को दिया गया है। वह चेक कर सकते थे जो आप हमेशा करप्शन-करप्शन चिल्लाते थे, उसको समाप्त करने के लिये सरपंच, विधायक, भूतपूर्व विधायक, ब्लाक प्रमुख और भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख को अधिकार दिया गया है। यह लोग इसको चेक कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि निःसन्देह करप्शन दूर होगा। मान्यवर, अपोजीशन से मंत्री जी ने कह दिया कि आप पकड़ें और रिपोर्ट करें। तो यह वर्ष सरकार के लिये चुनौती का वर्ष है। गन्ने का इस वर्ष रेकार्ड उत्पादन हुआ है।

श्री रियासत हुसैन–

क्या सारे उत्पादन के रेकार्ड मिड सेशन में ही आ गये।

श्री चेतराम गंगवार–

रेकार्ड नहीं आया है तो आ जायेगा।

मान्यवर, पिछले तीन सालों के मुकाबले इस वर्ष गन्ने का रेकार्ड उत्पादन होगा। गन्ना आपके जमाने में सड़ गया और 3 रुपये में बिका है। लेकिन आज तो गन्ना क्रेशर वाले 11-12 और 13 रुपये में ले रहे हैं। लेकिन आपके समय में आपके गन्ना मंत्री ने कहा था कि मेरे सर पर गन्ना बो दें।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बरेली जिले में वर्ष 1976-77 में हंसा गांव में एक चीनी मिल की स्थापना के लिये लाइसेंस प्राप्ति के लिये यहां से एक प्रार्थना-पत्र लिखा गया था, श्री नारायण दत्त तिवारी के समय में, लेकिन वहां बाद में सरकार बदल गयी जिससे चीनी मिल की स्थापना वहां नहीं हो सकी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि बरेली में गन्ने का रेकार्ड उत्पादन होता है और नवाबगंज में 50 लाख क्विंटल गन्ना पैदा हो रहा है, वहां 125 क्रेशर चलते हैं लेकिन वहां आज तक चीनी मिल लगाने की संस्तुति नहीं की गयी। इसलिये बरेली की उपयोगिता को देखते हुए नवाबगंज में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल की स्थापना की जाय। मान्यवर, विरोध पक्ष के एक मा0 सदस्य ने मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था तो उन्होंने कहा था कि बरेली में सर्वे करा लेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां का सर्वे हो चुका है, वहां गन्ने का रेकार्ड उत्पादन है जिससे गन्ना किसान अपना गन्ना एटा, बीसलपुर और पीलीभीत शुगर फैक्टरी को दे रहे हैं।

मान्यवर, शुगर एक्ट 1934 का बना है, उसके बाद 1953 में कुछ परिवर्तन एक्ट में हुए, उसके बाद इतने दिन गुजर गये हैं, इसीलिए मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इस एक्ट को अपने समय में ही अमेन्ड करें जिसने गन्ना किसानों को लाभ हो।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना शोध संस्थान शोध कार्य कर रहा है और इसकी स्थापना 1977 में हुई। लेकिन 20 साल पहले से 1148, 1158, 527 और 301 गन्ने की वैराइटी जो हैं, जो वही हैं, उसके बाद नया बीज किसान के सामने नहीं आ रहा है जबकि धान और गेहूं की वैराइटीज में हलचल पैदा हो गई है।

मान्यवर, हमारे पास पिछले साल का भाषण है, मंत्री जी ने कहा था कि कई वैराइटी हैं। हमने किस्सा सुनाया हीरा मोती गेहूं का। मान्यवर, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि उस गन्ना शोध संस्थान के अधिकारियों को आप 50 लाख रुपये अनुदान दे रहे हैं और करोड़ों रुपये संस्थान पर खर्च कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन 8–10 वर्षों में इन्होंने कौन सा शोध कार्य किया है?

मान्यवर, चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं मेरे पास जो आंकड़े हैं उनको मैं देना चाहता हूं। तामिलनाडु में पैदावार 63 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, आंध्र में 86.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, कर्नाटक में 73.35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 104.99 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार है। उत्तर प्रदेश में 46.91 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पूरे हिन्दुस्तान की पैदावार का औसत 58.32 है। यह आकड़े 1978 के हैं। तो हिन्दुस्तान के जो आंकड़े हैं, उससे भी कम उत्तर प्रदेश में पैदावार होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी और उनकी सरकार शोध परिषदों पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है तो इन शोध परिषदों को कसें जिससे गन्ने की पैदावार बढ़ सके।

पांचवीं बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में प्रजातंत्र है और माननीया श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं तो जो छोटे लोग हैं, सीमांत कृषक हैं, जो हरिजन जातियों के लोग हैं, उनको आप सबसीडी देते हैं 33 परसेंट और 25 परसेंट और दो रुपये प्रति क्विंटल उनको बीज पर सबसीडी दी जाती है लेकिन यह वास्तव में उनको नहीं पहुंच रही है। सुपरवाइजर और गन्ना ग्राम सेवक वगैरह इसको हड़प रहे हैं। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि परचेजिंग सेन्टर्स पर पानी की व्यवस्था नहीं है, ट्रक आदि पर भरने की व्यवस्था नहीं है। किसान गाड़ी से गन्ना उठाकर लादता है। तो पानी, शेड वगैरह की व्यवस्था करें जैसा कि आपके बाईलाज में है। मान्यवर, सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जो निर्णय उसने दिया है, उसका एक्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं। मंत्री जी ने एक निर्णय दिया कि बरेली में एक सेन्टर पचपेड़ा गांव में लगा दिया जाय। गन्ना उपायुक्त को निर्देश दिया लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है, मेरे क्षेत्र में 10 परसेंट गन्ना पड़ा है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने के लिए समय दिया।

*श्री अकबाल हुसैन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझको इस गन्ना के बजट पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। माननीय थम्मन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय गन्ना विकास मंत्री ने सदन में एलान किया कि उनकी सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों को सबसे अधिक लाभकारी मूल्य दिलाया। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी सरकार ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अकबाल हुसैन]

पिछले सत्र में इसी प्रदेश के गन्ना किसानों को, पश्चिमी क्षेत्र के गन्ना किसानों को 23 रुपये और पूर्वी क्षेत्र के गन्ना किसानों को 22 रुपये मूल्य दिलाया था। तो इस दोहरी नीति की मैं कटु आलोचना करता हूं। इसकी कोई नीति नहीं है। मैं उदाहरण के साथ कह सकता हूं कि बिजनौर जिले में कुछ मिलें जिनकी रिकवरी 7, 8 परसेंट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ मिलें जैसे बलरामपुर चीनी मिल की रिकवरी 9.89 प्रतिशत है तथा बिलासपुर की रिकवरी 9.6 प्रतिशत है। बस्ती जिले में चीनी मिल की रिकवरी 10 परसेंट है तो अगर आप रिकवरी के आधार पर मूल्य तय करते हैं तो जहां पर 7 परसेंट रिकवरी है वहां पर 23 रुपये प्रति क्विंटल देते हैं और जहां की रिकवरी नौ और दस प्रतिशत है वहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप 22 रुपये देते हैं। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि इस दोहरी मूल्य नीति को समाप्त कर दें और पूरे प्रदेश में समान मूल्य घोषित करें। मान्यवर, जिन कटौतियों के सम्बन्ध में आप किसानों की खुली लूट करवा रहे हैं। इससे पहले मूल्य के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब किसानों ने 103/- रु0 यूरिया खरीद कर गन्ना बोया था, तब आपने 23/- रु0 गन्ने का दाम दिलाया, जब 2.50 रु0 प्रति लीटर डीजल खरीद-कर किसानों ने गन्ने की सिंचाई की तब 23/- रु0 दाम दिलाया और इस वर्ष जब डीजल का दाम 3.16 रु0 प्रति लीटर है और यूरिया का दाम 123/- रु0 प्रति बोरी है, तब किसानों को गन्ना मूल्य 23/- रु0 से घटाकर 20.50 कर दिया। इस तरह से किसानों का शोषण करवा रहे हैं।

जहां तक कटौतियों के सम्बन्ध में है, मैं कहना चाहता हूं कि अभी यहा पर यह घोषणा की और मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि पूरे प्रदेश में 50 पैसे से अधिक नहीं कट सकता। आपकी जो सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं या सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं, उनको जो गन्ना कृषक सप्लाई करते हैं, उसमें तो 50 पैसे कटवा रहे हैं, फिर कौन सा कारण है कि 27 चीनी मिलें जो निजी क्षेत्र में हैं, उनमें आज तक कटौतियां 1/- रु0 प्रति क्विंटल हो रही हैं? माननीय मंत्री जी ने 6 जनवरी को एक पत्र लिखकर मा0 विधायकों को और विधान परिषद् के सदस्यों को यह अधिकार दिया कि कहीं पर अगर 50 पैसे से अधिक कटौती हो रही हो तो जाकर किसानों के हित की रक्षा करें। यदि तौल में गड़बड़ी हो रही हो तो उसको भी देखें। मैं माननीय मंत्री जी की बात मानकर 6 जनवरी को कांटे पर गया और तुलसीपुर का कांटा 9 जनवरी को चेक किया। इसकी सजा यह मिला कि 10 जनवरी को मुझे आपकी सरकार की पुलिस ने मिल मालिक के इशारे पर फर्जी मुकदमें में बन्द कर दिया। जिस मुकदमें में मुझे गिरफ्तार किया गया, उस मुकदमें की एफ0 आई0 आर0 में यह कहा गया कि माननीय विधायक अकबाल हुसैन जी 1/- रु0 की कटौती को 50 पैसे करने की मांग कर रहे थे, इसलिये गिरफ्तार कर लिया गया।

(विपक्ष की ओर से "शेम" "शेम" की आवाजें।)

अगर हम आपकी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू कराना चाहते हैं, मुख्य मंत्री की बात को प्रभावी ढंग से लागू कराना चाहते हैं, तो हमारे हाथों में हथकड़ी

पहनायी जाती है और हमें जेल में रखा जाता है। जब सरकारी क्षेत्र की मिलें और सहकारी क्षेत्र की मिलें 50 पैसे प्रति क्विंटल कटौती के काटती हैं तो किस मुख से माननीय मंत्री जी आज भी इस प्रदेश में 27 चीनी मिलों को किस नीति के अन्दर 1/- प्रति क्विंटल कटौती काटने का अवसर दे रहे हैं? हर रोज कटौती के रूप में यह 27 मिल मालिक लगभग 27 लाख रु0 हमारे किसानों का हजम कर रहे हैं। इस प्रकार से इन मिलों द्वारा आप किसानों की लूट करवा रहे हैं। लूट करवाने का एक ही मकसद हो सकता है कि या तो आपने उन मिल मालिकों से या आपके दल ने बहुत बड़ी रकम ली है, इसलिये ऐसी छूट दे रहे हैं। जो कांटा वहां पर खराब पाया जाता है, वहां पर एक कांटा मिस्त्री होता है, वह उसका ठीक करके सील करता है। तो इस तरह से जब चाहे वह मिस्त्री सील तोड़ कर कांटा खराब कर दे और मिल मालिक को फायदा करा दे और फिर कांटे पर सील लगा दे। तो इस तरह से मिल मालिकों को फायदा पहुंचाया जाता है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि माननीय सदस्य असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कृपया इन्हें ऐसा करने से रोकें। इन्हें मर्यादित होने के लिए आप अपनी व्यवस्था दे दें। इतना गैर जिम्मेदाराना भाषण उचित नहीं है। यह माननीय सदन है, यहां पर मर्यादित और संसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये नये-नये विधायक हुए हैं, इन्हें शायद यह पता नहीं है कि यहां की गरिमा क्या है।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

मान्यवर, सत्य के उद्घाटन में कोई असंसदीय शब्द नहीं होता है।

श्री अकबाल हुसैन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी इस तरह से किसानों को लुटवा रहे हैं। इनकी नीतियां ही ऐसी हैं जिससे कि ये किसानों को लुटवा रहे हैं। किसानों को गन्ना के लिये एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा है कि देश के चीनी उत्पादन में प्रदेश के योगदान को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक लायेंगे। पहले प्रस्ताव था कि स्वेच्छा से उनकी कटौती की जायेगी परन्तु अब उर्वरक निधि जबरदस्ती काटी गयी और जब इसके विरुद्ध आवाज उठाई गयी तब जाकर उसे रोका गया।

बहुत से किसानों का रुपया मिलों पर बकाया है। तुलसीपुर में 70 से 74 प्रतिशत किसानों का रुपया बाकी है। उर्वरक निधि काट कर इस तरह से मिल मालिकों को उन्हें देना है। यदि आप किसानों के हितैषी हैं, यदि आप किसानों की सहायता करना चाहते हैं तो जो किसानों का रुपया गन्ना समितियों में बाकी है उनको आप पूरे ढंग से वसूल करके उनको दिलायें।

जहां तक पर्चियों का सवाल है यह कैलेण्डर से सप्लाई न करा कर टोकन से सप्लाई कराते हैं इससे यह होता है कि लाखों रुपयों का जो बाकी होता है, वह उसे वापस करने से भाग जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आप बैठें। मैंने माननीया सदस्या को बुला लिया है।

कुमारी अलमेलु अम्माल–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय गन्ना विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। इस वर्ष गन्ने का दाम सबसे ज्यादा दे कर सरकार ने किसानों को राहत दी। इस साल विरोधी दल जो हड़तालें फैलाने वाले थे, वह विफल हो गयी और किसानों का सरकार के प्रति प्रेम जग गया।

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि पूरब और पश्चिम का फर्क करके गन्ने के दाम में जो डेढ़ रुपया का फर्क किया गया है, वह नहीं होना चाहिए। इसको समाप्त करके दोनों जगह के लिये एक सा भाव बनाना चाहिये। एक बात और है कि फसल बोने के पहिले किसानों को अपना एरिया, निर्धारित होना चाहिए, उनके जो निर्धारित क्षेत्र है उसे उनको बताना चाहिये ताकि फसल के कटने के बाद किसानों को मालूम हो जायेगा कि अपने गन्ने के लिए हम कितना आगे चलें। यह मालूम हो जाय कि अपना गन्ना कहां ले जाना चाहिए। फसल काटने के बाद खेत को इधर उधर करने से न किसान को फायदा है न सरकार को लाभदायक है। हैं लेकिन अखबार का एक भी कारखाना नहीं है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि इधर-उधर काटेंगे तो उससे न तो किसानों का और न ही सरकार का लाभ होगा।

मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि बीमार चीनी मिलों को ले करके अनावश्यक घाटे में पड़ जाते हैं इसलिए जहां तक बीमार चीनी मिलें हैं उनको बिल्कुल बन्द करके वहां नई मिलें चलायें और पुरानी मिलों के मजदूरों को नई मिलों में खपा लें, हमारे क्षेत्र, बस्ती में मुंडेरवा चीनी मिल है, उसको सरकार ने ले लिया लेकिन न सरकार को और न किसान को उससे फायदा हो रहा है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि मेरी शिकायत को मान कर अयोग्य रिसीवर के स्थान पर नया आफिसर नियुक्त कर दिया। मुझे यह भी कहना है कि हमारे यहां सभी चीनी मिलों में खुइया जला कर चीनी बनाते हैं। कर्नाटक में भद्रावती में अखबार का कारखाना लगाने के बाद उसके बगल में चीनी मिल लगा दिया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन चीनी मिलें हैं लेकिन अखबार का एक भी कारखाना नहीं है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि अगर कागज का कारखाना आप लगायेंगे तो उससे देश के लिए बहुत फायदा होगा और हमारे जैसे पिछड़े जिले के लोगों को नौकरी मिलेगी, राहत मिलेगी।

इसके अलावा खुइया से पालियस्टर का धागा बनता है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहूंगी कि वे पालियस्टर की फैक्टरी हमारे यहां खोलें ताकि हमारे यहां के बुनकरों की जो समस्या है वह भी हल हो जायगी। शीरे से पावर अल्कोहल बना कर विदेशों में गाड़ियां, कारें चलती हैं। आपके कानपुर में नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट में पिछले एक साल से गाड़ियां, कारें चलाते हैं, अगर उसको यहां ले आयें, उसका अनुकरण करेंगे तो जरूर पेट्रोल के लिए एक सस्ता विकल्प मिल जायेगा और मंत्री जी से आपके द्वारा यह भी कहूंगी कि पावर अल्कोहल से कृत्रिम रबर का कारखाना भी खोलें। हमारे बस्ती जिले में इतने गरीब लोग हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है। अगर आप चीनी मिल को लेकर नये-नये तरीके से, जैसा मैंने कहा था, अखबार,

पालियस्टर, कागज का कारखाना ले आयें और पावर अल्कोहल लेकर गाड़ी चलायेंगे तो बस्ती बहुत आगे बढ़ जायेगा, सिर्फ बस्ती ही नहीं, जितनी चीनी मिलें हैं, अगर नया सिस्टम शुरू करेंगे तो हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ जायेगा।

धन्यवाद।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव के बारे में मुझे बोलने की आपने जो इजाजत दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, गन्ना क्षेत्र के लिए यह विभाग बहुत व्यापक है और इस विभाग के पूरे क्रिया कलापों के बारे में यहां चर्चा करना सम्भव नहीं है लेकिन कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले गन्ना समितियों के बारे में मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अधिनियम बना, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, उसके अन्तर्गत जो प्रदेश में सहकारी समितियों का गठन हुआ—कहा गया कि ये सहकारी समितियां एक निगमित निकाय होंगी और स्वैच्छिक होंगी। तो उसका संगठन लोकतांत्रिक होगा। उसको अपने क्षेत्र में, अपने उद्देश्यों तथा अपने हितों के लिए कारोबार एवं व्यवसाय करने का अधिकार प्रदत्त होगा। मान्यवर, वित्त पोषण की बात कही गई। आज गन्ना समितियों को वित्त पोषण योजना में लागू करके उनके अधिकार गन्ना समितियों से छीन लिये गये। इससे जो लाभ पहले होता था वह नहीं हो पा रहा है। आज गन्ना समितियां रुग्ण हो गई हैं, बहुत दयनीय स्थिति उनकी हो गई है। आज गन्ना समितियां अपने कर्मचारियों की तनख्वाह गन्ने की कीमत से भुगतान कर रही हैं। यह स्थिति बड़ी ही भयावह है। यह गन्ना समितियों की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ उनके व्यवसाय का अधिकार, उनको ऋण देने का अधिकार समाप्त हो गया है। ऐसा लगता है कि अब यह समितियां ज्यादे दिन तक टिक नहीं पायेंगी। इस भयावह स्थिति से मुकाबला करने के लिए माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं इस सरकार को एक बात के लिए बधाई भी देना चाहता हूं कि इस दिशा में पिछले साल कमीशन की जो धनराशि थी उसमें बढ़ोत्तरी करके थोड़ा सा आर्थिक सुधार करने की इस सरकार ने चेष्टा की थी लेकिन मान्यवर, उस कमीशन को बढ़ाने से इनका आर्थिक सुधार सम्भव नहीं हो पा रहा है। पहले गन्ना समितियां किसानों को अपना धन वितरित करती थीं और जब मिल मालिक मिलों को चला नहीं पा रहे थे तो आज से 10-15 वर्ष पूर्व कितनी गन्ना समितियां उन चीनी मिलों की नीलामी लेने के लिए तैयार हो गई थीं। मान्यवर, अब मैं पिपराइच मिल की बात करना चाहता हूं। पिपराइच गन्ना समिति अपने पैसे से, कर्ज लेकर और अपने मूलधन से मिल को खरीदने के लिए तैयार थी लेकिन आज जो स्थिति है, वह आपके सामने अर्ज कर दिया।

अब मैं गन्ना संघ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह गन्ना संघ पूरे प्रदेश में गन्ना के संरक्षक के रूप में इसकी स्थापना की गई ताकि वह गन्ना

[श्री केदार नाथ सिंह]

समितियों को संरक्षण प्रदान करें और उनको एक मंच पर रखते हुए उनकी जरूरतों और संसाधनों को जुटाने का काम करें लेकिन वह भी आज उसका शोषण करती जा रही हैं। आज क्या लाभ गन्ना समितियों को गन्ना संघ दे रहा है उसे माननीय मंत्री जी मंगाकर देख लें। गन्ना संघ ने तीन तरह की नीति निर्धारित की है। पहली कैटेगरी की गन्ना समितियों को खाद पूरा उधार पर दे दिया जायेगा। दूसरी कैटेगरी में है आधा उधार और आधा नगद और तीसरा है पूरा नगद। इस तरह का नियम अभी-अभी हाल ही में हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि इसका मतलब यह हुआ कि इसी प्रदेश के अन्दर समितियों के जो सदस्य किसान हैं उनको तीन तरह से खाद मिलेगी। प्रदेश में कुछ किसान तो पूरा उधार पर खाद पायेंगे, कुछ किसान आधा उधार और आधा नगद पर खाद पायेंगे और कुछ किसानों को पूरा नकद देकर खाद लेना पड़ेगा। गन्ना संघ की यह विषमतापूर्ण नीति है, जो ठीक नहीं है। अभी हाल में ही कटौती के सम्बन्ध में प्रश्नों के दौरान माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि जो कटौतियां गन्ना समितियां कर रही हैं, किसानों से स्वेच्छा से वसूल किया जायेगा। यह बात नहीं है। मैं इस पर सदन में गलत सूचना देने के आधार पर विशेषाधिकार का मामला उठाने वाला था लेकिन यह सोचकर मैंने उसे नहीं उठाया कि सम्भव है माननीय मंत्री जी को गन्ना समितियों के बारे में, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, उसकी नियमावली व उपविधियों के बारे में सही जानकारी न हो और वे ऐसी बात कह गये हों। अगर इस तरह से वसूली होती रही तो फिर आप कोई भी वसूली नहीं कर पायेंगे।

आप राजस्व वसूली को ही ले लें, अगर कह दिया जाय कि स्वेच्छा से जिसको भी लगान देना हो दे या विकास कर के बारे में भी ऐसी छूट दे दें जो इस सरकार ने लगा रखी है, उसके लिये अगर ऐसा कह दिया जाय कि स्वेच्छा से जो देना चाहे दें तो शायद एक पैसा भी इकट्ठा नहीं हो पायेगा। अधिनियम, नियम, व उपविधियों के अन्तर्गत यह कटौती की जाती है। जब ऐसे नियम बने हैं और गन्ना समितियां उसे पास कर देती हैं तो स्वेच्छा की बात नहीं रहती है। वह तो गन्ना सहकारी समितियों द्वारा जारी किया जाता है और किसानों से उसकी वसूली होना निश्चित है वरना गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हो पाता है। जो मिल कटौती करती है उसके बारे में यहां से सर्क्युलर जारी होता है और उस सर्क्युलर के हिसाब से गन्ना किसानों से कटौती की जाती है और उसमें कोई किसान चाहे कि स्वेच्छा से न दूं, तो ऐसा सम्भव नहीं है। इस मामले में जो माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा वह उचित नहीं था, तर्कसंगत नहीं था। यह कटौती नियम के अनुसार होती है और समय-समय पर गन्ना आयुक्त एक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा सरकुलर जारी किया जाता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। यह कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। यह सरकार जो आज सत्ता में है, इसी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण संशोधन सहकारिता समिति अधिनियम एवं नियमावली में किया था। यह गन्ना समितियां प्रारम्भिक ऋण समितियां कही गयी थीं। प्रारम्भिक ऋण समितियों का निर्वाचन साधारण सदस्यों

के द्वारा होता था। माननीय मंत्री जी ने प्रश्नों के दौरान कहा कि अब डेलीगेटों के द्वारा चुनाव होगा। शायद माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी न हो कि इन गन्ना समितियों पर 20-25 वर्षों से कुछ खास किस्म के लोगों का प्रभाव रहा है। कुछ लोग इस पर एकाधिकार कर चुके थे। इसी शासन के निर्देश से लगभग कानून में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और गन्ना समितियों के सदस्यों द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया लागू की गयी। जिससे उन्हें उनके पदों से हटाया जा सकेगा क्योंकि वे लोग वर्षों से शोषण कर रहे थे गन्ना समिति का इसलिए ऐसा किया गया। अब माननीय मंत्री जी इस समय उसमें भी परिवर्तन कर दिये हैं। इस पर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें और देखें कि क्या यह परिवर्तन समाज के लिए, गन्ना किसानों के लिए, घातक हो रहा है कि नहीं। धन्यवाद।

*श्री सोमांश प्रकाश–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज इस गन्ने के महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया और इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, गन्ने पर हमारे प्रदेश की किसानों की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है विशेष तौर पर हमारे प्रदेश के पश्चिम के किसानों की आर्थिक स्थिति और भविष्य इस गन्ने पर ही निर्भर करता है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण बजट है। इससे किसानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस वर्ष जो गन्ने की उपलब्धता हुई है, वह एक कीर्तिमान है। प्रदेश का सबसे बड़ा कीर्तिमान हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी और हमारे गन्ना मंत्री जी के द्वारा जो गन्ने का भाव किसानों को दिलाया है, वह है। प्रदेश के अब तक के इतिहास में गन्ने की इतनी ज्यादा कीमत किसानों को नहीं मिली। इसके साथ ही साथ यह बात भी अपनी जगह पर निश्चित है कि गन्ने का उत्पादन भी बढ़ा है और क्षेत्रफल भी बढ़ा, चीनी का उत्पादन बढ़ा। ये सब अपनी-अपनी जगह पर मानने योग्य बातें हैं। इसके साथ ही साथ कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम यह हुआ है कि हमारी कांटे और तौल की समस्या जो थी, उसमें एक कीर्तिमान पैदा हुआ है। गांव सभा के सरपंच, विधायकों, को यह अधिकार दिया गया है कि जाकर गन्ने की तौल, कांटे आदि की जो शिकायतें होती थीं, उनको देखें और देख करके पकड़े। मैं नहीं समझता इसके बाद हमारी तरफ से क्या शिकायत रह जाती है? हमारी कमी है कि हम जाकर उन बातों को नहीं देख पाते।

मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। सन् 1977-78 में आप देखें गन्ने का क्षेत्रफल 13.79 लाख हेक्टेयर था, 1978-79 में 14.69, 1979-80 में 12.33 रह गया। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि गन्ना सूखा पड़ा। यह बात नहीं है बल्कि कारण यह हुआ कि गन्ना नीति उस समय खराब हुई, उसकी वजह से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सोमांश प्रकाश]

किसानों ने गन्ने का अपना रकबा घटा दिया। मैंने बताया कि 1978-79 में गन्ने का क्षेत्रफल 14.69 था जब कि 1979-80 में 12.33 रह गया।

इसी तरह से 1979-80 में गन्ने का उत्पादन देखें तो 1979-80 में गन्ने का उत्पादन 471.11 रह गया। यह इसी कारण हुआ कि हमारी गन्ने की नीति दोषपूर्ण थी। अब जब हमारी प्रदेश सरकार की गन्ने की नीति में सुधार हुआ तो वही क्षेत्रफल 1980-81 में 12.5 और 1981-82 में 15.37 हो गया है। गन्ने का उत्पादन 1979-80 में 471.11 लाख टन और 1980-81 में 576.62 और इस साल 1981-82 में संभावित उत्पादन है 700 लाख टन। इसी प्रकार चीनी के उत्पादन को भी आप देखें। चीनी का उत्पादन 1978-79 में 14.63 और 1979-80 में 9.57, 1980-81 में 12.24 और इस वर्ष का अनुमानित उत्पादन है 77.76। यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे प्रदेश की सरकार की गन्ने की नीति और चीनी की नीति के कारण हमारे प्रदेश में गन्ने के उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं हुई, गन्ने के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी नहीं हुई, चीनी के उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं हुई यह अपनी जगह पर सत्य है।

इसके साथ ही साथ जहां हम गन्ने के रेट के बारे में कहते हैं कि वह बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा है, वहीं उसके उत्पादन के सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं गन्ना अनुसंधान केन्द्र के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केन्द्र को जितना अच्छा कार्य करना चाहिए था, मैं समझता हूं कि वह नहीं कर पा रहा है। हमारी जो 1148 वैरायटी है, उसको रीप्लेस नहीं कर पाये हैं। इससे अच्छी वैरायटी भी हो सकती है। माननीय मंत्री जी ने दो वैरायटीज के बारे में जिक्र किया। एक 802 और दूसरी 667। इन दोनों वैराइटीज की तारीफ विभाग की तरफ से हुई है। अभी इसका प्रचार नहीं हुआ है और किसान इसको अभी पूरी तरह से अपना नहीं सके हैं। यह जो 1148 की वैरायटी है, उसको यदि मैं देशी भाषा में कहूं तो उसकी जड़ हिल रही है। हमको नई वैरायटी पैदा करनी है। मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि इन अनुसंधान केन्द्रों के लिए अधिक से अधिक बजट रखा जाय और वहां जो वैज्ञानिक हैं, उनको अच्छा पे-स्केल दिया जाय। जब तक उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा, वे इस ओर ध्यान नहीं देंगे।

मान्यवर, मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है और सबसे अधिक गुड़ और खांडसारी पैदा करता है। वहां पर जो गन्ना अनुसन्धान केन्द्र है, मैं किसी को उसके लिए दोष नहीं देता हूं कि वहां पर किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी का दोष है लेकिन फिर भी उस अनुसंधान केन्द्र से गन्ना किसानों को जो लाभ होना चाहिए, वह लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि वहां पर स्टाफ की कमी है तो उसको पूरा किया जाय। लेकिन इस पश्चिमी जिले में प्रदेश में जो सबसे अधिक गन्ना पैदा करता है, गुड़ और खांडसारी पैदा करता है, उसमें किसी प्रकार की कमी रहे, किसानों को सुविधा न दे सके, यह ठीक नहीं है। हमारी मांग है कि इस अनुसंधान केन्द्र को पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा अनुसंधान केन्द्र रखा जाय।

दूसरी बात यह है कि जो हमारी चीनी की नीति है उस पर भी हम विचार करें । इस साल हम यह देख रहे हैं कि 1977-78 में जो जनता पार्टी के शासन में भूलें हुई थीं, गन्ने का भाव पिट गया था, वही स्थिति होती जा रही है । साढ़े 21 और साढ़े 20 का भाव दे रहे हैं । हमारी मिलें कुल गन्ने का 33 प्रतिशत गन्ना ही पेर रही हैं क्योंकि उनकी क्षमता 33 प्रतिशत तक ही गन्ना पेरने की है । वहां तो गन्ने का भाव 13/14 रुपया ही रह गया है । इस तरह से यह एलार्मिंग स्थिति है, चेतावनी देने वाली है । हम गन्ने का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, चीनी का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, उसके सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि आप खड़े कोल्हुओं की भी व्यवस्था करा दें जिससे खाण्डसारी उद्योग बढ़े, गुड़ की खपत बढ़े ताकि बाकी गन्ना जो है उसको भी सही रेट दे सकें । . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री सोमांश प्रकाश–

मैं दो मिनट का समय और चाहता हूं । मान्यवर, मेरी मंत्री जी से मांग है कि वे अगले वर्ष के लिए गन्ने की नीति निर्धारित कर लें नहीं तो गन्ना पिट जायेगा । हमारे पश्चिमी जिलों में यह भी नहीं है कि किसान गन्ना कम बोयें क्योंकि उनके पास और कोई फसल नहीं है । आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जो चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में हैं और उनमें जो नुकसान हो रहा है . . . .

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठ जांय । आखिर इस तरह से कोई अनुशासन चलेगा ?

श्री हरगोविन्द वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं माननीय मंत्री को गन्ना और चीनी मिलों के बारे में कुछ सुझाव, जो आज प्रदेश में स्थिति है, उसमें देना चाहता हूं । हमारा प्रदेश गन्ने के मामले में देश में प्रमुख स्थान रखता है। पूरे देश में जितना गन्ना होता है उसका 1/4 गन्ना हमारे प्रदेश में होता है । लेकिन हमारे प्रदेश के गन्ना किसान की स्थिति बड़ी असहनीय है । कितनी मेहनत करने के बाद गन्ना पैदा होता है, इसके बारे में अकबर ने बीरबल से पूछा कि गन्ना कैसे पैदा होता है तो बीरबल ने कहा खाद पानी, खाद पानी, खाद पानी तो अकबर ने कहा रुक जाओ तो बीरबल ने कहा रुक गया तो गन्ना गया । तो इतनी मेहनत के बाद गन्ना पैदा होता है लेकिन किसान को मिलता क्या है ?

उपजे ऊख बड़ा मन हुलसा, कीन हिसाब बचा का सिरका । तो यही स्थिति हमारे गन्ना किसान की है । गन्ने के मामले में तीन चीजें हैं पैसा, गन्ना और लेबर । पैसे से मिल लगता है, गन्ना रा-मैटीरियल है और मजदूर मजदूरी करता है । तो इन तीनों की हिस्सेदारी मिल के अन्दर होनी चाहिए तब जाकर किसान को सही मूल्य मिल सकता है । हमारे प्रदेश में किस तरह से मिलों को चलाया जा रहा है, इसके इतिहास में मैं नहीं जाता । लेकिन इस साल जो भाव तय किये गये उससे

[श्री हरगोविन्द वर्मा]

साफ जाहिर होता है कि हमारे गन्ना उत्पादकों की पीठ पर पूरी तरह से पूंजीपतियों की बन्दूक लगी रही है जिसने हमारे उपभोक्ताओं और किसानों को लूटने का काम किया। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारे प्रदेश के अन्दर लगभग 18 लाख टन चीनी पैदा होगी। इसी को अगर मान लें तो जिस तरह से चीनी पर 15 पैसे पर कि0ग्रा0 दाम बढ़ा दिए उससे पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं के 27 करोड़ रु0 निकल कर पूंजीपतियों की जेब में चला गया। पिछले साल से इस साल डेढ़ रुपया कम दाम गन्ने का किया गया तो उसका पूरा हिसाब लगायें तो 18 लाख टन चीनी बनने में कितना क्विंटल गन्ना पेरा गया होगा? तो इस तरह से 27 करोड़ रुपया किसानों का मिल मालिकों की जेब में गया है। तो लगभग 54 करोड़ रु0 उत्तर प्रदेश के किसानों और उपभोक्ताओं का उनकी जेब में गया है। तो इस बात को सोच कर जब तक दीर्घकालीन कोई योजना हम नहीं बनायेंगे तब तक उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ना किसान की समस्या हल नहीं हो सकती है। आज हम दुहाई देते हैं उधर से कि जनता और लोकदल की सरकार के समय गन्ना सड़ गया लेकिन आज भी तीन चार रु0 के हिसाब से गन्ना जा रहा है। आज 1977-79 की स्थिति नहीं है। 1977 में जब जनता सरकार बनी थी तो उसमें पूंजीपतियों ने कोआपरेट नहीं किया और हमारे विरोध में अपनी क्रसिंग कैपेसिटी कम कर दिया। हमारे यहां दो मिल हैं। हरगांव मिल की जो कैपेसिटी थी, उससे कम गन्ना पेरा। पर आज स्थिति भिन्न है। पूंजीपति आपको कोआपरेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार बनी हुई है। इसलिए आज की स्थिति भिन्न है आज भी हमारे जिले में चल कर देख सकते हैं तम्बोर इलाके में साढ़े चार और 5 रु0 क्विंटल गन्ना बिक रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक दीर्घकालिक योजना नहीं बनेगी, किसान के गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिलेगा और पूंजीपति लूटने की नियत से काम करेंगे तो उनका भला नहीं हो सकता है। आप कहते हैं कि गन्ने के विकास की योजना बना ली है और उधर से जो माननीय सदस्य ने डेटा रखे तो मैं कहना चाहता हूं कि जबान पर कागज में गन्ना पैदा हो जाता है।

आज उत्तर प्रदेश में किसान अगर गन्ना पैदा करेगा तो उसकी सड़ने की नौबत आ जायेगी। पिछले साल से इस साल थोड़ा अधिक गन्ना पैदा हो गया तो उस गन्ने की दुर्दशा हो गयी है। आपकी नीति है कि देश का किसान और मजदूर ऊपर न उठे, आप इस देश के गरीब को उठाना नहीं चाहते हैं इसके कारण गुड़ पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। जिस तरह से गेंहू पर प्रतिबन्ध है, उसी तरह से गुड़ पर प्रतिबन्ध है। उसके कारण उसका गुड़ सस्ता हो गया है और जिसके कारण वह अपने गुड़ को मिल पर ही देने के लिए मजबूर हो गया है। लोकदल की सरकार के जमाने में जब यहां गन्ने की तमाम समस्या खड़ी हो गयी थीं, उसने 24 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने से निकालकर किसानों को देने का काम किया था और जितना अच्छा काम किया था, वह आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। हमारे यहां सीतापुर की महोली चीनी मिल पर सन् 72 से बकाया पड़ा था, उसको देने का काम लोकदल और जनता सरकार ने किया और आज महोली मिल में फिर से हालत खराब है, किसानों का काफी रुपया बकाया पड़ा है। आपने कैपिसिटी बढ़ाने की बात कही है। महोली मिल में आपका रिसीवर बैठा हुआ है और आपने उस मिल के लिए 2 करोड़ रुपया दिया है। लेकिन उसी मिल

की कैपिसिटी जो पिछले साल 1700 बोरे प्रति दिन निकालने की थी, वह इस समय 1000 की रह गयी है। तो दो करोड़ रुपया खर्च करने के बाद उसकी कैपेसिटी बढ़ने के बजाय घटी है, कम हुई है। एक करोड़ पचपन लाख रुपया उस पर किसानों का आज भी बकाया है।

इसी तरह से हरदोई मिल पर 1 करोड़ 60 लाख रुपया बकाया है और इसी तरह से पूरे प्रदेश में कोई ऐसी पूंजीपतियों की मिल नहीं है, जिस पर किसानों का लाखों करोड़ों रुपया बकाया न हो। उसके बाकी पैसे पर और उसके ब्याज पर और उन्हीं मिल वालों से रुपया लेकर आप चुनाव जीत कर आए हैं। यह रुपया उनके अफसरों और पूंजीपतियों की अय्याशी पर खर्च हो रहा है। यदि आप किसानों को पनपते देखना चाहते हैं, तो आपको इन तीनों चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए गन्ने का कैसा उत्पादन हो, पैदा होने के बाद कैसे उसका इस्तेमाल हो और उसका किसानों को कैसा पैसा मिले। गन्ना मूल्य की बहुत पुरानी समस्या है। रफी अहमद किदवई के जमाने में तय हुआ था कि जितने आना मन चीनी, उतने रुपए मन गन्ना होगा और उसके हिसाब से गन्ने का रेट निकाला जाए तो 27 से ऊपर उसका मूल्य तय होता है। लेकिन आपने उसको घटाकर पूरे प्रदेश में किसानों पर छूरा चलाने का काम किया है और सारे उपभोक्ताओं के पेट पर छूरा चलाने का काम किया है और इससे उसके अधिकारियों, पूंजीपतियों और उनके लगवा भगवा को आपने लूटने का मौका दिया है। यह बहुत ही निन्दनीय है। इसके साथ में कटौती के प्रस्ताव का जबरदस्त समर्थन करते हुए प्रस्तुत बजट का घोर विरोध करता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह बड़े खेद के साथ आपसे अर्ज करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देखते हैं रोजाना एक परिपाटी चली आ रही है कि एक सदस्य विरोध पक्ष से बोलता है तो एक सदस्य सत्ता पक्ष से बोलता है। साथ ही मान्यवर, मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस के अनुसार दोनों पक्ष आपके पास एक सूची भेज देते हैं कि हमारे यहां से अमुक-अमुक सदस्य बोलेंगे। तो मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज उपरोक्त दोनों परिपाटियां टूट गयी हैं। अतः अब मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस परिपाटी को तोड़कर कोई नई परिपाटी आज बनायी गई है या नई परिपाटी बनाई जा सकती है?

श्री अधिष्ठाता–

अब तक जिन माननीय सदस्यों को बोलने के लिए बुलाया गया है, वह सूची के अनुसार है। वैसे परम्पराएं तो बनती बिगड़ती रहती हैं लेकिन जिस ओर आपने इंगित किया है, उसका ध्यान रखा जायेगा।

श्री फखरे आलम–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठ जांय ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

हमारे गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री जी ने जो आज सदन में बजट रखा है, वह बहुत ही उत्साहवर्धक है। हमारा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग बड़े जोर से चल रहा है। मैं रिसीवरशिप के मिलों के बारे में तो नहीं कह सकता कि वहां पर क्या हालत है लेकन और चीनी मिलों में प्रदेश के किसानों का भुगतान कर दिया है और हमारी सहकारी मिलें आज मुनाफे में चल रही हैं। अपनी स्थिति का सुधार भी किया गया है। मान्यवर, हमारे पश्चिमी क्षेत्र में चीनी उद्योग और खंडसारी उद्योग और गन्ने की खेती किसान के आर्थिक ढांचे में तो विशेष महत्व रखता है। पूरे देश की एक चौथाई चीनी हमारे प्रदेश में पैदा होती है, हमारे प्रदेश में 91 चीनी मिलें हैं जबकि पूरे देश में 301 चीनी मिलें हैं।

गन्ना विभाग में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में लगभग 300 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है जब कि वर्ष 1981-82 में 490 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है। इसी प्रकार और भी अन्य चीनी उद्योग और गन्ने के विकास के कार्य हमारे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का सच्ची लगन से, हृदय और मन से प्रयास है कि गन्ने का विकास हो और गन्ने के गरीब किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले और मुझे विश्वास है कि माननीय कुशवाहा जी के नेतृत्व में सही काम होगा। उन्होंने और भी कई कदम उठाये हैं जैसे कि जो हमारी पुरानी चीनी मिलें हैं, उनकी कार्यक्षमता को भी बताया है और नयी चीनी मिलें भी सहकारी क्षेत्र में खुल रही हैं। मेरी माननीय मंत्री जी से केवल यह प्रार्थना है कि वे चीनी मिलों को उन्हीं क्षेत्रों में आवंटित करें जहां पर गन्ने का उत्पादन हो, उसको देख कर ही करें। इस लिट्रेचर को देखने से ज्ञात होता है कि जहां पर पहले से अधिक चीनी मिलें हैं, वहीं पर उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने और नयी चीनी मिलें खोली जा रही हैं। मेरे विचार में अन्य इलाकों में भी जहां पर गन्ने का उत्पादन अच्छा होता है, चीनी मिलों की कार्यक्षमता को बढ़ाया जाय और नयी चीनी मिलें भी बढ़ायी जांय। इस अवसर पर यह भी नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मिलों के रख रखाव में, टूट फूट में, वेतन में, भत्तों में, और वेजेज में, किसी मिल में 100 प्रति क्विंटल आता है, किसी में 61 रुपये प्रति क्विंटल, किसी मिल में खर्चा 236 रुपये प्रति क्विंटल और किसी मिल में 268 रुपये प्रति क्विंटल खर्च आ रहा है। इस प्रकार की विषमता इन मिलों में चल रही है, इसकी ओर मंत्री जी ध्यान दें। मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि अगर हम अपने खर्च को कम कर सकें तो अवश्य ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि इन मिलों के मैनेजर्स यहां पर कारों में आते हैं। आजकल जब कि पैट्रोल का दाम इतना मंहगा हो गया है तो इससे व्यर्थ में खर्चा बढ़ता है। मेरा निवेदन है कि आप अपने जनरल मैनेजर्स या अन्य अधिकारियों को निर्देश दें कि वे यहां पर, कम से कम, कारों पर जो खर्च होता है, उसको बन्द करें। इसी प्रकार से इन मिलों में स्टाफ भी बहुत ज्यादा है, जबकि बहुत से मिलों में ऐसा नहीं है। वह खर्चा इतना नहीं होना चाहिए।

इसी प्रकार के और भी जो गलत खर्चे हैं, उनको रोक देने से हम निश्चित् रूप से लाभ की ओर बढ़ेंगे।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि शुगर सेल की जो पुरानी विधि चली आ रही है, उसको बदलें। एक इन्डिपेन्डेन्ट खंडसारी एजेन्सी कायम करें विभाग की जिससे, जो शुगर सेल में घोटाला होता है, गड़बड़ी होती है वह न हो सके। अन्त में मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। पर्चियों के वितरण तथा सट्टे पर प्रतिबंध लगा कर रोक करें। इसी प्रकार आप देखते हैं कि शुगर कार्पोरेशन में बराबर घाटा होता चला जा रहा है। वर्ष 1979-80 में 2.57 करोड़ रुपये का घाटा था और 1980-81 यह घाटा बढ़ कर 6.06 करोड़ हो गया। यह नेट लास है। सरकार की 44 करोड़ की पूंजी इस कार्पोरेशन में लगी है। मैनेजमेंट ठीक न होने के कारण यह घाटा हो रहा है।

सट्टे में भी बड़ी गड़बड़ी होती है। सट्टा ठीक से नहीं किया जाता। सट्टे के वक्त कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचते और किसान को बेवकूफ बनाकर उसको नुकसान पहुंचाया जाता है।

मेरे क्षेत्र में एक चीनी मिल है, जिसमें परचियों के देने में बड़ी ही गड़बड़ी की जाती है। किसान बहुत गरीब होता है। उसको अपनी लड़की-लड़के की शादी आदि भी करनी होती है और उसके लिये रुपयों की जरूरत पड़ती है। ऐसे मौकों पर अगर उसको परची अधिक भी दे दी जायें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। गुजरात में मैंने देखा है कि वहां पर फसल को देख कर कीमत लगा ली जाती है और कुल कीमत का 80-90 फीसदी रुपया किसान को पहले मिल जाता है। हमारे यहां भी किसान को इस तरह की सुविधायें मिलना चाहिये। संचालक मंडलों का भी गठन किया जाना चाहिए इससे निरंकुश एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

[समय 4 बजकर 2 मिनट]

श्री फखरे आलम–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये इसलिए खड़ा हुआ हूं कि अपने कुछ सुझाव दे सकूं। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में 91 चीनी मिलें हैं इसमें 18 कोआपरेटिव सेक्टर में हैं, 19 शुगर कारपोरेशन के पास हैं और 39 प्राइवेट सेक्टर में हैं और 10 रिसीवरशिप में हैं तथा 5 कस्टोडियन में हैं। इन सब मिलों में जो मिलें शुगर कारपोरेशन की हैं, उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक मीटिंग बुलायी थी और उसमें भी यह बात कही थी। 44 करोड़ की जो पूंजी इसमें लगायी थी वह घट कर 32 करोड़ 45 लाख रुपये ही रह गयी है, इसमें घाटे के कारण। लाभ होने के बजाये शुगर कार्पोरेशन बराबर घाटे में जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा घपला है। इस घाटे की भी एक बजह है। जब जनता पार्टी का शासन खत्म हुआ और कांग्रेस (आई) की सरकार आयी तो शक्कर का भाव 12 रुपए किलो हो गया और उस समय इस कार्पोरेशन ने सारी चीनी बेच डाली आज

[श्री फखर आलम]

उसके पास शकर नहीं है। 17 फरवरी को जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें इस बात को कहा गया था कि ढाई करोड़ रुपया जो सेल प्रोसीड्स का है उसका पता नहीं चल रहा है कि वह कहां गया और उसका क्या हुआ। तो शुगर कारपोरेशन ने 1971 से 6 यूनिट ली थी, बाद में 5 यूनिट और ले ली, उसके बाद और लेकर कुल 18 यूनिट कर दिया। लेकिन घाटा 20 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उससे क्या लाभ होगा? लिहाजा मेरा यह सुझाव है कि शुगर कारपोरेशन ने जो मिल्स ली हैं, उनका कोई दूसरा उपाय किया जाय। शुगर कारपोरेशन की कोई जरूरत नहीं है। यह जो तमाम कारपोरेशन्स की बात है, जैसे कि मेटल कारपोरेशन मुरादाबाद है, हर चीज का कार्पोरेशन बना दिया गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा मैं यह मांग करूंगा कि शुगर कारपोरेशन को खत्म कर दिया जाय। दूसरी चीज यह है कि कोआपरेटिव सेक्टर में जो चीनी मिलें चल रही हैं, उनकी हालत खराब है। जो बड़े प्राइवेट सेक्टर में मिल्स थी, गन्ना जो उसमें दिया करते थे, उनका पेमेंट उसी दिन हो जाया करता था या 1 हफ्ता में हो जाया करता था और अब जो कोआपरेटिव सेक्टर में जो मिल चल रही हैं, उनका पेमेंट तुरन्त नहीं मिलता है। जनरल मैनेजर अपने को बादशाह समझता है। हमारे यहां बदायूं में जो एक कोआपरेटिव की चीनी मिल खुली है, उसका जनरल मैनेजर किसी से नहीं मिलता है। उस जनरल मैनेजर का यह नहीं पता चलता है कि वह क्यों नहीं मिलता है। मुख्य मंत्री और गर्वनर से तो आदमी मिल सकता है लेकिन उस चीनी मिल के मैनेजर से काश्तकार की मुलाकात नहीं हो सकती। वहां पर इतना बड़ा शोषण हो रहा है। काश्तकारों का गन्ना कांटे के ऊपर पड़ा रहता है, कोई उसे देखने वाला नहीं है और कांटों पर जब तौलाई होती है, तो कांटे में डंडी मारी जाती है। ऐसे चोर हैं जो हथेली पर चिराग रख कर चोरी करता है और किसानों का उधर शोषण हो रहा है। तो काश्तकारों की हालत यह हो गयी है कि वह तो मेड़ की मिसाल जैसा हो गया है कि वह जहां जायगी, वहीं मुड़ेगी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव की जो चीनी मिलें हैं, उनकी तरफ ध्यान दें और जो घोटाला उसमें हो रहा है, उसको खत्म करें। प्रशासकों को खत्म करें और जनरल मैनेजर पर नजर रखने की जरूरत है। चीनी मिल में जो आदमी हों, जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर हों, आफिस बियरर्स हों वह रिप्रेजेंटेटिव के एलक्टेड मेम्बर द्वारा आदमी होना चाहिए।

मेरा यह सुझाव है माननीय मंत्री जी से कि प्राइवेट सेक्टर में चीनी मिलें जो हैं, उसको आप देखें कि वह पेमेन्ट कर रही हैं कि नहीं। जैसे अकबाल हुसैन साहब ने कहा कि अगर उनको कुछ कहा जाता है, तो पुलिस उनका साथ देती है, क्योंकि पुलिस को उनसे कुछ मिलता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकार उनका साथ देती है, प्रशासन उनका साथ देता है, क्योंकि प्रशासन को वह खुश करते रहते हैं। तो ये समस्यायें ऐसी हैं, जिन्हें आपको देखना होगा। मान्यवर, इस तरीके से शोषण हो रहा है, तो उस शोषण को आप रोकें और उसका कुछ इन्तजाम करें। मान्यवर, यह बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है कि जो पर्चियां दी जाती हैं, वह सही तरीके से काश्तकार को नहीं मिलतीं। उसमें यह होता है कि सोसायटी में जिन लोगों की ज्यादा पहुंच है, वह लोग ले लेते हैं। मान्यवर,

बाज दफा ऐसा होता है कि जिन लोगों की ज्यादा पहुंच है, वह दूसरों की पर्ची ले लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शान्त रहें, भाषण सुनें।

श्री फखरे आलम—

एक दूसरी पोस्ट जो आपने क्रियेट करी हुई है, मैं नहीं समझता हूं, वह डिस्ट्रिक्ट केन आफीसर जो है, वह क्या काम करता है?

(श्री मोहन सिंह के सत्ता पक्ष की तरफ बैठने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मोहन सिंह, आप इधर बैठकर व्यवस्था करना चाहते हैं।

श्री फखरे आलम—

यह पैरासाइट है। डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर के पास कोई काम नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि इनकी पोस्ट को एबोलिश किया जाय और इनका जो काम है, उसका हर सब डिवीजन में एस0डी0एम0 को दिया जाय। जैसे वह और सब काम करते हैं उसी तरह से इस काम को भी करें। डिस्ट्रिक्ट केन आफीसर की कोई जरूरत नहीं है और श्रीमन्, यह देखने में आ रहा है कि जितने गन्ना मंत्री हुए हैं सबने आश्वासन दिया है और कुशवाहा जी ने भी आश्वासन दिया है। देखना यह है कि कितने आश्वासन पूरे होते हैं। मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि खांडसारी पर लेवी लगायी जाय या नहीं लगायी जाय। आपने लेवी लगाया और फिर विदड्रा कर लिया। उनके ऊपर लेवी लगाकर वसूली की जा सकती है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अभी कुछ लोगों के बारे में कहा गया कि वह बेईमान हैं। हर जगह बेईमान होते हैं इस पर हमारे माननीय मंत्री नाराज हुये। हमारे किसी माननीय सदस्य ने कहा कि बेईमान हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बेईमान शब्द असंसदीय नहीं है और अगर मंत्री जी हमको मौका दें तो मैं साबित कर सकता हूं कि बेईमान शब्द संसदीय है। और बेईमान कहा जा सकता है। यह और बात है कि किसी बेईमान को उसके मुंह पर बेईमान नहीं कहा जाय।

श्री अधिष्ठाता—

असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें तो अच्छा हो।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, यह न होगा कि सितमगर को सितमगर न कहूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री धूप राय—

मान्यवर, इस धरती को बढ़ाने के लिए, शस्यश्यामला बनाने के लिए और आर्थिक विकास में किसानों का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रतिवर्ष भारत की प्रगति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धूप राय]

में किसानों का 2 प्रतिशत योगदान रहा है। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि भारत की प्रगति के लिये, देश की गरीबी को दूर करने के लिये किसानों की आर्थिक उन्नति करना परम आवश्यक है। मान्यवर, गन्ना किसानों का कैश क्राप है। आज इस पूरे भारत में एक करोड़ से ज्यादा किसान गन्ना उपजाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 50 लाख किसान लगे हैं। हमारे भारत में 2–8 मिलियन हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता है। 1–55 मिलियन टन गन्ना पूरे भारत में 80-81 में हुआ था। इस साल 1–85 मिलियन टन गन्ना पैदा होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले साल 1–2 मिलियन हेक्टेयर में गन्ना था और इस साल 1–5 मिलियन हेक्टेयर में है। पिछले साल 57–7 मिलियन टन गन्ना हुआ था इस साल 63–0 मिलियन टन पैदा होगा। हमारे यहां 26 हजार एकड़ में यह गन्ना है। पूरे भारत में 301 मिलें हैं। उत्तर प्रदेश में 91 मिलें हैं। 285 खांडसारी मिले हैं। मान्यवर, 79 में 39 लाख टन, पिछले साल 52 लाख तथा इस साल का रिकार्ड उत्पादन 70 लाख टन पैदा होगा।

यह बड़े गर्व की बात है कि पिछले वर्ष गन्ने का भाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 रुपये और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 रुपये था और इस वर्ष गन्ने का भाव 20.50 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाव में एक रुपये का अन्तर है जिसको सरकार को हटा देना चाहिये जिसमें कोई व्यवधान नहीं पैदा होना चाहिये।

मान्यवर, आज समस्या बन्ने की पेराई की है। आज मिलें अपनी समता के अनुकूल पेराई नहीं कर रही हैं जिससे समय अनुकूल गन्ने की पेराई नहीं हुई है।

मान्यवर, 24-10-81 को रिजर्वेशन की मीटिंग हुई जिसमें मैंने साफ कहा था कि अपने क्षेत्र के बारे में कुछ क्रय केन्द्र काटकर सरदार नगर मिल को दे दिये जायं लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया जिससे वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 26 हजार किसान गन्ना बोते हैं और जो 60.1 एकड़ में गन्ना बोते हैं लेकिन पेराई की उचित व्यवस्था न होने से उनका गन्ना खेतों में खड़ा है। इसलिये यह गन्ने की जो स्थिति है, वह चक्र के अधीन है, तो उस चक्र को सरकार तोड़े जिससे गन्ना किसानों के हितों की रक्षा हो सके। इसके साथ ही साथ जहां पर गन्ना अधिक हो, वहां मिलें लगाई जायं। हमारे क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन अधिक है और 14 मिलें हैं लेकिन फिर भी गन्ने की अधिकता को देखते हुए वहां तरयां सुजान में एक नई मिल लगायी जाय। यदि इसमें मंत्री जी विलम्ब करते हैं तो यह कहावत चरितार्थ होती है कि "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड"। इसलिये आप न्याय करें और जिससे गरीबों की रक्षा हो सके।

मान्यवर, किसानों से ऋणों की वसूलियां चालू हैं जिससे छोटे किसानों की कुर्की की जा रही है, गन्ने का दाम गिरा है, उनको गन्ने का भुगतान नहीं दिया जा रहा है इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि 2-3 महीनों के लिये वसूलियां स्थगित कर दी जांय जब तक गन्ने का भुगतान उनको न हो जाय।

मान्यवर, मिलों की हालत जो कोआपरेटिव या जो सरकारी हैं अच्छी नहीं है। बहुत सी मिलें सिक रहती हैं और पेराई पूरी नहीं कर पाती हैं। इसलिये मैनेजमेंट टेक्निकल होना चाहिये और मिलें पूरी क्षमता से चलनी चाहिये। मान्यवर, आप देखेंगे कि सरकारी मिलों में 26 करोड़ रुपये का घाटा है, यह क्यों ऐसा हो रहा है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो घाटे को बढ़ा रही है, इसलिये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये जिससे किसान को लाभ मिले।

मान्यवर, गन्ने की सिंचाई के लिये और अधिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने की पर्चियां बांटने में प्रिफरेन्स का प्रयोग होना चाहिये। हमारे क्षेत्र में इक्यूटि का प्रयोग नहीं हो रहा है, जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। जिनके पास 1-2 गाड़ी गन्ना हो उनको अधिक पर्चियां मिलनी चाहिये और बड़े-बड़े किसानों को बाद में पर्ची मिलनी चाहिये।

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए विरोध पक्ष के मा0 सदस्य ने कुछ अच्छी बातें कहीं थीं जैसे समितियों को भंग कर दिया गया जिससे जनता की बात आज सरकार तक पहुंचाने में दिक्कत है, उसका बराबर रिप्रेजेन्टेशन नहीं हो रहा है। गन्ना पेराई चालू है, आपके कमरों में और कुर्सी पर बैठने वाले अधिकारी-गण जनता को नहीं छू सकते हैं। जनता को छूने के लिये उनके प्रतिनिधि हैं जो उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं। यह भी काम गलत है। दूसरे मान्यवर, सी0 डी0 आई0 एस0 है, उनके बारे में रिफरेंस दिया गया, वह रिफरेंस बिल्कुल ठीक है। आप ऋण देने में जो ब्याज लेते हैं तो जनवरी में पेमेंट हो जाता है लेकिन अप्रैल तक आप वसूली और सूद लेते हैं। इस तरह से ब्याज 18 परसेन्ट की जगह पर 36 परसेन्ट वसूल कर रहे हैं। इसमें संशोधन किया जाय।

दूसरी बात शोध संस्थाओं के बारे में कहना चाहता हूं कि शोध संस्थाओं में सतर्कता बरती जाय और यह देखा जाय कि ऐसी वैराइटीज निकलें जिससे इंटेंसिव कल्टी-वेशन हो सके ताकि किसानों का एरिया न बढ़ सके और उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके। हमारी नीति बिल्कुल सही है बिल्कुल सही रास्ते पर है। जो पिछले साल भाव दिया गया था उसका परिणाम है कि आज गन्ने का रकबा बढ़ा है। इस साल भी आपने भाव इतना कम नहीं दिया है कि वह कष्टकारी हो। नीतियां ऐसी होनी चाहिये कि किसान गन्ने के चक्र से सांस ले सके और अपने को सुखी महसूस कर सके। इन शब्दों के साथ मैं गन्ना बजट का समर्थन करता हूं और आपने जो मुझको बोलने के लिए समय दिया उसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, गन्ना बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस वर्ष गन्ने के दाम डेढ़ रुपये प्रति क्विंटल कम रख कर आपने गन्ना किसानों के साथ भारी विश्वासघात किया है और किसानों की क्रय शक्ति को कम किया गया है। आज फर्टीलाइजर का दाम 62 प्रतिशत बढ़ा है, आयल और डीजल का दाम

[श्री हरिवंश सहाय]

33 फी सदी बढ़ा है, बिजली का दाम 20-25 फी सदी बढ़ा है। चीनी के दाम भी बढ़े हैं तो कोई कारण नहीं कि गन्ने का दाम डेढ़ रुपया घटाया जाय। दाम बढ़ाना चाहिये था लेकिन बढ़ाये नहीं गये बल्कि घटाये हैं। इसका एक कारण है कि हिन्दुस्तान के अन्दर पिछले 1980-81 के सीजन में हिन्दुस्तान के पास 52 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था और इसके अलावा भी साढ़े 6 लाख टन चीनी स्टाक में थी। तो कुल 58 लाख टन चीनी थी। यहां पर खर्च के लिये केवल 50 लाख टन चीनी की आवश्यकता पड़ती है तो साढ़े 6 लाख टन चीनी अतिरिक्त बचती थी लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने विदेशों से 2 लाख टन चीनी मंगाई और गन्ने के भाव गिराया तथा मिल मालिकों को धमकाया कि तुम्हारी चीनी के दाम घटा रहे हैं और उनसे भारी सौदेबाजी करके मोटी रकम ली। उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों ने भी मोटी रकम हिन्दुस्तान की सरकार को दी और उत्तर प्रदेश के अन्दर जो सरकारी चीनी मिलें हैं, उनका भी कम हिस्सा केन्द्र सरकार के पास नहीं गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस प्रकार से सरकारी कर्मचारी किसानों से धन अर्जित कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ना संघ है। गन्ना संघ यूनियन से खाद आपूर्ति में प्रति टन 20 रुपये की वसूली करता है। 20 रुपये में से 13 रुपये गन्ना संघ को कमीशन मिलता है और 5 रुपये प्रति टन शार्टेज पूल में जाता है। 5 रुपये काटने से शार्टेज पूल में एक साल में 10 लाख रुपया इकट्ठा होता है और 2 रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव फण्ड के लिये प्रति टन लिया जाता है जिससे 3 लाख रुपये इकट्ठा होता है। इस तरह से 13 लाख रुपया आता है।

मान्यवर, शार्टेज पूल के अन्दर जो पैसा आता है उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि उसमें से पार साल 4 कारें खरीदी गयीं लेकिन उनका पता नहीं है कि वह गन्ना संघ से कहां गयीं। गन्ना संघ में 10 लाख रुपये का डेड स्टाक है। सामान खरीदा जाता है उसकी कोई स्टाक-बुक नहीं है। अल्मारी और अन्य सामान अधिकारियों के घर में चला जाता है।

विधान सभा में सवाल किया, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि सवाल का जवाब इकट्ठा करने में जितना समय लगेगा उससे विभाग को नुकसान होगा। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो 10 लाख का 'डेड स्टाक' है, उसकी कोई स्टाक बुक तैयार करनी चाहिये। वहां की अल्मारी कहां गयी और चीजें कहां गयीं और कीमती सामान कहां है? वहां पर कोई स्टाक बुक नहीं है। जांच कीजिये वह सब सामान कहां गया?

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि 2/- रु0 प्रति टन एडमिनिस्ट्रेटिव फण्ड वसूल किया जाता है, जो 3 लाख के करीब होता है, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका आडिट नहीं होता। वह सब चाय पिलाने में खर्च होता है। गन्ने के पैसे से एक 'आगमन' नामक फिल्म बन रही है। यह फिल्म 3 लाख में बन सकती है। कौन एक्टर हैं उनका कोई नाम नहीं जानता है। 12 लाख रुपया केवल ऐश-आराम और लोगों को खुश करने के लिये दिया जा रहा है। मन्त्री जी से कहूंगा कि उसकी जांच करें।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि गन्ना संघ में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी उसमें कार्यरत हैं, वे हिन्दुस्तान में बेमिसाल हैं। जब मकान में रहते हैं तो मकान में रहने का हाउस एलाउन्स नहीं लेना चाहियें, लेकिन हिन्दुस्तान में गन्ना संघ ही एक ऐसा विभाग है, जहां मकान मिलने के बाद भी 15 प्रतिशत हाउस एलाउन्स मिलता है और मकान में रहते भी हैं। नियम है अगर किसी विभाग से मकान दिया जाता है तो 10 प्रतिशत तनख्वाह से कटौती की जाती है, लेकिन उनको 15 प्रतिशत हाउस एलाउन्स मिलता है और मकान में भी रहते हैं। माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि जो जनरल मैनेजर हैं और जो रिसीवर हैं, सारी मिलों के अन्दर, जो पिछले भी रहे हैं और इस समय भी हैं, मैंने माननीय मन्त्री जी को चिट्ठी लिखी है कि 15 जनरल मैनेजर और रिसीवर ऐसे हैं, जो अपने घरों पर, मुख्यालय पर और तीर्थ स्थानों पर 5 लाख रु0 से लेकर 10 लाख तक के मकान बनवायें हैं, उनकी हैसियत की जांच की जाय कि उन्होंने जो मकान बनवाये, तीर्थ स्थानों पर बनवाये, जिला हैडक्वार्टर पर बनवाये, यह कैसे बनवाये हैं? इसकी लिस्ट मैंने माननीय मन्त्री जी के पास भेजी है 15 लोगों की, जिन लोगों ने अपनी हैसियत को जरूरत से ज्यादा बढ़ाया है। अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा गन्ने की तौल की जांच ठीक से करवा रहे हैं। मुझे मालूम है भटनी चीनी मिल, जोकि रिसीवर शिप के अन्दर है, देवरिया के अधिकारी ने एक दिन कांटे को चेक किया, एक बैल गाड़ी में डेढ़ क्विंटल का तौल में अन्तर पाया गया। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के जितने रिसीवर हैं और जितने जनरल मैनेजर हैं, ये गन्ने की तौल में भारी कटौती करके रुपया कमा रहे हैं। जो जनरल मैनेजर या रिसीवर सामानों को क्रय करते हैं या चीनी को बेचते हैं, उसमें भारी पैमाने पर रुपया इकट्ठा करने में लगे हुए हैं।

कुछ मिलों का नया निर्माण होने जा रहा है। सितारगंज, महमूदाबाद और सुल्तानपुर में नयी मिलों का निर्माण होने जा रहा है। इन मिलों के लिये 4 करोड़ से 6 करोड़ रु0 वहां की मिल में लगाने जा रही हैं। बाजपुर, मझोला, विलासपुर, महोली की मिलों का विस्तारीकरण हो रहा है, जिसमें 1 से 1—1/2 करोड़ रु0 तक खर्च किया जा रहा है। अनूपशहर में डिस्टिलरी लगाने जा रहे हैं। जिसमें 1 करोड़ से 5 करोड़ तक खरीद की जा रही है, मुझे इस बात की सूचना मिली है कि गन्ना अधिकारी इसके लिये बड़े-बड़े औजारों को क्रय करने में 10 फीसदी का हिस्सा ले रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस ओर भी ध्यान दें और इस बात की भी जांच करायें।

इसी तरह से बस्ती जिले में एक शुगर मिल है बढ़नी शुगर मिल। उसके सचिव का स्थानान्तरण क्यों रोका गया?

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर तथा श्री जितेन्द्र पाल सिंह को पुकारे जाने पर)

माननीय सदस्य की रुचि को देखते हुए मैं समझता हूं कि आप 5 मिनट में ही अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री जितेन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस विभाग का काम कृषकों, गन्ना उत्पादकों, चीनी मिलों, प्लांटों के हित का काम है। हमारे माननीय मंत्री जी ने तथा हमारी सरकार ने किसानों के हित के लिये 70 करोड़ का सम्भावित नुकसान उठाने के बाद भी किसानों को गन्ने का यह भाव दिया है। इससे उचित और भाव नहीं हो सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो विरोधी दल के लोग यह कहते हैं कि गन्ने के भाव बढ़ा दिये जायं और वहीं दूसरी तरफ यह कहते हैं कि चीनी के दाम कम किये जायं। तो यह दो तरह की बातें जो वे करते हैं, यह उनकी दोहरी नीति मेरे समझ से बाहर है। यह उनकी बात है और वही जानें।

मान्यवर, इस उद्योग में 25 लाख मजदूर और किसान लगे हुए हैं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। जब जनता पार्टी की सरकार थी, तो इन्होंने गन्ने के दाम 4-5 रु0 कुन्तल कम दिये थे, अब बड़ी हमदर्दी दिखाते हैं, मान्यवर, किसानों के साथ। जब किसान गन्ना लेकर जाता था तो मिल मालिक कहता था कि हमको नुकसान हो रहा है और 4 और 5 रु0 के भाव से ये उससे लेते थे। ऊपर से जनता सरकार ने उत्पादन कर को भी माफ कर दिया। इन लोगों ने किसानों को फायदा नहीं पहुंचाया। दूसरी तरफ खांडसारी उद्योग को भी ठप्प कर दिया। यह थी इनकी नीति जिसकी यह बहुत बड़ाई करते हैं।

मान्यवर, दूसरी बात हमारे प्रदेश में चीनी मिलें 26 प्रतिशत गन्ना पेरती हैं, बाकी 74 प्रतिशत शुगर प्लान्ट और बैल के कोल्हू के द्वारा पेरा जाता है। हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि मुरादाबाद में तीन चीनी की मिलें लग सकती हैं वह जोर्डन सीधन मोहम्मदीपुर में, सम्भल तथा हसनपुर-आदिमपुर में। इनके लिये गवर्नमेन्ट को प्रस्ताव भेजा गया है कि इसके लिये लाइसेन्स दे दिये जायं और इनके लाइसेन्स मिलने की पूरी सम्भावना भी है।

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण उद्योग के लिये किसानों को उचित मूल्य गन्ने के देना चाहिये और किसानों को बढ़ावा देने के लिये हर सम्भव प्रयास करना चाहिये। इतनी बात कह कर मैं माननीय गन्ना विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री अकबर हुसैन–

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्यों ने किसी न किसी रूप में इस प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के संबंध में जो 1977–78 में स्थिति बनी थी, वैसी ही हो जाने की आशंका व्यक्त की है। पश्चिमी प्रदेश में गन्ना, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, लगभग 30 प्रतिशत पेराई होती है और चीनी मिलें इतनी जर्जर अवस्था में हैं कि वह इसका आधा ही पेराई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर पा रही है । मुरादाबाद में बिलारी शुगर मिल, जो केन्द्र शासन के अधीन है, सीजन शुरू होने से पहले ही मैंने निवेदन किया था कि उसमें मरम्मत नहीं हो रही है, और वह क्षेत्र के गन्ना की नहीं पेराई कर पावेगी । मंत्री जी ने, केन कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया था कि हम केन्द्र से सम्पर्क बनाये हुये हैं, मरम्मत की व्यवस्था करेंगे लेकिन क्षमता है 18 हजार क्विंटल गन्ना पेरने की और पेराई कर पा रही है केवल 8-9 हजार । किसानों के साथ अन्याय यह हो रहा है कि शासन के आदेश हैं कि किसानों की पर्ची पर 15-16 क्विंटल गन्ना पेरा जायेगा और तौला भी वह वही जाता है लेकिन केन मैनेजरों के एजेन्ट, गन्ना सस्ते रेट पर खरीद कर 25–30 क्विंटल बना देते हैं जिससे जो किसान की पर्ची है, वह तो 15–16 क्विंटल ही दे पाता है अतः मेरा कहना है कि ब्लैक में सस्ते दामों पर गन्ना खरीद कर किसानों का शोषण हो रहा है।

मैं अपने ही क्षेत्र की एक बात बताना चाहता हूं गन्ना समिति के संबंध में, 5–6 साल हो गये बिलारी समिति का चुनाव नहीं हुआ है और सारी गड़बड़ी पर्चियों के संबंध में समिति के अधिकारी, केन आफिसर, एस0सी0डी0आई0 आदि गड़बड़ी कर रहे हैं और किसानों का शोषण हो रहा है ।

गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में दोनों ही पक्षों के सदस्यों ने भावनायें व्यक्त कीं और वह स्थिति शासन से छिपी नहीं है लेकिन शासन की अकर्मण्यता, अक्षमता के कारण जो अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, ये किसानों तक जो सुविधा आप पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंचाने दे रहे हैं ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान बिलारी गन्ना परिषद् की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके बारे में 2–4 लेटर लिखे मंत्री जी को लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राम भजन लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं जिससे कि आपने मुझे एक ऐसे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

आप जानते हैं हमारे प्रदेश के अन्दर यह दूसरी इण्डस्ट्री है जिसमें लाखों लोग लगे हुए हैं लेकिन इसके साथ जो उपेक्षा हो रही है, वह मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। हमारी चीनी मिलों के लिए गन्ना जाता है, वह लगभग 30 प्रतिशत जाता है और बाकी कोल्हुओं तथा क्रेशरों में जाता है और जो वहां जाता है उसमें एक तरह से किसानों का भला नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी जो स्थिति रहती है वह कीमत के हमेशा डांवाडोल रहने के कारण, जब शुगर के दाम अच्छे रहते हैं अच्छा दाम मिलता है और जब दाम घट जाते हैं तो कम मिलता है। गुड़ की भी यही हालत और खांडसारी उद्योग बहुत ही बुरी हालत में है । तीन किसमें बनती हैं, क्रेशर सल्फर और तीसरा हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक में सात-साढ़े सात का परता पड़ता है। थ्रेशर में पांच-साढ़े पांच का परता पड़ता है और जो भट्ठियां हैं, उनमें चार-साढ़े चार का परता पड़ रहा है । आपको मालूम है कि इस साल जितने भी शक्कर के दाम कम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम भजन लाल]

हुए हैं और गन्ने का दाम गिर गया है और शीरे का दाम भी गिर गया है जो पहले 100 और 1 रु0 में था आज वह 48 और 50 रु0 में कोई नहीं पूछता है । शक्कर केवल 300 रु0 में है तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ना जिससे रोजगार की समस्या हल होती है, किसानों को इससे पैसा मिलता है, यही ऐसी फसल है जिससे किसानों को पैसा मिलता है । गेहूं और धान की फसल में किसान चाहे जितना अधिक खर्च करे लेकिन उससे किसानों की कोई भलाई नहीं हो सकती है इसलिए गन्ने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । बाजार में चीजों का रेट बढ़ता चला जा रहा है लेकिन किसानों को उनकी उपज के दाम नहीं मिल रहे हैं ।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गन्ने के दाम बढ़ाकर काश्तकारों को राहत दें। आप खाण्डसारी उद्योग के ऊपर भी ध्यान रखिये जिससे हजारों करोड़ों रुपये मिलते हैं । मिलों को लगाने में कोई जल्दी नहीं हो सकती है । चार-पांच साल तो मिल के लगाने में लग ही जाते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि खाण्डसारी के लिए उचित व्यवस्था की जाय जिससे काश्तकार को अच्छे दाम मिल सकें और किसानों को परता भी अच्छा पड़ने लगेगा । हम जानते हैं कि इसमें मिल मालिक आड़े आयेंगे लेकिन आप को देखना चाहिए कि जिस तरह से आप कपड़े की मिलों को और हथकरघा को प्रोत्साहन देते हैं और उससे हमारे देशवासियों को रोजगार भी मिलता है और पैसा भी मिलता है इसलिए आप इसकी ओर भी उसी तरह से ध्यान दीजिए। गन्ने के लिए अगर पानी और खाद अच्छी तरह से मिले तो गन्ने की फसल बहुत अच्छी हो सकती है । अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । वहां पर मोहम्मदी और रुतौली में चीनी मिल खोल दी जाय तो वहां के लोगों की रोजगार की समस्या हल हो जाय क्योंकि जहां पर मिल खुल जाती हैं, वहां की जनता खुशहाल होती है और उसके लिए तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहां पर चीनी मिल खोल दी जाय, इससे देश खुशहाल हो सकता है, तरक्की कर सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ । आप बैठें ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री थम्मन सिंह का नाम पुकारे जाने पर कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आप इसमें समय बढ़ा दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

काफी समय तक इस पर चर्चा हो चुकी है ।

श्री कुबेर भण्डारी–

आप 6.00 बजे तक समय बढ़ा दीजिए । थोड़ा-थोड़ा समय दे दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने थम्मन सिंह को बुला दिया है। आप तशरीफ रखें । इसके लिए काफी समय दिया गया है। काफी माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया । मैंने माननीय थम्मन सिंह को बुला लिया है, वे अब जवाब देंगे । (व्यवधान)

श्री धम्मन सिंह गहलौत—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस ओर और उस ओर के माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस परिचर्चा में भाग लिया और अपने अमूल्य सुझाव दिये । जो सत्ता पक्ष द्वारा विचार प्रकट किये गये, उन्होंने मेरे और मेरी बातों का समर्थन ही किया है । मैं नहीं समझता कि क्यों न अपनी बात पर दल दूं । ऐसी कोई नयी बात इस विषय में आयी नहीं है । माननीय मंत्री जी ने सुना है, नोट कर रहे होंगे । मान्यवर, एक बात तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से दोहरी मूल्य नीति चली हुई है । इसके साथ ही साथ एक नयी नीति चली हुई है । न्यूनतम भाव केन्द्रीय सरकार निश्चित करती है । यह सही है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत यह आता है । उन्होंने 13 रु0 क्विंटल न्यूनतम मूल्य निश्चित किया है । यह शासक दल की दृष्टि में ठीक रहा होगा। अगर कम समझते तो उनको चाहिए था कि केन्द्रीय सरकार से न्यूनतम भाव को बढ़वाते। इसके बदले अब एक नये शब्द का प्रचलन हुआ है सहमति मूल्य, यानी मिल मालिक के सामने शासन हाथ जोड़ कर खड़ा हो और उनकी खुशामद करे और उनसे प्रार्थना करे कि आप बढ़ाकर मूल्य दे दीजिए । परन्तु शासन की तरफ से एक बात साफ होनी चाहिए कि न्यूनतम भाव कुछ होता है और देने वाला भाव कुछ और होता है, बढ़ा कर दिया जाता है। जब शासन यह अनुभव करता है कि यह न्यूनतम भाव अपर्याप्त है, किसानों के प्रति अनुचित और अन्यायपूर्ण है, तो यहां कांग्रेस सरकार है, और केन्द्र की भी कांग्रेस सरकार है तो इस न्यूनतम भाव को बढ़ाना चाहिए और मिल जो भाव आफर करते हैं उसमें अधिक अन्तर नहीं रहना चाहिए । जब सरकार मिल मालिकों के सामने नतमस्तक होती है तो इससे गन्ना उत्पादकों का मनोबल गिरता है । आखिर माननीय मंत्री जी ने दोनों भावों में इतना अन्तर क्यों चला रहा है ।

माननीय मंत्री जी ने मिलों की पेराई क्षमता को बढ़ाने की बात की है । आज से 10—12 वर्ष पहले केन्द्रीय सरकार ने एक गुंडराव समिति बनायी थी जिसने संस्तुति की थी कि दो हजार टन दैनिक पेराई क्षमता से कम की कोई भी चीनी मिल न लगायी जाय । इससे कम पेराई करने वाली चीनी मिल अनुत्पादक, अनइकोनामिक होगी । यह उस कमेटी की रिपोर्ट थी । लेकिन उसकी रिपोर्ट के बाद ही धड़ाधड़ 1250 टन दैनिक पेराई की क्षमता वाली मिलें लगायी गयीं । वे तो अनार्थिक रहेंगी ही । सरकार द्वारा ही नियुक्त समिति ने जो संस्तुति की थी उसको ही अनदेखी करना शुरू कर दिया गया । मान्यवर, गन्ना समितियों में जो भ्रष्टाचार है, उसके संबंध में समय-समय पर ध्यान आकर्षित करके विभाग को सचेत किया गया है । मेरे सीतापुर जिले में ही महोली गन्ना समिति है । उसके सचिव के बारे में अनेकों शिकायती-पत्र लिखे गये । महीनों बीत गये लेकिन आज तक इस सिलसिले में कोई भी कदम नहीं उठाया गया ।

(इस समय 4 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

एक बात और यह कहना चाहता हूं कि कोल्हू वाले बगैर सोचे समझे कहीं पर कोल्हू लगाये, वह दूसरी बात है लेकिन सरकार भी चीनी मिल बिना सोचे समझे

[श्री थम्मन सिंह गहलौत–]

लगाती चली जा रही है । अनेक क्षेत्र ऐसे हैं कि पर्याप्त गन्ना या तो उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराने के लिए जो साधन करने चाहिए वह नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं मथुरा में छापा मिल की बात करूं । वहां का पानी खारा है । ट्यूब वैल से पानी देंगे तो जमीन खराब कर देगा। नहर से उतना पानी आता नहीं। चीनी मिल को पूरा गन्ना नहीं मिलता । पानी की व्यवस्था होनी चाहिए । दूसरी भी ऐसी मिलें हैं जहां गन्ना कम उपलब्ध है । वहां गन्ने का विकास करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए ।

मान्यवर, एक बात की ओर शासक दल के सदस्यों ने भी ध्यान आकृष्ट किया । मैं इस रूप में नहीं कहता कि आलोचना समझी जाय । वास्तव में हम बड़ी तेजी से इस साल 77–78 वाले वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं । शाहजहांपुर, हरदोई, आदि में जहां तक मेरी जानकारी है, खाण्डसारी यूनिटें नौ और दस रुपये गन्ना खरीद रही हैं । 14 रुपये से अधिक शायद कहीं नहीं है । स्थिति यह है कि जून के बाद भी बहुत गन्ना शेष बच रहेगा । चार महीने बीत गये हैं और जहां तक मुझे आंकड़े मिले हैं कठिनाई से 40 प्रतिशत गन्ने की पिराई हुई है । इन्होंने 6 महीने का सीजन बनाया है उसके हिसाब से मई में समाप्त होता है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है जून तक मिल चलाई जायं । जून तक मिल चलने के पश्चात भी इस गन्ने की पूरी पिराई नहीं हो सकेगी । अभी इसी समय इस के संबंध में विचार कर लें । जब तक खुले बाजार में गुड़ का शक्कर का भाव नहीं उठेगा तब तक गन्ने की समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आज आदेश करें और दूसरे दिन चीनी मिल खड़ी हो जायं । समय लगता है, कुछ वर्ष लगते हैं, रुपया लगता है । इस को दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए । मैं समझता हूं कि जो लेवी प्राइस साढ़े तीन रुपये किलो तय की है इस पर शासन को विचार करना पड़ेगा ।

अनेक क्षेत्रों से यह शिकायत मिल रही है कि उनके क्षेत्र में गन्ना खड़ा है, खरीद पूरी नहीं हो रही है । मैं अपनी जानकारी के अनुसार रामपुर जनपद के क्रय केन्द्र रजानगर की बात बताता हूं । मिलों ने वहां शुरू में तो धड़ाधड़ खरीदा, 80 प्रतिशत गन्ना खरीद लिया । अब कहते हैं आपने गन्ना 80 प्रतिशत खरीद लिया है बाकी अभी नहीं खरीद सकते । किसान हाथ पर हाथ रखे बैठा रहेगा । यह व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है । मान्यवर, बहराइच जनपद में धन्याआय नाम का एक क्रय केन्द्र है। वह वर्षों से चलता था । उसे इस साल बंद कर दिया ।

वहां के एक और क्रय केन्द्र, गूड़ की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमारे उस क्षेत्र के नानपारा क्षेत्र के माननीय विधायक हैं, जटा शंकर सिंह जी उन्होंने किसानों की समस्या माननीय मंत्री जी के सामने रखी । बहुत से लोग सदस्य न बन सके उनको सदस्य बना लिया जाय । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया । मध्य क्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त के पत्र संख्या 4923–चौबीस दिनांक 5-1-82 के द्वारा आदेश जारी भी हो गया । सदस्य बनाये जाने लगे । 145 सदस्य बना लिए गये । लेकिन इसके बाद गन्ना आयुक्त महोदय ने दिनांक 28-1-82 के आदेश संख्या 788–79 भेज कर वह आदेश निरस्त कर दिया । अब किसान बीच में रह गया है। माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा माननीय विधायक जी ने। उन्होंने लिखा है

मैंने यह सचिव महोदय को भेजा है । अब यह दफ्तरों में किसान को दौड़ाने की बात मेरे समझ में नहीं आती गन्ना तो एक खेती है, व्यवहारिक चीज है । यह नहीं हो सकता है कि हम मई में निर्णय लें और जुलाई-अगस्त में उनको चलावें । मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं है । मान्यवर, बरेली जनपद में फरीदपुर में एक क्रय केन्द्र है दड़िया जिसके संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस पर 70 गांव लगे हुये हैं और केवल 35 हजार क्विंटल गन्ना अब तक खरीदा गया है और लाखों क्विंटल गन्ना वैसे ही रहने का अंदेशा है । ये शिकायतें मैंने नमूने के तौर पर रखी हैं। मैं मंत्री जी से आशा करूंगा कि वे सारे प्रदेश की जानकारी लेंगे कि कहां गन्ना फालतू है और उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और ऐसी नीति अपनायेंगे जिससे उसकी पिराई हो सके । यह कहते हुए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और सदन से आशा करता हूं कि वह इसे स्वीकार करेगा ।

(गन्ना विकास मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

[समय 4 बजकर 56 मिनट]

श्री कुबेर भण्डारी—

लगता है मन्त्री जी ने गन्ने के दाम बढ़ा दिये हैं . . . . . ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे) ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी प्रसन्नता को देखते हुए लगता है कि आप बिना मन्त्री जी के बोले ही उनकी ग्रान्ट स्वीकार कर लेंगे ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है कि सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने गन्ना विभाग की मांगों पर बहस में हिस्सा लिया । कुछ एक नीति विषयक प्रश्न उठाये गये, कुछ एक आरोप लगाये गये और कुछ एक सुझाव दिये गये । जहां तक नीति विषयक चीजें हैं, उनके बारे में शासन ने अपने स्तर पर यथा सम्भव प्रयास किया है कि सब तरफ गम्भीरता से देखा जाय और जनहित में जितना सम्भव हो उसको क्रियान्वित करने का भरसक प्रयास किया जाय ।

दूसरे भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया है, शिकायतें की गयी और कुछ आरोप भी लगाये गये हैं । इनके बारे में शासन की स्पष्ट नीति है और मेरी अपनी खुद की कार्यशैली है कि जो भ्रष्टाचार या किसी भी स्तर का आरोप हो, हम उसे छिपाने का प्रयास नहीं करते हैं । हो सकता है इतना बड़ा हिन्दुस्तान है, इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं पर ऐसी शिकायतें हो सकती हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम उसके निराकरण का प्रयास कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कह देने से काम नहीं चलता । मैं आपको दावत देता हूं कि भ्रष्टाचार के बारे में खुलासा आप मुझे आरोप-पत्र दें . . . . . ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी–

इस सचिवालय के अन्दर ही अपने विभाग के लोगों को देखें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप किसी परम्परा का पालन नहीं कर रहे हैं ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि खाली भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल कर देने से भ्रष्टाचार नहीं होता है । आप मुझे लिखकर दें, खुलासा दें, नाम लिखकर दें तो चाहे जितना बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों न हो, मैं उसमें जांच कराऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है । आपके जो भी सुझाव हैं हम अपनी नीतियों के तहत उनको भली प्रकार देखेंगे और जो भी न्याय संगत होगा उसको हम क्रियान्वित करेंगे । मन्त्री-पद हमारी कोई बपौती नहीं है । जो देश के हित में, समाज के हित में, जनहित में कार्यक्रम हैं, उनके बारे में जो सुझाव आप लोगों ने दिये हैं उनको हम क्रियान्वित करें ।

उसके लिये हम कभी पीछे हटने के लिये तैयार नहीं हैं । जो सुझाव होंगे उनको निभायेंगे । आपने जो कुछ सुझाव के तौर पर नीति विषयक प्रश्न दिये उनको हम निभायेंगे । आपने गत वर्ष के और इस वर्ष के कुछ आंकड़े दिये, यह प्राकृतिक ऐसी स्थिति पैदा हुई, मिलें तमाम बढ़ गयीं जिस की वजह से आंकड़े बढ़े मैं अर्ज करूं कि पिछले वर्ष तिलहर की नई फैक्ट्री लगी थी, इस साल विलम्ब से काम शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रकृति से अलग होकर जांय वह हमारे लिये सहयोगी है ही, पर इसके बाद कुछ हमारी कार्यकुशलता है जिसकी वजह से हमारे आंकड़े आपके सामने स्पष्ट रूप से प्रगति का रास्ता दिखाते हैं ।

माननीय सदस्य ने वित्त पोषण योजना के बारे में कहा, समितियों का हमारे माननीय सदस्य ने जिक्र किया । उसके बारे में मैं अर्ज करूंगा कि वित्त पोषण योजना में कुछ झंझटें रहीं जिसको समितियों को निभाने में दिक्कत आ गयी । शक्कर निधि में 135 लाख रु0 व्यय किया गया संघ की पूंजी के लिये ताकि हमारा कार्य संचालन ठीक से वह चला सकें । यह प्रजातंत्र का वक्त है जो हमारी समितियां हैं, उनको जो अधिकार हैं, उसमें हम उनको वंचित नहीं करेंगे और भविष्य में जो सुधार की आवश्यकता है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, हम उससे दूर नहीं जा रहे हैं ।

आपने आई0 ए0 एस0 प्रशासक नियुक्त करने के बारे में कहा । तो जहां कहीं भी ऐसी स्थिति आती है और हमारी सोसायटी जब भंग कर दी जाती है तो आखिर उसको अनाथ कैसे छोड़ दें ? तो उस स्थिति में जहां इसकी आवश्यकता होती है उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ डालकर काम निभाया जाता है । यदि जिम्मेदारी न डाली जाय तो हमारा कार्य अवरुद्ध हो जाय । ऐसी स्थितियां हमें बाध्य करती हैं प्रशासक नियुक्त करने के लिये । हमारा प्रयास है कि जो भी चुनाव बाकी हैं, वहां चुनाव पिराई के बाद जून के बाद चुनाव करायेंगे । जनतंत्र में हमारा विश्वास है, उससे हम दूर नहीं रहेंगे ।

आपने समितियों के कमीशन के धन के दुरुपयोग का जिक्र किया है, उसके बारे

में एक-एक करके आता हूं । वैसे समितियों के जो अधिकार हैं, कमीशन के बारे में उस पर बताना चाहता हूं कि जो अनुभव हैं वह दोहरे हैं—खट्टे और मीठे दोनों हैं । कहीं अच्छा काम हुआ है कहीं दुरुपयोग हुआ है ।

(व्यवधान)

पिछले दिनों आप ही शोर मचा रहे थे उनकी आमदनी 40 या 44 हजार हुई, उन्होंने गन्ने का मूल्य लेकर 3 लाख रु0 खर्च कर दिया । उनको कमीशन की व्यवस्था करके पैसा जाता है जिसका दुरुपयोग भी होता है और सदुपयोग भी होता है । तो खट्टे मीठे दोनों अनुभव हैं। इसलिए इसमें कानूनी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि धन का दुरुपयोग न हो, समिति स्वावलंबी बने और जनहित में जो उनकी स्थापना की गयी है, उसको वह ईमानदारी से निभायें और विकास करें तो उसमें सहयोग की जरूरत है बगैर सहयोग के काम चलता नहीं । धन के दुरुपयोग के बारे में हमारा दिमाग साफ है कि जो पैसा है, जो आमदनी है, उसका किसी भी स्तर पर दुरुपयोग न हो और उसके लिये जो भी संभव प्रयास होगा, करेंगे, उसके लिये तमाम बराबर निर्देश किये हैं कि इस प्रकार की योजनायें बनायें और इसके लिये जो भी सुझाव आयेंगे उनको निभाने का प्रयास करेंगे ।

नीति निर्धारण के बारे में भी हम प्रत्येक स्तर पर सोच रहे हैं और बहुत सारे फैसले लिए हैं, जिनमें से कुछ के बारे में जिक्र भी यहां करना चाहता हूं। हमारे यहां पश्चिमी जिलों और पूर्वी जिलों में एक रुपये का फर्क है, यह बात उठाई गई है। यह मुझे भी लगता है। पर यह फर्क क्यों है? तो मोटे तौर पर यह देखने में आता है, हमारे सामने जो आंकड़े आते हैं, उसके अनुसार पश्चिम जोन में 75.74 रु0 प्रति क्विंटल लागत आती है और मध्य जोन की 86.96 पैसे प्रति क्विंटल आती है। इस प्रकार से औसत रु0 81.20 प्रति क्विंटल आता है, जबकि पश्चिम जोन का रु0 111.63 आता है। इसमें खर्च इतना अधिक आता है कि वह भार वहन करना मुश्किल होता है। इसलिए पहले से इसमें एक रुपये की बात रखी गयी है। हम साधिकार बराबर दाम देने की बात तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो पैदावार का लगत खर्च है . . (व्यवधान) यह अधिक है तो पूर्वी जिलों के मुकाबले में पश्चिमी जिलों में लागत खर्च कम आता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जब नीति विषयक घोषणा हो रही है, उसमें आप बोल देंगे तो कैसे होगा, सुनने दें।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

अब प्रश्न यह है कि आखिर इसको कैसे निभाया जाए। इसीलिए पहले से एक रुपये का फर्क रखा गया है, ताकि जो उत्पादन खर्च है उसको समानता में लाया जा सके। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जहां पर पानी का इलाका है वहां पर . .

श्री उपाध्यक्ष—

गन्ने के दाम के बारे में आपने बात कही है, वह साफ नहीं हो पाया, बीच में बोलते रहे। इसलिए इसे फिर से साफ कर दें।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

गन्ने की लागत के बारे में पश्चिम और मध्य क्षेत्र की लागत कम है और पूर्वी जिले की लागत अधिक है। वह इतनी अधिक है कि उसकी वजह से हमें एक रुपये का फर्क करना पड़ा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

लागत से आपका मतलब गन्ना उत्पादन से या चीनी उत्पादन से है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

चीनी उत्पादन से है।

श्री उपाध्यक्ष–

लेकिन गन्ना उत्पादन के बारे में क्या ख्याल है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

गन्ना उत्पादन तो अपनी जगह अलग-अलग है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसका मतलब यह है कि गन्ने की कीमत का निर्धारण मिल मालिक की सुविधा पर है न कि गन्ना किसान की?

श्री हुकम सिंह–

चीनी उत्पादन में आपने पूर्व, पश्चिम और मध्य में फर्क बताया है। लेकिन अगर गन्ना उत्पादन लागत में कोई अन्तर नहीं है और गन्ने की रिकवरी में कोई अन्तर नहीं है (व्यवधान) अन्तर नहीं है, यही आपने बताया (व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी–

हमारे देवरिया और गोरखपुर में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शोर मचाने लगेंगे तो कोई बात साफ नहीं होगी।

श्री हुकम सिंह–

एक रुपये के अन्तर का आधार आपने यह बताया कि चीनी उत्पादन में अन्तर होता है। आपने यह नहीं बताया कि जो चीनी और गन्ने की रिकवरी है, उसमें कोई फर्क है। जब रिकवरी में कोई अन्तर नहीं है तो इसका भार किसान पर क्यों पड़ता है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

वहां आठ प्वाइन्ट कुछ रिकवरी है और यहां 9 प्वाइन्ट कुछ है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

बस्ती फैक्टरी का दौराला फैक्टरी के बराबर कैसे आता है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

टोटल के अनुपात के बारे में मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं। आपने यह भी पूछा कि हमारे जो शोध संस्थान हैं, प्रजनन के, बीज की प्रजातियों को उत्पादित करते हैं, पानी के इलाके के लिए कौन सा बीज है। मैं बताना चाहता हूं कि वह सी0 एस0 768 है जो पानी वाले इलाके में पैदा होता है।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने शुगर की बिक्री के बारे में कहा जो हमारे निगम द्वारा होती है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि हमारे यहां पर यह सिस्टम है कि 35 प्रतिशत लेवी की चीनी होती है, 35 प्रतिशत हम बेचते हैं और इसकी सारी बिक्री हेड क्वार्टर पर होती है जिसमें हमारे एम0 डी0, ज्वाइन्ट एम0 डी0 और अन्य अधिकारी द्वारा मिलकर शुगर बेची जाती है और कोटा रिलीज भी भारत सरकार के आदेशानुसार होता है। यह नहीं होता है कि एम0 डी0 और अन्य अधिकारी अपने मनमाने ढंग से उसे बेच दें और उसका फायदा उठावें।

महोली मिल के बारे में कहा गया कि उसमें गन्ने का मूल्य बकाया है। सन् 1980-81 का किसानों का सारा भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 1981-82 में जो गन्ने का कुल 173 लाख रुपया जो कीमत वाजिब हुयी उसमें से भी 140 लाख रुपया दे दिया गया है। अब केवल 33 लाख रुपया बकाया है जो दिया जा रहा है। महोली मिल की, और चीजों के बारे में कहा गया मेरा निवेदन है कि जनता शासन काल में इस मिल को 240 लाख रुपया दिया गया था जबकि वर्तमान शासन काल में कुल 127 लाख रुपया दिया गया है। गत वर्ष के रिसीवरशिप का कोई गन्ना मूल्य बाकी नहीं है। यह सही है कि (व्यवधान) मिल ने अपनी निजी साधनों से 60 लाख रुपया पिछला बकाया अदा किया है। इस वर्ष कुछ नयी मशीनों के कारण चल नहीं पाया है, उसमें सुधार किया जा रहा है। और ऐसा अनुमान है कि पिछले वर्ष से अच्छी पेरायी होगी। महोली में 9.94 लाख क्विंटल गन्ने की पेरायी हुई है जो 14 हजार क्विंटल प्रति दिन के हिसाब से हुयी है।

(श्री कुबेर भण्डारी के खड़े होकर बोलने पर)

अगर व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी करनी है जो सम्भव है कि मुझे उसकी जानकारी न हो। मैं तो सामूहिक बात कहता हूं।

(श्री राम सागर के खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री जी बैठे नहीं हैं। मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, हमारे प्रदेश में एक सबसे अच्छी संस्था आई0 आई0 टी0 कानपुर में है। देश में जो 5 आई0 आई0 टीज हैं उनमें से एक हमारे प्रदेश में भी है। हमें इन दिनों कुछ उनके सम्पर्क में आने का मौका मिला और हमने, जो वैज्ञानिक हैं, उनके सामने इन सारी बातों का जिक्र किया। आपने यहां प्रश्न उठाया कि रिकवरी कम है, मशीनरी खराब है, घाटा ज्यादा हो रहा है, इन सारी बातों पर हमने उन वैज्ञानिकों से बात की। इस अपनी बीमारी के कार्यकाल में भी हमने उनसे बात की। उनका कहना था कि हमारी मशीनें बाबा आदम के जमाने की हैं, बड़ी पुरानी हैं, आज वैज्ञानिक युग है, पता नहीं कैसे आप चला रहे हैं, इनसे लाभ होना सम्भव नहीं है। यह उनका मत था।

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा]

हिन्दुस्तान में केवल 15-20 ही वैज्ञानिक ऐसे हैं जो योग्य हैं और जो दुनिया में जाकर कुछ कर सकने की क्षमता रखते हैं। फिर भी मास्टर के सामने चेला शिक्षक भले ही बन जाये, पर एक गुर शिक्षक जरूर छिपा कर रखता है, चेला भले ही कितना बड़ा शिक्षक क्यों न हो जाये। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह हम ले रहे हैं। उनसे बातचीत करते रहते हैं। उनकी योग्यता का हम लाभ उठायेंगे। मुश्किल यह है कि आज हमारे यहां पर्याप्त वैज्ञानिक उपलब्ध नहीं हैं। हमारे यहां 5 आई0 आई0 टी0 हैं और उनसे जो छात्र पढ़ कर निकलते हैं, वे अधिकतर विदेशों में चले जाते हैं, उन पर एक छात्र पर हमारा जब कि 7-8 लाख रुपया खर्च आता है। कुछ इने गिने ही बच पाते हैं जो यहां रहते हैं। हमारी सरकार में इतनी अधिक सुविधायें उसको नहीं मिलती, वेतन भी अधिक नहीं मिलता, इसलिये जो यहां रह जाते हैं उनको भी यह मिल मालिक अपने यहां पकड़ ले जाते हैं। (व्यवधान)

उन्होंने हमको यह भी बताया है कि हम 30-40 तरह का ऐसा सामान भी इसी में तैयार कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल होता है और उससे लाभ होगा। तो इन तमाम पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं।

इसके अलावा हमने एक टेक्निकल सेल का भी गठन किया है। मिलों में मशीनों में अक्सर खराबी आ जाने के कारण बड़ा नुकसान होता है। मिलों में जो तकनीकी लोग रहते हैं, वे उन त्रुटियों को ठीक नहीं कर पाते। अब यह सेल तमाम मिलों में जाकर जहां कहीं कोई खराबी होगी उसको ठीक करेगा और सुधार के लिए सलाह देगा।

भ्रष्टाचार का बहुत जिक्र किया गया। उसको दूर करने के लिये भी हमने एक आडिट सेल का गठन किया है। जहां कहीं गड़बड़ी होती है या शिकायत उसकी मिलती है, हम स्पेशल आडिट वहां का करवाते हैं और जहां गड़बड़ी पायी जाती है, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही भी करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमने एक जांच दल जो आपके सामने जिक्र किया, उसका मात्र एक ही मतलब है कि जहां कहीं गड़बड़ियां हैं, वहां पर जांच दल भेज कर तत्काल जांच करा कर कार्यवाही की जाय। जहां महीनों लगता है, बड़ा लम्बा समय लगता है, इसलिये मैंने जांच दल का गठन किया है कि वह जाकर जांच करें, ताकि तुरन्त प्रभावकारी कार्यवाही की जा सके। आपने तमाम सारे माननीय सदस्यों ने जो जिक्र किया पर्चियों की गड़बड़ियों के बारे में, कुछ सट्टे के बारे में। जाने कितने आप सबने सी0 डी0 आई0 वगैरह के आरोप, कुछ समितियों के झगड़े के बारे में जिक्र किया।

(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर सिंह–

मान्यवर, देवरिया जिले की फैक्टरियां बिहार से गन्ना ले रही हैं, जिससे हमारे जिले का गन्ना पेरा नहीं जा रहा है, जिसका परिणाम यह हो गया है कि इस साल गन्ना पेरा ही नहीं जायगा।

श्री कुबेर भण्डारी—

मान्यवर, आपके सचिवालय में खुद सबसे भ्रष्ट कमिश्नर हैं, जो कि आपके आदेश का पालन नहीं करते हैं।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

अब तक कोई लेखा-जोखा सही ढंग से नहीं रहता था, पास-बुक टेम्पोरेरी केवल कुछ वर्षों के लिए बनाई जाती थीं। हमने तय किया है कि अब फिर किसान की परमानेन्ट पास-बुक होगी। उस पास-बुक में किसान का फोटो लगा होगा, उसकी जोत बही में सारी चीज दर्ज होंगी, उसका रकबा दर्ज होगा और उसकी जब पड़ताल की जायगी, कि किस किसान ने कितना गन्ना बोया, वह सारा लिखा जायगा। उसका लेन-देन, उसने कितनी खाद ली, कितनी क्या चीज ली, वह उस परमानेन्ट पास-बुक में होगा ताकि जो गड़बड़ियां होती हैं, वह हम दूर कर सकें। इस साल हमने कहा था कि एक समिति में कहीं एक जगह लागू करें और उसको हमने किया है। इसके बारे में हमने कुछ रचनात्मक कार्य भी सोचा है। ज्यादातर हमारी जो मिलें हैं और हमारी जो देश और प्रदेश की स्थिति है, वह स्वास्थ्य के बारे में बड़ी खराब है, यह हमारी संस्थायें जो मिलों वगैरह की हैं, इसमें कुछ समाज सेवा का भी कार्य होना चाहिए। हमने फैसला किया है कि प्रत्येक मिल के गेट पर आंखों का कैम्प लगाया जायगा, जो अपने तमाम सारे संबंधित एरिया में जितने गरीब लोग हैं, उनका निःशुल्क उपचार मिल अपनी तरफ से करायेगी। कर्मचारी लोग जो हमेशा काम में लगे रहते हैं, बड़ी दिक्कतें उनके सामने रहती हैं, इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमने मिल में खेल-कूद का प्रबन्ध किया है और तमाम जिले स्तर पर खेल-कूद का प्रबन्ध किया है, जो इस साल से प्रारम्भ किया है।

हमने देखा है कि आखिर और हमारे कार्य में प्रगति कैसे हो और दूसरे जो हमारे माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि रिपेयरिंग में तमाम पैसा चला जाता है, और मिल समय से चल नहीं पाती हैं, हमारे सामने तमाम विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तो हमने इसके लिए एक सेन्ट्रल वर्कशाप खोलने का फैसला लिया है, जहां पर हम स्वतः तमाम इस तरह के सामान तैयार करेंगे और मिल को ठीक करायेंगे और तमाम कारखानों का सामान बनायेंगे और जो हमारी 91 मिलें हैं और शासन जो व्यवस्था कर रही है, वह 47 हैं, आगे पता नहीं कौन सी नौबत आये, आखिर इनको सुचारु रूप से चलाने के लिए हम आदमी कहां से पैदा करें। तो इसके लिए हमने एक ट्रेनिंग स्कूल खोलने की व्यवस्था बनायी है ताकि हम ट्रेनिंग देकर हम काम में लोगों को ले सकें और अनाड़ी लोगों को हम न लें।

मिलों के आधुनिकीकरण के लिये हमने निश्चित रूपरेखा बनाई है रिसीवर-शिप में या निगम की जो मिलें हैं। ताकि जो घाटा हो रहा, हमारी जो तंगी आ रही है, शिकायत आती है पेराई ठीक से नहीं हो पाती और पेराई क्षमता कम होती है, इनको दूर करने के लिये आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है। हमने साइड प्लान्ट और बोरे बनाने के लिये औसतन 50-60 लाख बोरे का खर्च हमारा है। अब तक हम इसको दूसरी जगह से मंगाते थे उसमें लोग कमीशन खाते थे। अब हमने

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा]

तय किया है कि जूट मिल से सीधे थाने लेकर हम बोरे सिलवायेंगे। इस साल देर से सोचे इसको लागू नहीं कर पाये लेकिन अगले साल इसको करेंगे।

शक्कर बिक्री का भी हम उचित प्रबन्ध कर रहे हैं क्योंकि अब तक जो रिसीवरशिप में मिलें हैं वह अपनी चीनी को मनमाने ढंग से अपने पुराने एजेन्टों को बेचती हैं और सहकारी मिलों की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। उसमें सुधार करने का विचार विमर्श किया जा रहा है। अभी फैसला नहीं कर पाये हैं। अविलम्ब इसकी व्यवस्था करना चाहता हूं। ताकि इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। अब तक हमारे यहां प्रथा यह थी कि पहले चीनी मिलों का भवन बनाया जाता है और बाद में मिल लगाई जाती थी अब हमने निर्णय लिया है कि इस प्रकार का बोझ हमारे ऊपर पड़ता है और सूद का बोझ पड़ता है उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसलिये हमने निर्णय लिया है कि अब चीनी मिल पहले लगाई जायेगी बाद में भवन बनेगा। प्लान्ट पहले लगाया जायेगा। हमारे यहां जो पुरानी फैक्ट्री लगी है 90 से 100 एकड़ तक भूमि एक्वायर करके, उसमें जगह-जगह फैला रखा है। हमने तय किया है कि कम से कम जमीन पर रहने आदि के लिये भवन निर्माण किया जाय और शेष जमीन पौधशाला के लिये छोड़ी जाय ताकि किसानों को जो उस क्षेत्र के हैं, उनको उत्तम बीज मिल सके। ताकि पूरी जमीन का सदुपयोग किया जा सके। उसका दुरुपयोग न हो। हमने तमाम अधिकार अपने जेब में सुरक्षित नहीं रखे हैं। हमने विधायकों को लिखा है कि आप जांच करें और जांच करके सुधार का सुझाव दें हम सुधार करेंगे। मंत्रीगण को लिखा है कि वह जांच करें और बताये कि क्या-क्या सुधार करें, आपके उन सुझावों से हम लाभान्वित होंगे और उससे सुधार करेंगे। आप हमको सुझाव दें हम तैयार हैं आपके सुझाव के अनुरूप सुधार करने का प्रयास करेंगे।

अक्सर देखा गया है ठेकेदारों की वजह से बेईमानी होती है। पैसा कमीशन में खा जाते हैं। अब हमने निर्णय लिया है कि जितना भी निर्माण का कार्य किया जायेगा वह निर्माण निगम द्वारा किया जायगा। प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा नहीं किया जायेगा। दूसरा मोटे तौर पर जो लकड़ी है सल्फर आती है इससे तमाम गड़बड़ी होती है। हमने तय किया है, आदेश तो नहीं दिया है बहुत सी मिलें बेशुमार लकड़ी जलाती हैं। अब यह लकड़ी वन विभाग द्वारा खरीदी जायेगी। दूसरे हमारे बहुत सारी खोई है। जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। वन निगम की लकड़ी और दूसरी मिलों से खोई लेकर इस्तेमाल किया जाय ताकि खर्च कम कर सकें। इस तरह बहुत सारे फैसले हमने जो मुनासिब समझे हैं, लिये हैं।

मान्यवर, इन दिनों जो स्थिति है उसमें आप कह रहे हैं कि गन्ने का मूल्य कम दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि यह जो दिया जा रहा है वही क्या कम है ? इसलिए देखें कि गत वर्ष से खांडसारी और गुड़ के दाम कम हो गये हैं। जो उत्पादन मिलों में है वह लागत से कम जा रहा है। शक्कर के दाम गिर रहे हैं। इसलिए उनके सामने तंगी आ रही है और भविष्य में संकट आ रहा है। शक्कर का स्टाक ज्यादा हो गया है जिससे दाम गिरते जा रहे हैं। हमारे अधिकारी दिल्ली गये थे और प्रयास

किया जा रहा है । दो तरह के काम करने का—एक तो केन्द्रीय सरकार इसका बफर स्टाक करे और दूसरे विदेशों में इसका निर्यात करे ताकि शक्कर के दाम अधिक न गिर सकें । इसके अलावा मान्यवर, तीसरे चीनी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये जो पेराई कर रहे हैं, उसमें केन्द्रीय सरकार छूट दे ताकि पेराई को अधिक कर सकें । ऐसा हमारा दृष्टिकोण है ।

मान्यवर, गन्ना उत्पादकों को गन्ना मूल्य देने के लिये कैश क्रेडिट लिमिट में हमको केन्द्रीय सरकार से सहयोग प्राप्त करना है और उसके लिये भी शासन प्रयत्नशील है । इस तरह हमारी योजना है जिसका मोटे तौर पर जिक्र किया । आपके बहुत सुझाव थे जो जनहित में महत्वपूर्ण होंगे उनका हम आदर करेंगे और यथासंभव उनको निभाने का प्रयास करेंगे । इस तरह हम चाहते हैं कि दलगत नीति से ऊपर उठकर आप हमें सुझाव देते रहें और यथासंभव हम उनको निभाने का प्रयास करेंगे । मैं समझता हूं कि जहां तक हमारी क्षमता थी, उसके अनुसार हमने जवाब दिया । अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि इस बजट का समर्थन करें ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण मंत्री जी से चाहता हूं कि 70 प्रतिशत गन्ना गुड़ कोल्हू, क्रेसर और सल्फर प्लांट में पिरता है, जहां चूस की रिकवरी 60-70 प्रतिशत गुड़ कोल्हू से, 80 प्रतिशत क्रेसर से रिकवरी होती है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि 20 से 30 प्रतिशत रस जो खोई में सूख जाता है जिससे नेशनल लास होता है, वह लास न हो और रिकवरी 80 प्रतिशत से ऊपर रहे, तो इस संबंध में क्या मंत्री जी कोई रिसर्च का काम करा रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, इसमें दो तरह की बात है । यह सही है कि खोई में रस जाता है जिसके संबंध में मैंने शुरू में ही कहा था कि प्रयास कर रहे हैं और ऐसा सुधार किया जाय जिससे रस कम जाय । दूसरे यहां यह ग्रामीण और लघु उद्योग है यह महत्वपूर्ण है, हम केवल मिलों में 25-30 प्रतिशत ही गन्ना पेर पाते हैं और बाकी गन्ना कोल्हू और क्रेशर में पेरते हैं जिसमें काफी लोग लगे हुये हैं, यदि इनको बंद कर देंगे तो उनको काम और रोजगार कहां मिलेगा ?

श्री रियासत हुसैन—

आप यह बता दें कि जो रस सूख जाता है और जिससे बहुत बड़ा नेशनल लास हो रहा है उसके लिये क्या काम कर रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मैंने अर्ज किया कि हमारी बड़ी-बड़ी मिलों में कमियां हैं कोल्हू में भी कमियां हैं तो मिलों के साथ हम कोल्हू का भी सुधार करना चाहते हैं । हम प्रयत्नशील हैं कि हम इनका सुधार करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय थम्मन सिंह जी आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं?

श्री थम्मन सिंह गहलौत–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने मिल मालिकों का केस प्लीड किया है, किसानों का करते तो मैं वापस ले लेता ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12–गन्ना विकास विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12–गन्ना विकास विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,34,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,27,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे एक आवश्यक सूचना आप सबको देनी है । गोरखपुर, विश्वविद्यालय की सभा के लिये 5 सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में नामों की वापसी हेतु दिनांक 4 मार्च, 1982 को अपराह्न 5 बजे तक का समय और निर्वाचन होने की दशा में मतदान दिनांक 12 मार्च, 1982 के लिये नियत था । नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा के लिये अभ्यर्थियों की संख्या उसमें निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक होने के कारण उनके निर्वाचन हेतु मतदान की तिथि 12 मार्च, 1982 निर्धारित की गयी थी ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के निर्वाचन के संबंध में नामों की वापसी की तिथि 16 मार्च, 1982 करने तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा के निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 12 मार्च, 1982 के स्थान पर दिनांक 20 मार्च, 1982 रखने के संबंध में विभिन्न

दलों के नेताओं की प्रार्थना पर अब गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिये नामों की वापसी की तिथि 16 मार्च, 1982 तक तथा उक्त दोनों निकायों के लिये मतदान की तिथि 20 मार्च, 1982 नियत की गयी है। तद्नुसार अब गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के निर्वाचन के संबंध में नामों की वापसी की तिथि 16 मार्च, 1982 को अपराह्न 5 बजे तक तथा उक्त निकायों के निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 20 मार्च, 1982 को पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक विधान मंडल पुस्तकालय में होगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 में 9 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री हरिबंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में उपलवृष्टि से हुई क्षति के संबंध में दी गयी थी। उसी से सम्बन्धित सूचना श्री चन्दन सिंह, श्री छत्तर सिंह, श्री जमुना प्रसाद, श्री राम सागर तथा श्री हरगोविंद वर्मा की रही। इस सूचना के सम्बन्ध में यह निश्चय हुआ कि इस पर सरकार अपना बयान देगी। इसे स्वीकार किया गया।

(सत्ता पक्ष की ओर इंगित करते हुए) सरकार की तरफ से इस पर बयान कब आयेगा ?

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)–

17 मार्च, 1982 को दे देंगे, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है। शेष सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

श्री उपाध्यक्ष–

गृह मन्त्री द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य माननीय न्याय मन्त्री देंगे।

जनपद बुलंदशहर के ग्राम ढिकाली, थाना भवन बहादुर नगर में एक ही परिवार के पांच व्यक्तियों की हत्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)–

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार वादी श्री मकबूलपुत्र मंगूरी निवासी ग्राम ढिकाली, थाना भवन बहादुर नगर, जिला बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 22-2-1982 को प्रातः लगभग 9.15 बजे थाना भवन बहादुर नगर पर इस आशय की सूचना दी गयी कि उसके पुत्र रजुआ की पत्नी श्रीमती बशीला का खालाजात भाई तहसीन निवासी पुरवा महावीर मेरठ लगभग दो महीने तक उसके घर पर रहा था और इस दौरान वह श्याम सिंह के क्रेशर पर मजदूरी करता था, परन्तु तहसीन का चाल चलन खराब देखकर वादी तथा उसकी पत्नी ने, तहसीन को अपने घर से निकाल दिया था और क्रेशर की नौकरी से भी उसे हटवा दिया था। तहसीन नाराज होकर तथा उसे धमकी देकर उसके घर से चला गया था। दिनांक 21-2-1982 को रात्रि लगभग 8 बजे तहसीन अपने एक अन्य साथी के साथ उसके घर पुनः आया और

[श्री जगदीश प्रसाद]

दोनों उसके घर पर ही सोये थे । दिनांक 22-2-1982 को जब वादी अपने घर आया तब उसे पता चला कि बशीला, बुन्दू, अलीमुद्दीन, कुमारी साहीन तथा मकतूली मरे पड़े हैं । इन घरवालों को तहसीन व उसके साथी ने गले में फांसी लगाकर रंजिश के कारण मार डाला है ।

वादी की उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना भवन बहादुर नगर पर अपराध संख्या 31 अन्तर्गत धारा 302 भा0 द0 वि0 का अपराध पंजीकृत हुआ तथा तत्काल विवेचना प्रारम्भ कर दी गयी । पंचायतनामें के बाद पांचों शवों को शव परीक्षण के लिये भेजा गया । शव परीक्षण से सभी की मृत्यु का कारण गला घोंटने से दम घुटना पाया गया । विवेचना से पता चला कि अभियुक्त तहसीन का अवैध संबंध पहले से ही वादी की बहू श्रीमती बशीला से था और वह श्रीमती बशीला को अपने साथ ले जाना चाहता था लेकिन श्रीमती बशीला अपने बच्चों को छोड़कर उसके साथ जाना नहीं चाहती थी । वादी द्वारा अभियुक्त तहसीन को अपने घर से निकाल देने तथा उसको नौकरी से हटवा देने से नाराज होकर अभियुक्त तहसीन ने अपने एक अन्य साथी के साथ उक्त अपराध किया । अभियुक्त तहसीन को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस द्वारा उसके घर (मेरठ) में तथा उसके कई संबंधियों के यहां दबिश दी गयी परन्तु अभियुक्त तहसीन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है । गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं । अभियुक्त तहसीन के साथी का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है ।

यह अपराध आपसी रंजिश के कारण ही किया गया प्रतीत होता है यह सही नहीं है कि इस गांव व आस पास के क्षेत्र में किसी प्रकार के भय व आतंक आदि व्याप्त है । पुलिस के प्रति असंतोष की बात भी सही नहीं है । पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके का निरीक्षण भी कर चुके हैं।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, कुछ ऐसा मालूम होता है कि कोई मर्डर अगर रंजिश की वजह से होता है तो वह तो इनके यहां एकाउण्टेड ही नहीं है।

क्या मा0 मन्त्री जी यह बता पायेंगे कि 2 आदमियों ने 5 को फांसी देकर मार दिया यानी 2 मारने वाले थे और 5 मरने वाले थे, तो क्या पोस्ट मार्टम में यह आया है कि उनका टाइम आफ डेथ क्या है? एक ही घर के अन्दर पांच लोग मरे। पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट में क्या यह है कि टाइम आफ डेथ क्या है ? इसका एक ही समय बताया गया है या अलग-अलग समय बताया गया है, उसमें?

श्री जगदीश प्रसाद–

इसमें यह है कि मृतकों के गले में रस्सी लगा कर मारा गया है ।

श्री रियासत हुसैन–

गला दबा कर या फांसी लगा कर मरे ? पांच व्यक्ति जब वहां मरे और दो मारने वाले हैं तो एक-एक आदमी ने एक-एक करके उनका गला दबाया और मारा होगा । आपकी पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में टाइम आफ डेथ उन पांचों का क्या एक ही है, या टाइम में कुछ फर्क आया है, या टाइम का कुछ डिफरेन्स दिया है उसमें ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में नहीं आता है ।

श्री रियासत हुसैन–

नहीं मान्यवर, यह बात उसमें आती है कि टाइम आफ डेथ और काज आफ डेथ क्या है?

(मंत्री जी के उत्तर देने में देरी होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक नमूना देख चुके और अब दूसरा नमूना देख रहे हैं।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, हमारे हिस्से में क्या यही आया . . . . करेगा?

श्री जगदीश प्रसाद–

श्रीमन्, किसी भी तरह के मुकदमें में फौजदारी के मामलों में तीन प्रमुख चीजें होती हैं टाइम आफ डेथ, टाइम आफ अकरेन्स घटना का समय, घटना का स्थान, घटना की तिथि। यह श्रीमन्, ऐसी चीजें हैं जिस पर यह मुकदमें पूर्णतया आधारित होते हैं। और श्रीमन्, मुकदमों की कामयाबी के हित में यह उचित नहीं है कि इस तरह की बात को यहां बताया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने प्रोबेबिल टाइम आफ डेथ पूछा है।

श्री जगदीश प्रसाद–

वही मैंने कहा श्रीमन्, मैंने अर्ज किया कि टाइम आफ डेथ बहुत आवश्यक चीज है और बहुत जरूरी चीज है एक मुकदमें में। यदि उसकी गोपनीयता खोल दी जाती है तो उन्हीं आधार पर मुल्जिमान की जमानत हो जाती है और वे मुकदमें छूट जाते हैं, कामयाब नहीं होते हैं।

श्री राम गोविन्द–

विवेचना से यह पता चल गया कि तहसीन और बशीला में अवैध संबंध थे। तहसीन के साथ जो दूसरे व्यक्ति और थे, वह बता नहीं पाये कि इसका कारण क्या है?

श्री जगदीश प्रसाद–

श्रीमन्, जांच चल रही है। जब पता चल जायेगा तो बता दिया जायेगा।

श्री राम गोविन्द–

यह कैसे पता चला कि तहसील और बशीला में अवैध संबंध थे? इसकी जानकारी कैसे हुई?

श्री जगदीश प्रसाद–

जो रिपोर्ट लिखाई गयी, उसमें इसका जिक्र है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो वक्तव्य है, उससे दो-तीन शंकायें मन में उत्पन्न होती हैं, गले में फांसी देकर मार डाला गया, तीन मेजर और दो बच्चे। मैं जानना चाहता हूं कि यह सूचना किस के द्वारा दी गयी, एक रस्सी लेकर आये थे और पांचों को एक साथ फांसी दे दी या एक-एक को अलग-अलग, इसलिए जो घटना घटी और पुलिस पहुंची मौके पर तो क्या इस तरह की कोई चीज मिली? अपराध संख्या 31 में

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

धारा 302 में मामला दर्ज किया गया, तो उसकी तिथि क्या है और तीसरी चीज, घटना घटे 15 दिन हो रहे हैं, तो क्या पुलिस ने पता लगाया कि वे लोग कौन थे और कितने थे और आज तक उनकी गिरफ्तारी न करने का कारण क्या है?

श्री उपाध्यक्ष–

आप इस बयान के पहले पैराग्राफ को देखें, वादी ने स्वयं रिपोर्ट दी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वही तो पूछ रहा हूं, वादी रिपोर्ट, शिकायतें लिख कर दे आते हैं, दर्ज होती नहीं, इससे यह मालूम हो जायेगा कि मुकदमा कायम कब किया गया, अपराध संख्या किस तारीख की है, वहां कोई चीज मिली रस्सी आदि गला घोटने की और 82-83 की कार्यवाही हुई या न होने का कारण क्या है? चाहे डकैती का मामला हो, रंजिश का हो, कत्ल है लेकिन पुलिस की संजीदगी और संवेदनहीनता का पता इस बात से लगता है कि आज तक 82-83 की कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री जगदीश प्रसाद–

21/22 की रात की घटना है, 22 को एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई और फौरन तफ्तीश चालू हो गई और जो प्रश्न किया रस्सी का, तो रस्सी से ही गला घोंटा गया, दूसरा प्रश्न किया कि एक ही रस्सी से बांधा गया या अलग-अलग, तो मैं पुनः निवेदन कर दूं कि यह मामला मुकदमे के फैक्ट्स का है और उसके संबंध में जानकारी देने में, इस मुकदमें के लिए ठीक नहीं होगा और तीसरी बात . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों ने इसकी गम्भीरता के अभाव के कारण माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य सुनने से मना कर दिया था फिर उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है। मंत्री केवल दो बातों के आधार पर उत्तर देने से मना करते हैं एक तो गोपनीय हो या सब-जुडिस हो जाये। गोपनीयता की बात मैं कहना चाहता हूं, रस्सी मिली या नहीं, टाइम क्या है, तो जो चीज वहां पर तफ्तीश में सामने आ चुकी है, वह बयान में यहां सदन में छिपायी जा रही है, तो इसके छिपाये जाने का क्या कारण है? एफ0 आई0 आर0 में बात दर्ज हो गई, तो इस स्तर पर छिपाने के लिये क्या गोपनीयता का बहाना लिया जा सकता है? इसमें मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

गोपनीयता निश्चित करना सरकार का काम है। इसमें आप मुझसे क्या व्यवस्था चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आप के मत को उद्धृत कर रहा हूं। आपने स्वयं समय-समय पर यह मत उद्धृत किया है कि गोपनीयता के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी का विवेक काम में आना चाहिए। जो मत वे दे रहे हैं, आप का समाधान हो गया है क्या? यदि आप का समाधान हो गया हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन चीजों को

छिपाने के लिये गोपनीयता का बहाना ले रहे हैं, मैं उस के संबंध में जानना चाहता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद–

श्रीमन्, ऐसा है कि आप इसकी पूरी डिटेल्स चाहते हैं और चूंकि मुल्जिमान गायब है अपनी जमानत के चक्कर में तो श्रीमन्, इस तरह से विस्तार में बताने से सारी चीजें किसी मुकदमें में मुल्जिम को काफी सहायता मिल जाती है अपनी पैरवी में इसलिये मैंने आपसे निवेदन किया है और इसमें कोई ऐसी छिपाने की बात नहीं है जो वक्तव्य में न कही गयी हो।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने और बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

इनमें से मैं किसके प्रश्न का उत्तर दूं जब कि मैं किसी के प्रश्न को सुन नहीं पाया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया था, उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। कृपा करके उस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री त्रिवेनी–

यह मुकदमा 302 का कायम हो गया है। उन्होंने घटना का समय बता दिया है। इस पर अब क्या व्यवस्था चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप इसमें कुछ इन्टरेस्ट ज्यादा ही ले रहे हैं। मालूम होता है कि मुल्जिम को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय न्याय मन्त्री, आप किस आधार पर इसको गोपनीय मान रहे हैं?

श्री जगदीश प्रसाद–

श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया है कि इस वक्तव्य में सारी बातें सामने आ गयी। अब उसके डिटेल में अगर बहुत तफसील यहां होगी तो अभी वह स्टेज ऐसी है कि अगर हम बताते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि मुल्जिम भागा हुआ है और यही सब चीजें बेल का ग्राउण्ड बनती हैं और मुल्जिम छूट जाता है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह मामला इन्क्वायरी स्टेज पर है या न्यायालय में है? यह जानना चाहता हूं?

श्री जगदीश प्रसाद–

श्रीमन्, यह विवेचनाधीन है।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)–

क्या जुर्म के मामले का विषय व्यवस्था का विषय बनाया जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय खाद्य मन्त्री जी, उन्होंने केवल इसे व्यवस्था का विषय बनाया कि क्या

[श्री उपाध्यक्ष–]
जो मामला इन्क्वायरी की स्टेज पर है, उसको गोपनीयता का विषय बनाया जा सकता है ?

श्री वासुदेव सिंह–

पूरा आप देख लें । अपनी बात को कहते हुए व्यवस्था का आवरण लेना क्या जुर्म को बचाने में कोई कदम नहीं है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरी नीयत पर शंका करने का कोई कारण नहीं है ।

श्री जगदीश प्रसाद–

श्रीमन्, अभी जो पुनः यह बात कही गयी रस्सी के सम्बन्ध में, कि एक ही रस्सी से फांसी लगायी गयी या अलग-अलग लगायी गयी, सूचना केवल यही है कि रस्सी से उनको फांसी लगायी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

रस्सी तो मिल गयी होगी ?

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस मामले पर थोड़ी सी और रोशनी पड़ जाय ताकि कुछ कुछ हमारी समझ में आये और आपकी समझ में भी आ जाय । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कहीं डकैती पड़ती है और पुलिस उसका पता कर रही है, उस समय क्या हमारे सदस्य साथी यह पूछेंगे कि यह बतलाया जाय कि जिसने अत्याचार किया . . .

(व्यवधान)

आप यह पूछ रहे हैं कि उन पांच आदमियों को अलग-अलग मारा या एक ही रस्सी से मारा ? मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि एक पसमंजर है कि अगर कोई यह कहे कि एक ही रस्सी से इस तरह मारा गया है तो आप इसका फैसला करें या जवाब देने के लिये कहें तो क्या यह मुजरिम की पुश्तपनाही नहीं होगी ?

श्री जगदीश प्रसाद–

इसको न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये भेज दिया गया है । अभी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने बतलाया कि82/83 के लिये कार्यवाही कर दी गयी है।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मुझे यह सन्देह है कि जो मुल्जिमान हैं, उन के जुर्म को कम करने का पुलिस को मौका दिया जा रहा है । क्या माननीय मन्त्री जी एफ0 आई0 आर0 को सुनायेंगे ताकि उससे पता चल सके कि उसमें रस्सी का जिक्र है या रस्सी पुलिस लेकर चली गयी या एक्जीबिट के अन्दर है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मन्त्री जी एफ0 आई0 आर0 पढ़ दें ।

श्री जगदीश प्रसाद—. . . .

नकल चिक सं0 30 मु0 अ0 सं0 31 धारा 302 भा0 द0
वि0 थाना बी0 वह0 नगर
नकल तहरीर हिन्दी वादी

श्रीमान् कोतवाल साहब बी0बी0 नगर बुलन्दशहर, सेवा में प्रार्थना है कि मैं ढकौली का रहने वाला हूं। मेरे लड़के रजुना की घरवाली बशीला भी कानपुर की है। उसका खाला जात भाई तहसील पुरवा महावीर मेरठ का रहने वाला हमारे यहां करीब 2 महीने के रहा था और श्याम सिंह के क्रेसर पर मजदूरी करता था उसका चाल चलन ठीक न देख कर मैंने व मेरी घरवाली मखबूली ने बुरा भला कह कर अपने घर से करीब 20 दिन पहले निकाल दिया था और श्याम सिंह से भी कह कर काम से हटवा दिया था वह मुझे यह धौंस देकर कि बीज वंश मिटा दूंगा चला गया था उसकी नीयत बशीला को ले भगाने की थी कल शाम करीब आठ बजे तहसील अपने साथ एक और आदमी को लेकर हमारे यहां आया था और घर में ही सोये थे यह बात मुझे आज सुबह पता चली थी आज सुबह करीब आठ बजे घर पर चाय न आने के कारण मैं घर गया बाहर से कुन्डी लगी थी मैंने घर में जाकर आवाज दी कोई नहीं बोला तब मैंने शमी को बुला कर दिखवाया क्यों कि मुझे कम दीखता है। शमी ने बताया कि यहां तो मखबूली बसीला साहीना अलीमुद्दीन और बुद केगला में फांसी लगी मरे पड़े हैं। तभी मेरा छोटा पोता लीला रोने लगा मेरे इन घरवालों को तहसील व उसके साथी ने गले में फांसी लगा कर घर से निकलने को रंजीस के ऊपर मार डाला है। तहसील व उसके साथी को शाम व रात को मेरे घर से निकलते व बैठते जीले सिंह पुत्र रघुबीर सिंह श्याम सिंह पुत्र गिरराज सिंह रनजीत पुत्र रामफल सिंह नरायण सिंह पुत्र हुकुम सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र शीशराम जाट दया पुत्र प्यारे लाल ब्राह्मण छोटन पुत्र, झन्डू नाई आदि ने देखा है। रिपोर्ट लिख कर कार्यवाही की जाय। प्रार्थी मखबूल पुत्र मंगूरी

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन् अब एफ0 आई0 आर0 से स्पष्ट हो गया। एफ0 आई0 आर0 में उन्होंने सूचना दी कि फांसी लगी हुई है, मरे पड़े हैं। अब क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब पुलिस आन-दि-स्पाट पहुंची तो उस ने एक्जीबिट में रखने के लिए रस्सी को कब्जे में लिया या नहीं लिया, यदि नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया?

श्री जगदीश प्रसाद—

श्रीमन्, यह जो वक्तव्य दिया है उस में यह तथ्य सामने आये। तफसील में ऐसी बातें भेजी नहीं गयी हैं। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसे मंगा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
4 मार्च, 1982।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1200 पर।)

शिकायतों की सूची

1–श्री आफाक खां, ट्रैक्टर ड्राइवर का वेतन तथा एरियर का भुगतान न किया जाना।

2–श्री शफी अहमद, ओ0 पी0 यूनिट ड्राइवर का वेतन कम कर दिया जाना ।

3–श्री असफाक आलम कुरैशी, पम्प आपरेटर का वेतन कम कर दिया जाना।

4–श्री शमीम चौकीदार को वेतन समय से न दिया जाना और मौखिक तौर पर जनपद बलिया में स्थानान्तरण किया जाना ।

5–श्री मु0 शमीम, वर्क सुपरवाइजर को पम्प आपरेटर बनाया जाना तथा वेतन का भुगतान न किया जाना।

6–श्री शौकत अब्बास, पम्प आपरेटर को पम्प अटेन्डेन्ट बनाया जाना और वेतन कम कर दिया जाना।

7–अधिशासी अभियन्ता द्वारा सरकारी साधनों का व्यक्तिगत कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाना।

8–अधिशासी अभियन्ता द्वारा मजदूर कर्मचारियों से हड़ताल करने के लिये कहा जाना और अधिशासी अभियन्ता का राष्ट्र विरोधी पार्टी से सम्बन्धित होना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1219 पर।)

पद नाम	जनपद चमोली		जनपद पौड़ी गढ़वाल	
	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
चिकित्साधिकारी (सलेक्शन ग्रेड)	1	--	2	--
(सीनियर स्केल)	5	2	7	2
(साधारण ग्रेड)	76	49	117	62
चिकित्साधिकारी (महिला)	4	1	10	5
फार्मेसिस्ट	56	--	111	--
स्वास्थ्य निरीक्षक	18	--	26	3

सीनियर स्केल की रिक्तियों की पूर्ति हेतु जनवरी,, 1982 में आदेश जारी किये जा चुके हैं।

चिकित्साधिकारियों की अन्य रिक्तियां चिकित्सकों के अभाव तथा स्वास्थ्य निरीक्षकों की रिक्तियां बहुधंधी योजना के अन्तर्गत नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के कारण हैं।

पी0एस0यू0पी0—एल0 38 विधान सभा (62)--1983-813 ।